शुक्रवार,
१८ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कारों की कीमत

*१०९६. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कारों के पुर्जों पर आयात शुल्क घटाने के फलस्वरूप पुर्जे जोड़ कर कारें बनाने वाले स्वदेशी कारखानों ने कारों के मूल्य में कितनी कमी की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९**]

श्री एस० एन० मिश्र : कितनी निर्माता फर्मों ने सरकार के पास अपना निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और उनमें से सरकार ने कितने कार्यक्रम स्वीकार किये हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मेरा विश्वास है कि तीन कार्यक्रम स्वीकार किये गये हैं।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त निर्माणकर्ता साथों द्वारा कोई निर्यात कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और यदि यह सही है तो क्या आयात शुल्क वापस करने का विचार है ?

श्री करमरकर : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये। किन्तु कुछ समय पूर्व निर्यात का कुछ प्रयत्न किया गया था यद्यपि वह अधिक नहीं था।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कीमतों की कमी की अनुमानित प्रतिशतता दी जा सकती है ?

श्री करमरकर : हमने वास्तविक आंकड़ें दे दिये हैं। उदाहरणार्थ मूल्य में कमी करने के पूर्व प्लायमथ की कीमत २१,५५५ रु० थी और कमी के बाद यह १९,३६० रु० हो गई है। विवरण में विस्तृत आंकड़े दिये गये हैं। माननीय मित्र सरलता से उनकी प्रतिशतता मालूम कर सकते हैं।

श्री जेठालाल जोशी : क्या यह सच है कि स्वदेश में निर्मित 'हिन्दुस्तान' कार नाम के परिवर्तन और बढ़ी हुई कीमत के अतिरिक्त 'मोरिस' के सदृश ही है ?

श्री करमरकर : इसमें एक अन्तर यह भी है कि उसके अधिकांश पुर्जे भारत में ही निर्मित हुए हैं तथा कीमत में कोई वृद्धि नहीं है।

स्थानीय कोयला उपकर

*१०९७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयला खदानों से कोयला भेजने पर स्थानीय उपकर सम्पूर्ण देश में समान है;

(ख) यदि ऐसा नहीं है तो उसके कारण क्या हैं, और

(ग) देश के विभिन्न भागों में स्थानीय उपकर की वर्तमान दरें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नहीं।

(ख) स्थानीय उपकर राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। कुछ राज्यों में कोई उपकर नहीं लिया जाता है।

(ग) कोयला उत्पादन करने वाले कतिपय राज्यों में कोयले के स्थानीय उपकर की वर्तमान दरें बताने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

डा० राम सुभग सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार भी कोयले पर किसी तरह का उपकर लगाती है और यदि ऐसा है तो वह किन कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन प्रकार के उपकर लगाये जाते हैं : तह लगाने के सम्बन्ध में उपकर, श्रम कल्याण उपकर और सहायता उपकर।

रबड़

*१०९८. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अधिक परिमाण में कच्चा रबड़ खरीदने के सम्बन्ध में निर्माताओं को कोई अनुदेश दिये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि निर्माताओं द्वारा रबड़ की वस्तुएं खरीदना प्रारम्भ करने के पूर्व ही कतिपय आढ़तियों ने कच्चे रबड़ का स्टाक जमा कर लिया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये थे किन्तु प्रमुख निर्माताओं से अधिक परिमाण में कच्चा रबड़ खरीदने के लिये अनौपचारिक प्रार्थना की गई थी।

(ख) सरकार के पास जानकारी नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : चार या पांच दिन पूर्व माननीय मंत्री ने मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार को विदित है कि निजी अभिकर्ताओं ने वृहद् परिमाण में रबड़ का संचय कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि अत्यधिक मात्रा में रबड़ का संचय करने वाले अभिकर्ताओं ने बहुत ऊंची कीमत पर रबड़ बेच कर भारी लाभ कमाया है जिसे सामान्यतया वे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे ?

श्री करमरकर : अधिक स्टाक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें कमी हो रही है। वसूल की गई कीमतों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि रबड़ उत्पादकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आधार पर ही क्या सरकार ने निर्माताओं से अधिक रबड़ खरीदने की अनौपचारिक प्रार्थना की थी ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान्, आंशिक रूप में अभ्यावेदन के आधार पर ही ऐसा किया गया था। मामले की पूरी पूरी जांच करने के पश्चात् ही अनौपचारिक प्रार्थना की गई थी।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि स्वयं ही रबड़ का संचय कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कितनी मात्रा में रबड़ बेचा है ?

श्री करमरकर : इस सम्बन्ध में मेरे पास सूचना नहीं है ।

विस्फोटक पदार्थों की प्रयोगशाला

***१०९९. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल और समीपवर्ती राज्यों में पाये जाने वाले बमों और विस्फोटक पदार्थों की जांच करने के लिये कलकत्ता में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है; और

(ख) यदि यह सही है तो कब और कितना काम अभी तक किया जा चुका है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् । केन्द्रीय विस्फोटक पदार्थ विभाग की एक शाखा के रूप में नवम्बर, १९५१ से एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है । यह आतिशबाजी, न फटे हुए बम, निषिद्ध पदार्थों वाले पटाखे और विस्फोटक बमों आदि का रासायनिक विश्लेषण करने में विभाग की मदद करेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस फैक्टरी में जो फायर वर्क्स बनाए जाते हैं वह क्या बेचे भी जाते हैं और यदि हां तो अभी तक कितने रुपये के बेचे गये ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह प्रयोगशाला निर्माण के लिये नहीं जांच कार्य के लिये है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नैवल रिव्यू हुआ था, उसमें जो फायर वर्क्स काम में आए वह इसी फैक्टरी में बने थे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास सूचना नहीं है, श्रीमान् ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में डिप्लोमाओं को मान्यता-प्रदान

***११०१. श्री अजित सिंह : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में निरीक्षकों, सब श्रेणियों के उपलेखकों (ड्राफ्ट्समैनों) तथा प्राक्कलनकर्ताओं के पदों पर नियुक्ति करने के लिये किन किन संस्थाओं के डिप्लोमाओं को मान्यता दी जाती है; तथा

(ख) ये डिप्लोमा किन वर्षों से मान्य हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख) । अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

पेप्सू में सामूहिक परियोजनाएं

***११०२. श्री अजित सिंह :** (क) **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पैप्सू में कितनी सामूहिक परियोजनायें और विकास खंड योजनायें क्रियान्वित हो रही हैं ?

(ख) क्या सरकार और विकास खंडों पर कार्य करने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां तो कितने पर और कहां ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक सामूहिक विकास परियोजना, एक सामूहिक विकास खंड और चार राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री अजित सिंह : पैप्सू की इन योजनाओं की, अलग अलग, अनुमानित लागत कितनी है ?

श्री हाथी : सामूहिक विकास खंडों की लागत या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों की ? किन खंडों की लागत ? ये भिन्न भिन्न खंड हैं ।

श्री अजित सिंह : मैं जान सकता हूं कि ये योजनायें कब आरम्भ की गई थीं और इनके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

श्री हाथी : पहले खंड अक्टूबर १९५२ में शुरू किये थे; दूसरे १९५३ में और राष्ट्रीय विस्तार खंड १९५३ में ।

महानदी पर पुल

*११०३. **श्री एस० एन० मिश्र :** (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि महानदी पर हीराकुड बांध के निकट एक रेल व सड़क का पुल बनाने के सम्बन्ध में हिसाब की देखभाल करने के लिये जो जांच समिति बनाई गई थी क्या उसने अपनी जांच पूरी कर ली है ?

(ख) यदि हां, तो उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; इस रिपोर्ट को तथा इसमें की गई सिफ़ारिशों पर सरकार के फ़ैसलों को यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या समिति द्वारा किसी अनियमितता का पता लगाया गया है ।

श्री हाथी : अभी मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार कोई फ़ैसला करने से पहले इस समिति की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के आगे रखने का विचार करती है क्योंकि यह समिति लोक लेखा समिति की सिफ़ारिश के फलस्वरूप ही बनाई गई थी ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं ऐसा किया जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : तो क्या यह समझ लिया जाये कि सरकार लोक लेखा समिति की प्रतिक्रिया जान लेने के बाद ही अपने विचार सदन पटल पर रखेगी ?

श्री हाथी : इस पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

*१११९. **श्री गिडवानी : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बनी विस्थापित व्यक्तियों की छः श्रेणियों से क्षतिपूर्ति के लिये अब तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में निबटारा अधिकारियों (सेटिलमेन्ट आफ़ीसर्स) को जो काम सौंपा गया था, क्या वह पूरा हो गया है; तथा

(ग) क्षतिपूर्ति कब से दी जाने लगेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर बनी पांच श्रेणियों से ५१,६०८ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) लगभग ३७,००० प्रार्थना-पत्रों की प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है ।

(ग) दिल्ली में पात्र व्यक्तियों को भुगतान २८ नवम्बर को शुरू हो गया था । अन्य दो स्थानों में यानी जालंधर और बम्बई में भुगतान जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री गिडवानी : यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन : मैं कोई तारीख़ नहीं बता सकता कि यह कब तक पूरा हो जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : इन दरख्वास्तों में से पश्चिमी पाकिस्तान की कितनी दरख्वास्तें हैं और पूर्वी पाकिस्तान की कितनी हैं?

श्री ए० पी० जैन : ये सब पश्चिमी पाकिस्तान की हैं ।

हज़रत कुतुबुद्दीन का उर्स

***१११०. श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वार्षिक उर्स में भाग लेने के लिये १९५३ में कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत आये ?

(ख) इस उर्स में आने वाले पाकिस्तानी यात्रियों की सुविधा के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया था ?

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) से (ग). इस वर्ष हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वार्षिक उर्स २१ से २८ नवम्बर तक हुआ था। उर्स में ११ पाकिस्तानी नागरिकों ने भाग लिया था ।

यात्रियों के लिये पंजाब (भारत) और दिल्ली की सरकारों ने निम्नलिखित प्रबन्ध किये थे :

(१) जब तक यात्री भारत में रहे उनको पुलिस का संरक्षण दिया गया;

(२) मक़बरे की हद में उनके रहने की व्यवस्था ;

(३) अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर तक रेल में आने-जाने का प्रबन्ध;

(४) मोटर में आने जाने का प्रबन्ध; और

(५) खाने की व्यवस्था ।

इस वर्ष उनके आने पर जो खर्च हुआ उसके ठीक ठीक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। सवारी और खाने का खर्चा खुद यात्री देते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : जैसा कि अच्छा इन्तज़ाम भारत सरकार ने पाकिस्तान यात्रियों के लिये किया था, क्या ऐसा ही सुन्दर इन्तज़ाम साधु मेला आश्रम में जाने वाले हिन्दू यात्रियों के लिये करने के लिये वह पाकिस्तान सरकार पर ज़ोर देगी ताकि वहां भी ऐसा अच्छा इन्तज़ाम हो सके ?

श्री सादत अली खान : जी हां ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी

***१११२. श्री रिशांग किशिंग : प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के प्रशासकों ने डिब्रूगढ़ में दो स्टडीबेकर "पिक-अप" गाड़ियां तथा तार का रस्सा ख़रीदा था; तथा

(ख) यदि हां, तो "पिक-अप" गाड़ियों और तार के रस्से को खरीदने के क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) १९५१ में डिब्रूगढ़ में दो स्टूडीबेकर "पिक-अप" गाड़ियां यातायात मंत्रालय (सड़क विभाग) की अनुमति प्राप्त करके ख़रीदी गई थीं ।

रसद तथा उत्सर्जन विभाग नई दिल्ली के महा-निदेशक की अनुमति प्राप्त करके कुछ तार का रस्सा भी ख़रीदा गया था ।

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजन्सी में आने जाने की बड़ी कठिनाई है और यातायात

के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं। पिक-अप गाड़ियां सड़क के काम के लिये ख़रीदी गई थीं। तार का रस्सा झूले वाले पुलों के लिये ख़रीदा गया था। ख़रीदने से पहले सारे रस्से की अलीपुर स्थित सरकारी परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा की गई थी।

श्री रिशांग किशिंग : इन चीजों के ख़रीदने में कितना रुपया लगा ?

श्री जे० एन० हजारिका : दो पिक-अप गाड़ियों के ख़रीदने में २७,८०० रुपये लगे। तार का रस्सा ख़रीदने में वर्ष १९५२–५३ में ५,००० रुपये और १९५३–५४ में ७१,१६० रुपये ख़र्च हुए।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच है कि ये चीज़ें बेकार पड़ी हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है।

पैप्सू में विस्थापित व्यक्ति

*१११३. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पटियाला, नाभा, भटिंडा और संगरूर के विस्थापित व्यक्तियों की कठिन स्थिति के बारे में ज्ञान है, जिसे वर्तमान परामर्शदाता के ध्यान में भी लाया गया है ?

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस दिशा में क्या क़दम उठाये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). पटियाला, नाभा और संगरूर में विस्थापित व्यक्तियों की मकान सम्बन्धी कठिनाइयां सरकार के ध्यान में लाई गई हैं और इस विषय में परामर्शदाता के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि परामर्शदाता के शासन काल से पूर्व विस्थापित व्यक्तियों को कितनी राशि दी गई ?

श्री ए० पी० जैन : प्रतिवर्ष राशियों की मंजूरी दी गई है। यदि माननीय सदस्य नियमित रूप से प्रश्न की सूचना दें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि कुछ कारणों से उस समय की सरकार ने सहायता बन्द कर दी थी जबकि विस्थापित व्यक्तियों में इसका वितरण किया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि क्या आप यह पूछताछ करेंगे कि ये बातें कहां तक ठीक हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न मुझ से किया है और मैं पूछताछ नहीं करूंगा।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को विदित है कि बहावलपुर के शरणार्थी पटियाला में कितनी भयावह स्थिति में रह रहे हैं ? सरकार उन्हें सहायता देने के लिए किन उपायों को अपना रही है ?

श्री ए० पी० जैन : हमने पटियाला के ठीक समीप त्रिपुरी नाम का उप-नगर बनाया है। उस उप-नगर में बहुत से विस्थापितों को बसाया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से निष्क्रान्त गृह जो अच्छी स्थिति में हैं उन्हें दिये गये हैं। कुछ ऐसे विस्थापित व्यक्ति हैं जो बुरी हालत में रह रहे हैं। मैंने जैसा प्रमुख प्रश्न के उत्तर में कहा है हम उनके लिए घरों का प्रबन्ध करने के लिए योजनाओं पर विचार कर रहे हैं।

श्री अजित सिंह : क्या मैं उन शरणार्थियों की संख्या जान सकता हूं जो पैप्सू में पुनः

बसाये गये हैं और पैप्सू में शरणार्थियों ने कितने दावे किये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान् यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस में पटियाला समाविष्ट है। वे पूर्व सूचना चाहते हैं। अगला प्रश्न।

बर्नपुर कारखाना में हड़ताल

***१११४. श्री भागवत झा आज़ाद :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्नपुर आसनसोल में श्रमिकों द्वारा पुनः कार्य आरम्भ करने के पश्चात् लोहे तथा इस्पात के कारखाने का ठीक प्रकार से पूर्ण उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

(ख) हड़ताल काल में कार्य के कितने घंटों की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) क्योंकि कोई नियमित हड़ताल नहीं थी वरन श्रमिकों ने उत्पादन कम कर दिया था, इस कारण कार्य के घन्टों के हिसाब से हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जान सकता हूं कि इस उत्पादन घटाने की हड़ताल में लगभग क्या हानि हुई है ?

श्री करमरकर : १९५२ में बिक्री के लिए सेमियों को मिला कर इस्पात का मासिक उत्पादन औसतन २४,६९२ टन था, उस के आधार पर १–१–५३ से ३०–९–५३ तक ८७,८४० टन उत्पादन की हानि हुई है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह तथ्य है कि उत्पादन घटाने की हड़ताल के पीछे राजनैतिक दल हड़ताल के लिये जोश दिला रहे थे ?

श्री करमरकर : मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जान सकता हूं कि क्या उन श्रमिकों को दैनिक मजूरी अथवा कुछ और दिया जाएगा, जिन्होंने उत्पादन घटाने की हड़ताल में भाग लिया था ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या कारखाने के पुनः कार्य आरम्भ करने के पश्चात् से हड़ताल के कार्य के घंटों की हानि की पूर्ति उत्पादन द्वारा हो गई थी ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि अन्तिम उत्पादन मध्यमान से कुछ अधिक है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि लगभग ८७००० टन इस्पात का मूल्य क्या है जिस की हड़ताल के कारण हानि हुई है ?

श्री करमरकर : इसे सुगमता से बिक्री के प्रकाशित मूल्य से गुणा किया जा सकता है।

पंच वर्षीय योजना प्रचार

***१११५. श्री भागवत झा आज़ाद :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ की "भारत में उत्तर-प्रदेश" प्रदर्शनी में, देहली में कम मूल्य के घरों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में और इलाहाबाद के कुम्भ मेले में योजना आयोग अपने स्टाल बना रहा है ?

(ख) क्या सरकार ग्रामों में पंच वर्षीय योजना का प्रचार करने का विचार रखती है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां श्रीमान्, प्रदर्शनी विभाग ने लखनऊ की "भारत में उत्तर प्रदेश"

पंच वर्षीय योजना का स्टाल लगा कर भाग लिया था, इसी प्रकार देहली में कम मूल्य के गृहों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने का विचार है। मेले के स्टेशनों में से एक पर पंचवर्षीय योजना की प्रदर्शनियों को ले जाने वाली रेलवे की प्रदर्शनी गाड़ियों को ले जाने के अतिरिक्त इलाहाबाद के कुंभ मेला के लिए विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) जी हां, गांवों में पंचवर्षीय योजना का प्रचार चलते फिरते विभागों द्वारा किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों में इस प्रचार के लिए कुछ राशियां अलग रखी गई हैं ?

डा० केसकर : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों का विशेष विभाजन नहीं किया गया परन्तु राशि का बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किया जाएगा न कि शहरी क्षेत्रों पर।

श्री भागवत झा आज़ाद : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि यह हो रहा है। पंचवर्षीय योजना को गांव में ले जाने के लिये सरकार ने अब तक क्या ढंग अपनाए हैं ?

डा० केसकर : अनुपूरक अनुदानों की विस्तृत चर्चा में वे ढंग व्यक्त किये हैं जिन द्वारा हम पंचवर्षीय योजना का प्रचार गांव में करना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उन्हें दोहराऊं तो यदि वे प्रश्न पूछें तो मैं विवरण रखने के लिए तैयार हूं।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्योंकि मैं गांव का हूं और मैं ने कुछ नहीं देखा, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक गांवों में योजना को लोक प्रिय बनाने के लिए क्या पग उठाए गये ?

डा० केसकर : इन्होंने अपने गांव में कुछ नहीं देखा होगा। मुझे खेद है कि उसे अभी तक इस में समाविष्ट नहीं किया गया, परन्तु प्रश्न यह है कि हम अभी केवल कार्य आरम्भ कर रहे हैं और देश में लाखों गांव हैं। यह बहुत सम्भव है कि उन में से बहुत को शीघ्र इस का ज्ञान न हो, परन्तु वह देखेंगे कि और अधिक प्रगति होगी और प्रचार कार्य को गति मिलेगी।

विदेशी तथा भारतीय संयुक्त समवाय

*१११७. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि वे विदेशी समवाय जिन्होंने भारतीय समवायों के साथ संयुक्त कार्य आरम्भ किया है आरम्भ से अन्त तक उत्पादों का विशेषत: रंगों, औषधियों, एंटी-ब्योटिक और इंजीनियरिंग उद्योग में, निर्माण नहीं करते वरन वे केवल आयात किये गये पुर्जों को जोड़ते हैं या आयात सामग्री पंज को यथा स्थिति छोटे डिब्बों में बन्द करते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (डा० करमरकर) : मैं प्रश्न का सकारात्मक उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि प्रश्न में उस विशेष समवाय अथवा समवायों की ओर निर्देश नहीं किया गया जिन पर प्रभाव पड़ा है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन में भारतीय समवाय विदेशियों की सहायता से रसायनिक उद्योगों अर्द्ध-निर्मित औषधियां तैयार करते हैं और इंजीनियरिंग उद्योगों में कहीं और बने हुए पुर्जों का प्रयोग करते हैं। परन्तु मैं इस प्रकार के सामान्य वक्तव्य का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री गिडवानी : श्रीमान् प्रश्न १११६ के सम्बन्ध में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे लूंगा।

डा० अमीन : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ भारतीय सार्थ जो स्वयं स्वदशी

समवायों के समक्ष जीवित नहीं रह सकते केवल विदेशी सार्थ के व्यापारिक नाम का उपयोग प्राप्त करने के लिए विदेशी समवायों के साथ गठजोड़ कर लेते हैं ?

श्री करमरकर : हमें ऐसे उदाहरणों का पता नहीं, परन्तु यदि हमें ऐसे उदाहरणों का पता लगा तो हम उन्हें प्रोत्साहन नहीं देंगे।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उन शर्तों की जांच करने के लिए कोई पग उठाए हैं जिन के अधीन विदेशी तथा भारतीय समवायों के बीच सहायता सम्बन्धी करार किये जाते हैं?

श्री करमरकर : सरकार उन्हें स्वीकृति देने से पूर्व करारों की प्रत्येक स्थिति में उन की सदा जांच करती है।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि सरकार पूंजी वस्तुओं के उद्योगोंके निर्माण के लिए जिन द्वारा उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उद्योग निर्मित होंगे क्या पग उठा रही है ?

श्री करमरकर : हम परिस्थितियों के अधीन सब संभव पग उठा रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान् क्या यह तथ्य है कि कतिपय भारतीय सार्थों को विदेशी सार्थों के साथ इन वस्तुओं के निर्माण के लिए संयुक्त कार्य करने की अनुमति दी गई थी जब कि कुछ भारतीय सार्थ उन वस्तुओं को यहां उत्पादित करना चाहते थे परन्तु उन्हें अनुमति नहीं दी गई ?

श्री करमरकर : यह अस्पष्ट प्रश्न है परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशेष उद्योग के बारे में प्रश्न प्रस्तुत करें तो मैं अवश्य पूछताछ करूंगा।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि क्या ये सहायता सम्बन्धी समझौते जो हमारे साथ कर रहे हैं हमारे देश के लिए क्षतिप्रद नहीं होंगे ?

श्री करमरकर : कोई सहायता सम्बन्धी समझौते नहीं हैं। वे प्रमुख समझौते हैं।

बनावटी पैट्रोल का कारखाना

*१११६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह एक तथ्य है कि सरकार ने बनावटी पैट्रोल का कारखाना स्थापित करने का फैसला किया है ?

(ख) इस की लागत कितनी होगी ?

(ग) इसे कहां स्थापित किया जायगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) भारत में बनावटी पैट्रोल का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). यह प्रस्ताव अभी विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है तथा इस बारे में सूचना उस समय उपलब्ध होगी जब कि योजना के सम्बन्ध में नवीनतम अध्ययन पूरा हो जायगा।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति के सभापति डा० साहा ने कोयले से व्यापारिक आधार पर बनावटी पैट्रोल के तैयार करने का एक एकस्व बनाया था जिस का व्यापार प्रयोजनों से लाभ उठाया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस समय कोई ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि उन्हों ने सरकार के सामने एक योजना रखी थी, परन्तु उन से उपेक्षा का व्यवहार किया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्री साहा ने प्रायः पत्र लिखे हैं जिनमें विभिन्न सुझाव दिए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं तथा कुछ बुरे हैं।

श्री गिडवानी : इन सुझावों का क्या बना ? क्या विशेषज्ञों ने उन की छानबीन की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सभी अच्छे सुझावों की छानबीन की गई है तथा प्रथम तो प्रत्येक सुझाव की छानबीन की जाती है । इस बनावटी पैट्रोल के मामले की विशेषत: बड़े विस्तार से छानबीन की गई है। वास्तव में इस की छानबीन ही नहीं की गई, बल्कि योजनायें भी तैयार की गई थीं, परन्तु व्यय के बहुत अधिक होने से इसे आरम्भ नहीं किया गया । मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसे त्याग दिया गया है, परन्तु अभी इसे आरम्भ नहीं किया जा रहा ।

श्री सारंगधर दास : क्या उड़ीसा के तल्छर कोयले से बनावटी पैट्रोल के तैयार करने के सम्बन्ध में श्री विजयनन्द पटनायक के सुझाव पर विचार किया जायगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्री साहा तथा श्री पटनायक के सुझाव अब पुरानी बातें हो चुकी हैं । १९५२ के आरम्भ में हमें इस उद्योग पर एक रिपोर्ट मिली, परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम उस में प्रगति नहीं कर सके । इस मामले को स्थगित कर दिया गया था, परन्तु अब सारे मामले को फिर से आरम्भ कर दिया गया है तथा इस समय प्रारम्भिक विचार हो रहा है । शीघ्र ही शायद हम दो या तीन सार्थों को नई योजना सम्बन्धी रिपोर्टों के देने के लिए कह सकेंगे तथा जब ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होंगी तो हम इस बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में और ध्यान देंगे ।

कारें जोड़ने वाले सार्थ

*१११८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कारें जोड़ने वाले सार्थों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उन में से कितने सार्थ बन्द हो जाने वाले हैं ?

(ग) उन के संकल्पित बन्द हो जाने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सात ।

(ख) सात में से पांच सार्थों के अगले वर्ष के मध्य में बंद हो जाने की सम्भावना है । शेष के दो जीप गाड़ियों के जोड़ने का काम करते हैं तथा वे ऐसा करते रहेंगे ।

(ग) सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में केवल उन्हीं सार्थों को मोटर गाड़ियों के क्रय आदेशों का देना स्वीकार किया है जिन के सामने निर्माण का कोई कार्यक्रम है । अतएव केवल जोड़ने के काम को करने वाले सार्थों को अपना काम बन्द कर देने के लिये कहा गया है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या इस विषय में सरकार का अपना कोई अनुमान है कि कोई मोटर निर्माण व्यवसाय लाभदायक होने के लिये कम से कम कितनी मोटर गाड़ियां बेची जानी चाहियें ?

श्री करमरकर : यह बात सम्बन्धित सार्थ तथा मोटर गाड़ियों के विशिष्ट प्रकारों पर निर्भर करती है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जोड़ने वाले व्यवसाय को मितव्ययता से चालू रखने के लिए कम से कम कितनी निर्माणक्षमता की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : मुझे इस की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सत्य है कि यातायात की गाड़ियों तथा पैट्रोल पर कर के अधिक होने से इस देश में गाड़ियों की मांग कम हो गई है तथा यदि ऐसा है तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह तो किसी उद्योग विशेष के बारे में तर्क उपस्थित करना है ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि इस नीति के फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेकार हो गए हैं तथा सरकार का इस बारे में क्या विचार है तथा बेकार व्यक्तियों के सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री करमरकर : बेकार व्यक्तियों की संख्या क्रमशः थोड़ी सी बढ़ेगी, परन्तु हम उन्हें विद्यमान सार्थों में लेने का यत्न करेंगे।

श्रीमती ए० काले : कितने कर्मचारी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या जोड़ने वाले सार्थों को कारोबार तुरन्त बन्द करने के आदेश दिये गये हैं अथवा उन्हें ऐसा करने की कोई तिथि दी गई है ?

श्री करमरकर : तुरन्त तो नहीं, परन्तु १९५४ के मध्य तक ।

कपड़ा मिलों में तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध

*११२०. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संस्था से सूती मिलों में तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई प्रस्तावना प्राप्त हुई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इन तालाबन्दी की घटनाओं के फलस्वरूप बेकारी को दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां। इण्डियन नैशनल टैक्स्टाइल वर्कर्स फेडरेशन अहमदाबाद से ऐसी एक प्रस्थापना प्राप्त हुई थी जिस में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार इस अभिप्राय के अनुदेश जारी करे जिस से कोई सूती मिल सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बन्द न हो सके।

(ख) एक अध्यादेश २४ अक्तूबर, १९५३ को प्रख्यापित किया गया था जिस में बेकार किए गए या छटनी किए गए मज़दूरों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

श्री बुच्चिकोटैय्या : मैं सन् १९५३ में तालाबन्दी की संख्या, जिस से प्रभावित मज़दूरों की संख्या और जितने दिनों की हानि हुई वह संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री करमरकर : सूती मिलों के संकट-कालीन समय में अर्थात दिनांक २१ अक्तूबर १९५३ को ४२ मिलों के बन्द होने और उस से ४२,७९१ मज़दूरों के अभावित होने का भय था। किन्तु उस समय वास्तविक रूप से कितने मज़दूर बेकार हुए इस के उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में सूती वस्त्र के मिल पहले ही बन्द हो चुके हैं और वृहद् संख्या में मज़दूर बेकार हो गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह के कार्यों को रोकने के लिये सरकार किन प्रस्तावों पर विचार कर रही है और उक्त मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री करमरकर : यदि मैं पहले के प्रश्न की ओर निर्देश करूं जो कि इस से सम्बन्धित भी है तो मैं बेकार हुए मज़दूरों की संख्या अभी बता सकता हूं—अनेक मिल बन्द हुए और बेकार होने वाले मज़दूरों की संख्या १४,७६४ थी ।

माननीय सदस्य ने अभी अभी जो प्रश्न पूछा है उस का उत्तर यह है कि वर्तमान अध्यादेश और इस विधेयक से, जब यह अधिनियम बन जायेगा तो, इस स्थिति का सामना किया जा सकेगा, क्योंकि जो मिल भी बन्द होगा उसे छटनी में निकाले गये या बेकार हुए कर्मचारियों को प्रतिकर देना पड़ेगा ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कुछ मिलों ने एक पारी बन्द कर दी है, और यदि हां, तो इस का श्रमिकों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : उन में से कुछ ने एक पारी बन्द की है, कुछ ने दो पारियां बन्द कर दी हैं और कुछपूर्ण रूप से बन्द हो गए हैं। जैसा कि मैं पहिले बतला चुका हूं मिलों के बन्द होने से १४,७६४ श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है ।

रबड़ के टायर

*११२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत में बने हुए टायरों का मूल्य घटाने के सम्बन्ध में कोई पग उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्, भारत में बने हुए रबड़ के टायरों और ट्यूबों का उचित विक्रय मूल्य निश्चित करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया है और उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह तथ्य है कि यद्यपि चार विभिन्न नामों से भारतीय टायर बेचे जाते हैं, फिर भी वे वास्तव में एक ही एकाधिकार द्वारा निर्माण किये जाते हैं ?

श्री करमरकर : उन का उत्पादन विभिन्न नामों पर किया जाता है, किन्तु एकाधिकार के बारे में मैं अनभिज्ञ हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक मूल्य तथा टिकाव का सवाल है, क्या भारतीय टायर इन्हीं साथों द्वारा उन के अपने देश में बनाये गये टायरों की बराबरी करते हैं ?

श्री करमरकर : हमारे टायर विदेशी टायरों की बराबरी करते

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि इन टायरों के यहां बनाये जाने पर भी टायर बदलते समय इसी प्रकार के विदेशी टायरों का प्रयोग निरन्तर हो रहा है, यद्यपि सरकार की नीति इस प्रकार के टायरों के आयात को, जब कि उन का निर्माण स्वयं हमारे ही देश में होता है, रोकने का है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मैं प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य फिर प्रश्न करेंगे ?

सरदार हुक्म सिंह : हमारे देश में ये चार समवाय टायरों का निर्माण कर रही हैं। उन के संयन्त्र इंगलैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका, तथा फ्रांस में भी हैं। आरम्भ में, जब मोटर कारें देशीय टायरों सहित बेची जाती हैं, तो वही समवाय उन्हें विदेशी टायरों से बदल देने को तैयार रहती हैं । क्या सरकार ने इन समवायों को उन टायरों का आयात करने की अनुमति दे दी है ?

श्री करमरकर : आयात सम्बन्धी हमारी नीति यह रही है कि "ज्याएंट" तथा अन्य टायरों, जो भारत में नहीं बनाये जाते हैं, के कुछ आकारों का आयात करने के लिये पुराने आयात कर्ताओं को केवल १०० प्रतिशत कोटा की दर से अनुज्ञायें दी जाती हैं। देश में निर्माण होने वाले टायरों के सम्बन्ध में हम आयात को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि "मिचेलिन" टायर यहां बने इसी प्रकार के टायर, जिस का आकार ३४×७×१० होता है, की अपेक्षा दुगना दूर चलता है तथा कहीं अधिक सस्ता होता है ?

श्री करमरकर : यह उस धरती पर निर्भर करता है जिस पर कार चलती है। अन्यथा हमारे टायर पूर्णतया सन्तोषजनक

"टिटेनियम"

*११२२. **कुमारी एनी मस्करीन :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औद्योगिक वित्त निगम ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में टिटेनियम के उत्पादनों के लिये कोई ऋण देना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : हां, श्रीमान् ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने समवाय के खातों की परीक्षा की थी और उस के असफल होने के कारणों की जांच की थी ?

श्री करमरकर : हां श्रीमान् ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं असफलता के कारण जान सकती हूं ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मैं ने शब्द "असफलता" को अच्छी तरह न सुना था। मैं ने समझा था कि प्रश्न यह है कि क्या वे इस पर विचार कर रहे हैं। तथ्य यह था कि २० लाख के ऋण के लिये प्रार्थना की गई थी। मन्त्रालय में हम ने १५ लाख रु० तक की मांग की पुष्टि की। वास्तव में, संक्षिप्त में सारे मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि अब मामला विचाराधीन है। मेरा ख्याल है कि औद्योगिक वित्त निगम ने २१ नवम्बर, १९५३ को अचल आस्तियों की प्रतिभूति पर १५ लाख रु० का ऋण देने का निश्चय किया था, और ६ लाख रु० दे दिया गया है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि १५ लाख रु० को घटा कर ६ लाख रु० क्योंकर दिया गया है ?

श्री करमरकर : यह कोई कमी नहीं है, परन्तु अधिक जांच होने तक, हम ने समस्त ऋण पूरा करने के लिये ६ लाख रु० पहिले ही दे दिया है ।

श्री वी० पी० नायर : इस दृष्टि से कि निर्माणशाला में उत्पन्न की गई 'टिटेनियम डाईओक्साइड' बड़ी महंगी होती है, और इस दृष्टि से भी कि निर्माणशाला लाभदायक आधार पर नहीं चल रही है, मैं जान सकता हूं कि क्या समवाय को दिये गये १५ लाख रुपये से गंधक के तेजाब को फिर से प्राप्त करने के लिये एक निर्माणशाला भी स्थापित की जायेगी ?

श्री करमरकर : गंधक के तेज़ाब की प्राप्ति के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

"इलमेनाइट" का निर्यात

*११२३. **कुमारी एनी मस्करीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५३ से किसी भी विदेशी समवाय को त्रावनकोर-कोचीन राज्य से 'इलमेनाइट' का निर्यात करने के लिये अनुज्ञा दी जाती है ?

(ख) यदि हां तो किस को ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां ।

(ख) मैसर्स होपकिन एण्ड विलियम्स ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि उद्योग को तटकर-रक्षा दी जाती है, और क्या 'इलमेनाइट' के निर्यात से स्पर्धा बढ़ेगी ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि 'इलमेनाइट' के निर्यात से स्पर्धा में वृद्धि हुई है ।

कुमारी एनी मस्करीन : देश की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से क्या सरकार के पास इस उद्योग को विशाल रूप में विकसित करने की कोई योजना है ?

श्री करमरकर : आजकल, अणु-शक्ति अधिनियम की दृष्टि से, गहरी छानबीन तथा स्वीकृति के पश्चात, सरकार ने मात्रायें

निश्चित कर दी हैं। निर्यात होने वाले 'इलमेनाइट' में ०·१ प्रतिशत तक 'मोनाज़ाइट' की अनुमति है। 'इलमेनाइट' की अन्य प्रकारों का निर्यात हो रहा है क्योंकि अभी उन्हें अधिक आवश्यक नहीं समझा जाता है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को विदित है कि इन विदेशी समवायों को अनुज्ञायें देने से इस उद्योग को दी गई तटकर-रक्षा समाप्त होती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री मेघनाद साहा : क्या मैं जान सकता हूं कि 'मोनाज़ाइट' का निर्यात करने की अनुमति क्यों दी जाती है जब कि हम यह पूर्णतया जानते हैं कि इस में 'युरेनियम', 'थोरियम' तथा अन्य विस्फोटीय पदार्थ होते हैं जो अणु-शक्ति के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न पर बड़ी ही सावधानी से उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है, और यह मैं पहिले कह चुका हूं कि केवल उसी प्रकार को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जो हमारे लिये आवश्यक नहीं होती है। दूसरी सुरक्षित रखी जा रही है।

श्री मेघनाद साहा : क्या किसी ऐसी वस्तु के निर्यात करने की अनुमति देना अणु-शक्ति अधिनियम के विरुद्ध नहीं है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अणु-शक्ति अधिनियम सरकार को निर्यात बन्द करने का अधिकार देता है परन्तु जहां वे किसी ऐसी वस्तु के विनिमय में इसका निर्यात करना आवश्यक समझते हैं जिसे हम चाहते हैं, वहां वे सीमित निर्यात के लिये आज्ञा पत्र अथवा अनुज्ञा दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री मेघनाद साहा : मैं जान सकता हूं कि निर्यात के लिये अनुमति क्यों दी जाती है . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न ।

उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम

*११२४. **डा० अमीन** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम में "पर्याप्त विकास" तथा "नवीन अनुच्छेद" से ठीक परिभाषायें न होने के कारण बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इन दोनों शब्दों की ठीक परिभाषायें देने अथवा इन के अर्थों का स्पष्टीकरण करने वाले नियम बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्। किसी भी विशेष घटना की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्पन्न ही नहीं होता है।

डा० अमीन : मैं जान सकता हूं कि यह निश्चय करने के लिये किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि क्या कोई विशेष विकास पर्याप्त विकास है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिनियम सर्वथा स्पष्ट है और यही मत औद्योगिक विकास परिषद् का भी था।

ठेला-निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिये योजना

*११२६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अंग्रेजी फर्म ने भारत में ठेला-निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने योजना पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अंग्रेजी सार्थों के दो प्रस्ताव हैं।

(ख) इन पर विचार हो रहा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं ये योजनायें प्रस्तुत करने वाली अंग्रेजी सार्थों के नाम जान सकती हूं ?

श्री करमरकर : पहिले का नाम है, मैसर्स सेडन मोटर्स लि० (यू० के०) जिन्होंने भारी भूदान के सेडन ठेले बनाने के लिये प्रस्ताव दिया है। दूसरा मैसर्स लेलैण्ड मोटर्स लि० का है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं अनुमानित पूंजी, तथा स्थान, जहां कारखाना स्थापित होगा, जान सकती हूं ?

श्री करमरकर : यह अभी विचाराधीन है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या इस में कुछ भारतीय पूंजी भी सम्मिलित है, यदि हां तो इस का अनुपात क्या होगा ?

श्री करमरकर : इन विदेशी सार्थों का भारतीय उद्योगों से सम्बन्ध है।

सिन्धू पुनर्वास निगम

*११२७. **श्री के० सी सोधिया** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्धू पुनर्वास निगम की प्राप्त पूंजी क्या है ?

(ख) सम्पूर्ण पूंजी में सरकार की पूंजी का क्या अनुपात है ?

(ग) अब तक इस निगम ने क्या काम किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) ३१ मार्च १९५३ को १,३२,२२,५०० रु० थी।

(ख) जारी की हुई पूंजी का २५ प्रतिशत।

(ग) निगम गांधीधाम (कच्छ) में एक उप-नगर विस्थापित व्यक्तियों के लिये बना रहा है। उन्हों ने स्थान ठीक कर लिया है और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है जैसे सड़कें, नालियां, पानी की व्यवस्था आदि। इस के अतिरिक्त, निगम ने एक हाई स्कूल, तीन प्राइमरी स्कूल, चिकित्सालय, यान्त्रिक कारखाने, एक विद्युत शक्ति-ग्रह, तथा पोले ईंटों एवं आर० सी० सी० के नल व खम्बों की निर्माण-शालाओं का निर्माण किया है।

सरकार की वैत्तिक सहायता से निगम ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये ४०७२ घर तथा ४४६ दुकानें भी बनाई हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह निगम आत्मनिर्भर है या घाटे पर चल रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे निगम के लेखे का ज्ञान नहीं है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह केवल कालावधिक रिपोर्टें जारी करता है ?

श्री ए० पी० जैन : स्पष्ट है कि प्रत्येक कम्पनी या निगम जो कि भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है, कालावधिक रिपोर्टें जारी करता है।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह सदन पटल पर रखी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शांन्ति। क्या माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के बाद अपने स्थान पर बैठ जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : यह एक निजी निगम है, जिस में हम हिस्सेदार हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : चूंकि सरकार ने जारी की हुई पूंजी का २५ प्रतिशत भाग इस निगम में विनियोजित किया है, क्या सरकार उस के सन्तुलन-पत्र तथा हानि-लाभ लेखे की जांच करती है ?

श्री ए० पी० जैन : संचालक-बोर्ड में हमारा अपना प्रतिनिधि है जो हमारे हितों का पर्याप्त ध्यान रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह एक निजी सीमित कम्पनी है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

मद्रास में सिंचाई योजना

*११२८. **श्री मुनिस्वामी :** (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो मद्रास राज्य में कौन सी नई योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) (१) अमरावती रिज़रवायर योजना ।

(२) वैगाई योजना ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि अतिरिक्त आवंटन की राशि क्या है ?

श्री हाथी : वैगाइ के लिए २५० लाख रुपये हैं और अमरावती के लिए २७० लाख रुपये ।

श्री मुनिस्वामी : मद्रास ने कितनी योजनाएं प्रस्तुत की थीं और कितनी अनुमोदित की गई थीं ?

श्री हाथी : पांच प्रस्तावित की गई थीं; दो की मंजूरी दी गई है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं से कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की आशा है ?

श्री हाथी : पहली योजना में १७,००० एकड़ और दूसरी में १५,००० एकड़ ।

श्री नानादास : क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ दिया था, उस संयुक्त मद्रास सरकार ने आंध्र बनने से पहले ही खर्च कर दिया था ?

श्री हाथी : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह १९५३ में बड़े सिंचाई कार्यों के लिए किये गये आवंटन के अतिरिक्त है ?

श्री हाथी : जी हां । यह अतिरिक्त है ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*११२९. **श्री राम जी वर्मा :** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ के बाद से विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण की कितनी राशि ऐसी है, जिसे वे अपने कारबार के असफल हो जाने के कारण वापस नहीं कर सके ?

(ख) इन ऋणों को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या तरीके अपनाए हैं ?

(ग) क्या सरकार ऋण देने से पहले इस बात की जांच करती है कि क्या अभ्यर्थी द्वारा शुरू किये जान वाले कारबार के सफल होने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५२ के बाद से दिये गये ऋणों को चुकाने का समय नहीं आया ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां । राज्य सरकारें उपयुक्त आवश्यक जांच करने के बाद विस्थापित व्यक्तियों को ऋण वितरित करती हैं ।

श्री रामजी वर्मा : इन में से कम से कम कितने रुपये का लोन दिया गया होगा ?

श्री ए० पी० जैन : मैं समझता हूं कि शायद सौ रुपये या इस के लगभग दिया गया होगा ।

श्री रणदमन सिंह : क्या इस कर्ज़े की वसूली में कुर्की भी होती है ?

श्री ए० पी० जैन : हां, कभी कभी होती भी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कुल कितना रुपया दिया गया है और कितना सूद लिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : कुल लगभग ९·६ करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जिस में से ८ करोड़ और ८७ लाख रुपये वास्तव में दिये जा चुके हैं । सूद की दर समय समय पर उन दर के अनुसार जिस पर सरकार बाज़ार से ऋण लेती है बदलती रहती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती थी कि क्या सूद की कोई एक दर है ?

श्री ए० पी० जैन : एक वर्ष के लिए एक ही सूद की दर होती है ।

विस्थापित व्यक्ति

*११३०. **श्री गिडवानी :** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार न बम्बई सरकार को यह आदेश जारी किये हैं कि किन्हीं नये विस्थापित व्यक्तियों को तब तक भिक्षादान न दिया जाय, जब तक कि उन सब व्यक्तियों को जो अब आश्रमों और रुग्णालयों के बाहर भिक्षादान ले रहे हैं इन आश्रमों और रुग्णालयों में दाखिल नहीं कर लिया जाता ?

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि नये भिक्षादान उन लोगों को दिये जाते हैं जिन की स्थिति बहुत गम्भीर होती है और वह भी तब दिये जाते हैं जब कि वे व्यक्ति आश्रमों या रुग्णालयों में भेजा जाना मंजूर कर लेते हैं ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ये आदेश रद्द किये जा चुके हैं ।

(ख) लगभग ६,८०० ।

(ग) नये भिक्षादान उन लोगों को दिये जाते हैं, जो कि सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई श्रेणियों के अन्दर आते हैं और अन्य मामलों में, उन को किसी आश्रम या रुग्णालय में जाना पड़ता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री गिडवानी : क्या आदेशों का निरसन कर दिया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां ।

ट्रैक्टरों का आयात

*११३१. **श्री जी० पी० सिन्हा :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में और १९५३–५४ में भारत में कितने ट्रैक्टर आयात किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५२–५३ में १,२२७ ट्रैक्टर आयात किये गये थे और अप्रैल-सितम्बर १९५३ में २,३१८ ट्रैक्टर आयात किये गये थे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : कौन सी फ़र्मों को ट्रैक्टर आयात करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे ?

श्री करमरकर : मेरे पास यह जानकारी नहीं है; न ही फ़र्मों के नाम बताना हमारी नीति है ।

श्री भागवत झा : क्या सरकार को विदित है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन आयात किये हुए ट्रैक्टरों के पुर्जे नहीं मिलते, इन में से अधिकांश चलाने के बाद खराब या बेकार हो जाते हैं ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान् हमारी यह जानकारी नहीं है । हम ने इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा है कि पुर्जे मिल सकें । किन्तु यदि माननीय सदस्य हमें ऐसा कोई मामला बतायें जो वे जानते हैं, तो मैं आभारी हूंगा ।

श्री कासलीवाल : क्या आप बता सकेंगे कि १९५२–५३ और १९५३–५४ में आयात किये गये ट्रैक्टरों की कुल लागत क्या है ?

श्री करमरकर: श्रीमान, जैसा कि मैं ने कहा था १९५२–५३ में हम ने १,२२० ट्रैक्टर आयात किये थे और इन की लागत ११८, ७९,५७१ रुपये थी । सन् १९५३–५४ में कुल २,३१८ ट्रैक्टर आयात किये गये थे और इन का मूल्य १७८,२१,८७८ रुपये था । यह सीमा शुल्क के विवरण के अनुसार है ।

श्री एस० एन० दास : आयात किये हुए ट्रैक्टरों में से कितने सरकार की ओर से मंगवाए गये थे और कितने निजी व्यक्तियों द्वारा ?

श्री करमरकर : मुझे इस के लिये पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्री मेघनाद साहा: इन में से कितने प्रतिशत ट्रैक्टर काम कर सकते हैं और कितनों की मरम्मत हो रही है ?

श्री करमरकर : इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने से समय और श्रम तो अधिक लगेगा, किन्तु इस से उतना लाभ नहीं होगा ।

श्री सारंगधर दास : आयात किये हुए ट्रैक्टरों में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें पुराने ट्रैक्टरों के बदले प्रयोग किया जायेगा और भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य को बढ़ाने के लिए कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर: हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

हाथ कर्घा उद्योग

*११३२. **श्री बी० सी० दास: वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में हाथ कर्घा उद्योग के लिए अधिकतम अनुदान निश्चित कर दिये हैं और यदि हां, तो इन की राशियां क्या हैं;

(ख) अनुदानों की अधिकतम सीमाएं किस आधार पर निश्चित की गई हैं;

(ग) क्या वे अनुदान जो कि राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं को ध्यान में रख कर दिये गये हैं उन के लिए निश्चित अधिकतम अनुदानों से कम है और यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है; तथा

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी जिस में प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की संख्या और उन में से स्वीकार की गई योजनाओं की संख्या बतलाई गई हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य का ध्यान "दी आल इण्डिया हैंडलूम बोर्ड––एब्रीफ सर्वे"

पत्रिका के परिशिष्ट १३ के पैरा ३ (६) की ओर और परिशिष्ट १५ की ओर दिलाया जाता है इस की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्। यह इस लिए क्यों कि सब योजनाएं बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं। सम्बन्धित राज्यों से कहा गया है कि वे शेष राशि पूरी करने के लिए और योजनाएं भेजें।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

श्री बी० सी० दास: विवरण में बतलाया गया है कि उड़ीसा सरकार ने १७ योजनाएं प्रस्तुत की थीं जिस में से १० योजनाएं स्वीकार कर ली हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने अस्वीकृत योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं भेजी हैं ?

श्री करमरकर: हम ने उड़ीसा सरकार को नई योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा है, परन्तु मेरे विचार में उन्हों ने अभी तक भेजी नहीं। हो सकता है कि मेरी जानकारी ठीक न हो।

श्री बी० सी० दास: विवरण से ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों ने योजनाएं प्रस्तुत नहीं कीं। इन राज्यों से योजनाएं प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, जैसा कि मैं ने कहा है, हम ने सब सरकारों से अपनी योजनायें प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि वे अपनी सारी आवंटित राशि पूरी कर सकें।

श्री बी० सी० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या नई योजनायें प्रस्तुत करने के लिए कोई कालावधि निश्चित की गई है, जिस के बाद एक राज्य को दिया गया अनुदान कालातीत हो जायेगा ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान्। मेरे विचार में कोई कालावधि निश्चित नहीं की गई। हम ने उन से यथासंभव शीघ्र उत्तर देने के लिए कहा है। अनुदानों के कालातीत होने का प्रश्न ही नहीं है; हम चाहते हैं कि राज्य इस राशि का उपयोग करें।

श्री वी० पी० नायर: विवरण से ज्ञात होता है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा १३ योजनाओं में से केवल ७ की मंजूरी दी गई है और टिप्पणी स्तम्भ में कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं जान सकता हूं कि इन ६ योजनाओं का क्या हुआ है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, उन योजनाओं को स्वीकार नहीं किया गया। इस लिए उस स्तम्भ में कुछ नहीं लिखा हुआ।

पंडित एस० सी० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि ये योजनाएं हाथ कर्घा उद्योग के संरक्षण या विकास के लिए हैं और क्या राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान वापस किये जायेंगे या समाप्त हो जायेंगे ?

श्री करमरकर: यह अनुदान राज्य सरकारों को इसलिए दिये जाते हैं कि वे उन्हें उन योजनाओं पर खर्च कर सकें, जिन की हम ने स्वीकृति दी है।

राष्ट्रपति मार्ट के पास सरकारी इमारतें

***११३३. श्री बादशाह गुप्त:** क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रपति मार्ट के पास नई सरकारी इमारतें किस प्रयोजन से बनाई गई हैं; तथा

(ख) इन के निर्माण पर क्या व्यय हुआ है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) राष्ट्रपति की सम्पदा से सम्बन्धित पुलिस के १५ विवाहित

कान्सटबलों और २ विवाहित हेड-कान्स-टेबलों के आवास के लिये ।

(ख) लगभग ६०,००० रुपये ।

श्री बादशाह गुप्त : वे कब बन कर तैयार हुए थे और अब वे खाली क्यों पड़े हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि वे अभी रहने के लिये तैयार नहीं हुए हैं; अभी उन में कुछ काम शेष है ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अब और क्या काम शेष है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे खयाल में कुछ फिटिंग और बिजली लगाने का काम शेष है ।

कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस

*११३४. **श्री कक्कन :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को वह संकल्प मिला है जो कि नैशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में पुलवाया में हुए अपने सम्मेलन में पास किया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

वदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). जी नहीं, परन्तु सरकार ने समाचारपत्रों में इस संकल्प के सम्बन्ध में समाचार देखे हैं ।

श्री कासलीवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलवाया कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : वे कहीं और पूछ सकते हैं ।

आंध्र राज्य को ऋण

*११३५. **श्री विश्वनाथ रेडडी :** क्या **योजना** मंत्री य ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र राज्य को पांच करोड़ रुपये का ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) जो योजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है, उन की सूची योजना आयोग को दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सूची सदन पटल पर रख दी जायगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह वित्तीय सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई भट्टाचार्य समिति के प्रस्ताव के अनुसार दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त है ?

श्री हाथी : यह सहायता योजना आयोग के इस कार्यक्रम के अनुसार दी जा रही है कि कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की योजनाएं प्रारम्भ की जायं ।

नमक

*११३६. **श्री सी० आर० नरसिंहन :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मद्रास प्रान्तीय नमक उद्योगपति संघ के प्रधान की ओर से, मद्रास राज्य में नमक उद्योग और जहां कलकत्ते या विदेशों को या स्थानीय उद्योग-संस्थाओं को नमक भेजने की सुविधाएं नहीं हैं, वहां नमक के प्रमापीकरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्मरणपत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) मद्रास प्रान्तीय नमक उद्योगपति संघ का ११ नवम्बर, १९५३ का स्मरणपत्र मिला है । इस में और

बातों के अतिरिक्त यह प्रार्थना भी की गई है कि मनुष्यों के खाने के काम में आने वाले नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ९४ प्रतिशत से घटा कर ८५ प्रतिशत करने की अनुमति दी जाय। परन्तु इस में, "जहां कलकत्ते या विदेशों को या स्थानीय उद्योग-संस्थाओं को नमक भेजने की सुविधाएं नहीं हैं, वहां नमक के प्रमापीकरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला करने की आवश्यकता" के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया ।

(ख) इस अभ्यावेदन में, देश से बाहर नमक भेजने के लिए सुविधाओं के प्रबन्ध तथा ऐसे नमक को व्यवस्थापन भार से विमुक्ति के सम्बन्ध में जो प्रार्थना की गई थी, उस पर कार्यवाही की गई है और संघ को इस बात की सूचना दे दी गई है ।

(क) छोटे निर्माताओं को १० एकड़ की रियायत के पुनरीक्षण, (ख) आवश्यकता से अधिक उत्पादन के विनियमन, और (ग) कारखानों में माल सुरक्षित रखने की प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो प्रार्थना की गई है, उस पर विचार किया जा रहा है । बाकी बातों, अर्थात् गुण प्रकार नियंत्रण, नमक पर उप कर लगाये जाने आदि के सम्बन्ध में सरकार का विचार है कि इस बारे में उसे अपनी नीति बदलने का कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : दक्षिण में नमक उद्योग का कुछ भाग कुटीर उद्योग के रूप में चलता है, तो उस पर सरकार की वर्तमान कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बिना लाइसेंस वाले निर्माताओं के सम्बन्ध में हाल ही में स्थिति बदल गई है । अब इस उद्योग में यह प्रवृत्ति आ गई है कि बड़े बड़े व्यापारी नमक अधिनियम से बचने के लिये औरों की निर्धनता का अनुचित लाभ उठाते हैं और पास की भूमि उन के हाथ में आ जाती है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : क्या सरकार को मालूम है कि इन क्षेत्रों में इन कार्यवाहियों से कितनी बेकारी होगी और कितने लोगों को कम काम मिलेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : जी, नहीं । अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि देश में छोटे पैमाने पर नमक तैयार करने वालों की रक्षा के लिए, जिन्हें सदा ज़मींदार दबाया करते हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : माननीय सदस्य बारीकी में चले गए हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है कि छोटे पैमाने पर नमक तैयार करने वालों की रक्षा की जाय । १९४७ में नमक शुल्क के हटाए जाने वाले छोटे पैमाने पर नमक तैयार करने वालों को बिना लाइसेंस के नमक तैयार करने की अनुमति दी गई थी । आजकल भी यही नीति चालू है । परन्तु कुछ दोष आ गए हैं और सरकार इस बात पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि इन दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जाय जिस से कि छोटे पैमाने पर नमक बनाने के उद्योग की रक्षा हो और साथ ही इस की लाइसेंस प्राप्त नमक कारखानों के साथ टक्कर न हो ।

डा० लंका सुन्दरम् : अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया, उसी के आधार पर क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि विशाखापटनम् नगर में छोटे पैमाने पर नमक बनाने वालों की उपेक्षा की गई और एक ऐसे निर्माता को लाइसेंस दिया गया जिस का उस क्षेत्र में एकाधिकार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

पटसन पर निर्यात शुल्क

*११३७. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान गनी एसोसियेशन के श्री राम सुन्दर कनोरिया के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्हों ने २१ जुलाई, १९५३ को दिया था और जिस में उन्हों ने कहा था कि निर्यात शुल्क में कटौती किए जाने पर भी भारतीय पटसन विदेशी बाज़ार में पैर जमाने में असमर्थ रहा है, तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी, नहीं। फिर भी यदि यह वक्तव्य जुलाई, १९५३ में भी दिया गया हो तो, टाट पर निर्यात शुल्क २७५ रुपये प्रति टन से घटा कर १२०रुपये प्रति टन किये जाने के बाद आज की स्थिति पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड को हानि पहुंचाती है, तो हम उस ड्यूटी को हटा क्यों न दें ?

श्री करमरकर: जितनी आवश्यकता थी, उतनी हम ने हटा दी है और इस का नतीजा यह हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ गया है।

श्री रघुनाथ सिंह: समाचारपत्रों में यह खबर शाया हुई है कि हिन्दुस्तान फारेन जूट मार्केट खो रहा है, यह ठीक है या नहीं ?

श्री करमरकर: यह ठीक नहीं है।

पंडित एस० सी० मिश्र: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह पटसन के सम्बन्ध में है या उस के बने माल के सम्बन्ध में ? और यदि यह पटसन के बने माल के सम्बन्ध में है तो क्या निर्यात शुल्क में रियायत देने से पहले सरकार ने, कच्चे माल के मूल्य तथा बने हुए माल के मूल्य के बीच इतने बड़े अन्तर का ध्यान रखा था ?

श्री करमरकर: मैं यह जानना चाहता हूं कि आप वास्तव में पूछना क्या चाहते हैं।

पंडित एस० सी० मिश्र: कच्चे पटसन के निर्यात में कमी हुई है या पटसन के बने माल के निर्यात में, और यदि यह पटसन के बने माल के सम्बन्ध में है.....

श्री करमरकर: यह पटसन के माल के सम्बन्ध में है; आजकल हम कच्चा पटसन बाहर नहीं भेजते।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। वे स्पष्टतया पूछ लें।

पंडित एस० सी० मिश्र: मैं यह जानना चाहता हूं कि कच्चे पटसन का निर्यात कम हो गया है या पटसन के बने माल का।

श्री करमरकर: श्रीमान्, हम कच्चा पटसन तो बाहर भेज ही नहीं रहे। पटसन के बने माल पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है।

पंडित एस० सी० मिश्र उठे--

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

पंडित एस० सी० मिश्र: उसके आधे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: तो आप वही पूछ लीजिए।

पंडित एस० सी० मिश्र: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि निर्यात शुल्क में कमी करने से पहले सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि पटसन के तैयार माल के मूल्य और निर्माताओं को दिए जाने वाले कच्चे पटसन के मूल्य में बहुत अधिक अन्तर है ?

श्री करमरकर: इसके दो उत्तर देने पड़ेंगे। पहली बात तो यह है कि इसी विचार से निर्यात शुल्क निर्धारित किया गया था। उस समय हमने यह महसूस किया कि स्थानीय निर्यातक जिस मूल्य पर विदेशों में अपना माल बेचते हैं उसमें और उनके लागत मूल्य में बहुत अधिक अन्तर है और उस अन्तर को निर्यात शुल्क को बढ़ा कर दूर किया जा सकता है। बाद में विचार करने पर हमने सोचा कि इसमें कमी करना आवश्यक है और इसलिए हमने निर्यात शुल्क घटा दिया और इससे हमारे पटसन के माल के निर्यात में सहायता मिली है। प्रश्न के पहले भाग का उत्तर यह है।

क्या मेरे माननीय मित्र प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर चाहते हैं?

महाराज भूटान का दौरा

*११३८. **श्री भीखा भाई:** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि महाराजा तथा महारानी भूटान ने भारत सरकार के निमंत्रण पर २६ जनवरी १९५४ को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आना स्वीकार कर लिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान): महाराजा भूटान, भारत सरकार के निमंत्रण पर १३ जनवरी, १९५४ को दिल्ली आ रहे हैं। वे कुछ अन्य स्थानों पर जायंगे और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली आ जायंगे।

श्री भीखाभाई: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि महाराजा भूटान किन किन स्थानों पर जायंगे?

श्री सादत अली खान: वे भरतपुर, आगरा, फतहपुर, सीकरी सांची और कुछ अन्य स्थानों पर जायंगे।

मंडी की सेंधा नमक की खानें

*११३९. **श्री हेम राज:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अधीन मंडी की सेंधा नमक की खानों के विकास के लिए वर्ष १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ के लिए कितनी राशियां स्वीकृत हुई थीं?

(ख) इन स्वीकृत राशियों में से अब तक उनके विकास के लिये कितने का उपयोग किया गया है?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): योजना आयोग ने इस योजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया था और उसके हेतु निम्नलिखित राशियों की व्यवस्था की थी :—

५१–५२	५२–५३	५३–५४
कुछ नहीं	१० लाख रुपये	८० लाख रुपये

मंडी की नमक की खानों के विकास के लिये स्वीकृत आय-व्ययक अनुदान निम्नलिखित है :

१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
कुछ नहीं	१० लाख रुपये	एक लाख रुपये (सांकेतिक)

(ख) निम्नलिखित राशियां व्यय हुई हैं :

१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४ (अक्टूबर १९५३ के अंत तक)
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
कुछ नहीं	३५,४२४–१३–६	१९,५१५-१३-६

श्री हेम राज: क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले का पता लगाने के लिये बरमे से ज़मीन में की गई खुदाई का अब तक क्या परिणाम हुआ है?

श्री आर० जी० दुबे : अभी तक कोयले का पता लगाने के लिये तीन अवसरों पर बरमे से खुदाई करने के प्रयत्न किये गये थे, परन्तु दुर्भाग्यवश, कुछ कठिनाइयों के कारण मशीन की सहायता से ज़मीन में खुदाई करने का काम गत वर्ष रोक देना पड़ा था। दिसम्बर १९५२ में बरमें से ज़मीन में खुदाई करने का काम आरम्भ किया गया था और यह काम जुलाई के मध्य तक चला था। उस समय तक तीन 'बोर होल' (बरमे से जमीन में किये गये छेद) हुए थे, किन्तु एक में 'केसिंग' टूट गई थी और दूसरे मामले में अन्य कठिनाइयां आ खड़ी हुई थीं और अब सरकार ने एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है और काम चालू है।

श्री हेम राज : वह कार्यक्रम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, यह बताना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात का बटवारा

*११००. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस्पात के सम्बन्ध में १९५३ की चतुर्थ तिमाही के लिये बंटवारा कर दिया गया है;

(ख) १९५३ की चतुर्थ तिमाही में कुल कितने टन इस्पात का बटवारा किया गया और १९५२ की चतुर्थ तिमाही की तुलना में वह कितना है; तथा

(ग) १९५३ में अब तक कितने लोहे और इस्पात का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९५३ की चतुर्थ तिमाही के लिये २५४,१३५ टन इस्पात का बटवारा किया गया था जबकि १९५२ की चतुर्थ तिमाही के लिये २४७,२९० टन इस्पात का बंटवारा हुआ था। इसके अतिरिक्त अब पंजीबद्ध विक्रेताओं से बिना अनुज्ञा-पत्रों के छड़ें, सलाखें तथा निर्माण सम्बन्धी हल्के प्रकार की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं।

(ग) जनवरी से सितम्बर, १९५३ के काल में १२,२२० टन निर्यात किया गया था।

एल्यूमीनियम

*११०४. **श्री पुन्नूस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्यूमीनियम की ढलाई, मिश्रित ढलाई तथा सलाखें, नलियां आदि बनाने के और सरकारी निर्माण कार्यों में देशी अल्यूमीनियम के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : देश में अल्यूमीनियम की ढलाई, मिश्रित ढलाई तथा सलाखें, नालियां, आदि बनाने के कारखानों के लिये कुछ क्षमता है। इस उद्योग का विकास गैर सरकारी उद्यमों के हाथ में है, और जब कभी भी अतिरिक्त सामर्थ्य की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो सरकार उन पर उनके गुणावगुण के अनुसार विचार करती है और सभी ठीक योजनाओं को प्रत्येक सहायता देती है।

यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का प्रश्न के उत्तरार्ध से, अर्थात् सरकारी निर्माण कार्यक्रमों में देशी अल्यूमीनियम के प्रयोग को प्रोत्साहन देने से, क्या तात्पर्य है।

बेटरी उद्योग

*११०५. **श्री पुन्नूस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) नेशनल कार्बन कम्पनी (इंडिया)

लिमिटेड, एस्ट्रेला बैटरीज़ लिमिटेड, सनबीम एलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ तथा सोलर बैटरीज एण्ड फ्लैश लाइट्स लिमिटेड की अनुमानित उत्पादन शक्ति कितनी है और उनका १९५०, १९५१ तथा १९५२ में वास्तविक उत्पादन कितना था;

(ख) क्या सरकार को ड्राइ बैटरी उद्योग की भारतीय इकाइयों की इस शिकायत का पता है कि इस उद्योग में शक्तिशाली विदेशी इकाइयों की प्रतिस्पर्धा के कारण उनका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है; तथा

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) ऐसी शिकायतें अक्सर होती रहती हैं।

(ग) सरकार को तटकर आयोग की विभिन्न निर्माता इकाइयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाये रखने तथा उसके उचित सीमा को पार कर जाने से एकाधिकार की उत्पत्ति को बचाने से सम्बन्धि सिफारिशों का ध्यान है।

साइकल उद्योग

***११०६. श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या साइकिल उद्योग के लिये विकास परिषद् बनाई गई है ?

(ख) यदि हां, तों इस परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) उसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). सदस्यों के नाम तथा परिषद् के कार्यों को बताने वाले अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

बिजली के सामान

***११०७. डा० एम० एम० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल भारी बिजली के सामान, मोटरें तथा ट्रांसफार्मर्स कहां से प्राप्त होते हैं;

(ख) वे कौन सी नई व्यापारिक संस्थायें हैं जिन्हें १९५२ में निर्माण करने के लाइसेंस दिये गये हैं अथवा १९५३ में देने का विचार है;

(ग) विद्यमान कारखानों के उत्पादन से भारत की वर्तमान मांग का कितना प्रतिशत भाग पूरा होता है; तथा

(घ) अनुमानतः सरकारी कारखाना कब से उत्पादन आरम्भ करेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) देश के अन्दर और बाहर दोनों ही जगहों से।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) लगभग २३ प्रतिशत।

(घ) इस अवस्था पर कोई तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत अभी तक चल रही है।

धातु कर्मिक कोयला

***११०८. डा० एम० एम० दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रतिवर्ष भारतीय कोयले की खानों में से धातुकर्मिक कोयले की कितनी औसत

मात्रा निकाली जाती है और धातुशोध के कार्यों के लिये प्रतिवर्ष कितनी औसतमात्रा का उपयोग किया जाता है;

(ख) भारत में धातुकर्मिक कोयले के अधिरक्षण के लिये धातुकर्मिक कोयला अधिरक्षण अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के; लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) अनुमानतः प्रतिवर्ष भारत से कितने धातुकर्मिक कोयले का निर्यात होता है; तथा

(घ) क्या धातुकर्मिक कोयला अधिरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद धातुकर्मिक कोयले की कोई नई खान खोलने के लिये अनुज्ञा दी गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) १९५०–१९५२ में प्रतिवर्ष औसतन १३४ लाख टन धातुकर्मिक कोयला निकाला गया और ३६ लाख टन का धातुशोध के कार्यों में उपयोग किया गया।

(ख) स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का ध्यान कोयले की खानों (अधिरक्षण एवं सुरक्षा) के अधिनियम, १९५२ की ओर है। सरकार ने धातुकर्मिक कोयले के अधिरक्षण के लिये जो कार्यवाही की है, उसको दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ग) गत तीन वर्षों में धातुकर्मिक कोयले की लगभग निम्नलिखित मात्रा भारत से निर्यात की गई थी :

१९५०	९६,८३१ टन
१९५१	४,४३,२६१ टन
१९५२	८,४१,७९९ टन

(घ) नहीं।

भारतीय न्युज रिव्यू फ़िल्में

*११०९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२–५३ में भारतीय न्यूज़ रिव्यू की स्वीकृत फिल्में खरीदने में बिहार राज्य के सिनेमाघरों द्वारा कुल कितना किराया दिया गया था ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): सिनेमाघर स्वीकृत फिल्मों को 'खरीदते' नहीं हैं; वे स्वीकृत प्रलेखीय चल चित्रों तथा समाचार चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शक तथा भारत सरकार के बीच हुए संविदा के अनुसार, केवल किराया देते हैं। भारतीय न्यूज़ रिव्यू के प्रदर्शन के लिये अलग से कोई किराया नहीं दिया जाता। १९५२–५३ में बिहार राज्य के प्रदर्शकों ने कुल किराया १,२०,००० रुपये दिया।

रेडियो के पुर्ज़े

*१११९. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेडियो के पुर्जों तथा कच्चे माल पर आयात शुल्क की दरों और पूरे रेडियो सेटों पर आयात शुल्क की दरों के सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफ़ारिश लागू कर दी गई है और उसमें जिन विषमताओं की चर्चा की गई थी क्या उन्हें दूर कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): कुछ विशेष प्रकार के सेटों को छोड़ कर जिनमें कई बल्वों वाले सेट भी हैं, और जो बाहर से मंगाए जाते हैं, सभी रेडियो सेट आजकल देश में ही पुर्ज़े जोड़ कर तैयार किए जाते हैं। इसलिए पुर्जों पर आयात शुल्क और पूरे सेटों पर आयात शुल्क की दरों में मामूली अन्तर है।

और फिर पुर्जे भी किसी हद तक भारत में ही बनाए जाते हैं। इसलिए यदि पुर्जों पर

आयात शुल्क घटा दिया गया, तो उन का निर्माण देश में ही करने का प्रोत्साहन कम हो जायगा ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

*११४०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में माल की पहली वार्षिक पड़ताल के समय लगभग ३०,००० टन कोयला, पत्थर का कोयला और खड़िया मिट्टी, जिसका मूल्य कई लाख रुपये था, कम पाई गई ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच कराई है ?

(ग) सरकार ने इस प्रकार की हानि को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी०रेड्डी) : (क) कच्चे माल की पहली वार्षिक पड़ताल के समय इस प्रकार माल की कमी स्पष्ट रूप से पाई गई ।

(ख)तथा(ग).संचालक बोर्ड ने २ बड़े अधिकारियों की एक समिति बनाई है जो इस प्रकार माल के कम पड़ जाने के मामलों की पूरी पूरी जांच करेगी, माल के आने, दिए जाने तथा सामयिक पड़ताल के प्रस्तुत प्रबन्ध का पुनरीक्षण करेगी और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करेगी कि इन का सन्तोषजनक प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जाय । इस समिति के टेकनीकल जानकार सदस्य ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । यह रिपोट कोयला तथा खड़िया मिट्टी के भण्डार की वैज्ञानिक ढंग से पुन: पड़ताल करने के बाद तैयार की गई है और इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि माल कम था । दूसरी ओर कोयला और खड़िया मिट्टी के भण्डार में जो वास्तविक कमी बहुत थोड़ी हुई है । वह कमी प्रयोग में आए कुल कोयले तथा खड़िया मिट्टी का कुछ ही प्रतिशत है और हवा में उड़ने और रखने रखाने में होने वाली कमी को ध्यान में रखते हुए समुचित ही है । जहां तक पत्थर के कोयले का सम्बन्ध है, उसके भण्डार की दोबारा पड़ताल नहीं की जा सकती है परन्तु अमोनिया के उत्पादन की मात्रा के आधार पर लगाए गए अनुमान से ऐसा मालूम होता है कि कमी के सम्बन्ध में रिपोर्ट देते समय उस की मात्रा का अनुमान कम लगाया गया था । परन्तु कोयले के भण्डार समाप्त होने पर, इस सम्बन्ध में नाप तोल करना पड़ेगा । संचालक बोर्ड इस टेकनीकल रिपोर्ट पर विचार करेंगे और यह सोचेंगे कि और कोई कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं ।

सिरका की कोयला खानें

*११४१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार में सिरका की कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का बहुत सा चूरा इकट्ठा हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो ३१ अक्तूबर १९५३ को ये चूरा कितने टन था ?

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख).सिरका कोयला खान के बाहर ३१ अक्तूबर, १९५३ को लगभग ७,००० टन कोयले का चूरा था और लगभग ७,००० टन "रन आफ़-माइन" कोयला था । यह एक महीने से भी कम समय में इस खान से निकाला गया है और इस के इकट्ठे होने को बहुत अधिक नहीं समझा जा सकता जबकि हम बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों तथा अन्य खानों के जमा हुए कोयले की मात्रा को भी ध्यान में रखें ।

(ख) कारण यह है कि उत्पादन तो बढ़ गया परन्तु अधिक कोयला वहां से भेजा नहीं गया। ३० सितम्बर तक इस खान से, पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग १०,००० टन अधिक कोयला निकाला गया। इसकी तुलना में, बाहर भजे गए कोयले की मात्रा लगभग पिछले वर्ष जितनी ही थी।

वायदा बाज़ार आयोग

*११४२. **श्री भागवत झा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) "वायदा बाज़ार आयोग" ने किन और कितनी वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने के लिए विचार प्रारम्भ किया है;

(ख) क्या यह सच है कि वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम, १९५२ के लागू होने के बाद से वायदा बाज़ार में व्यापार करने वाली संस्थाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है; और

(ग) कितनी संस्थाओं ने वायदा बाज़ार में व्यापार करने के सम्बन्ध में आयोग को सूचना दी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) ६८।

बेकारी की नमूने की पड़ताल

*११४३. **श्री आर० एस० लाल :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी जगहों में बेकारी की नमूने की पड़ताल की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : राष्ट्रीय नमूने की पड़ताल के संचालक के कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के निम्न-लिखित पांच नगरों में बेकारी की पड़ताल की : रामपुर, कानपुर, सम्भल, बनारस और गोंडा।

औद्योगिक मकानों के लिये ऋण

*११४४. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सरकार ने १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में औद्योगिक मकान योजना के लिए कितनी राशि मांगी थी; और

(ख) कितनी राशि की अनुमति दी गई ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). आसाम सरकार ने सहायता प्राप्त औद्योगिक मकान योजना के अधीन १९५२–५३ या १९५३–५४ में कोई सहायता नहीं मांगी।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

*११४५. **श्री वोडयार :**
श्री नानादास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में सभी प्रकार के कच्चे लोहे (पिग आयरन) का वर्तमान अतिरिक्त स्टाक कितना है; और

(ख) इस स्टाक को निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १ दिसम्बर, १९५३ को २४,७९० टन।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस कारखाने में तैयार किये गये लोहे को (पिग आयरन) सामान्य वितरण भण्डार में लाकर (सिवाए चारकोल प्रकार के लोहे के), उसी मूल्य पर खरीदारों को देने का प्रबन्ध किया जाय, जिस मूल्य पर कि अन्य कारखाने बेचते हैं।

आल इण्डिया रेडियो में छटनी

*११४६. **श्री एच० एन०मुकर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वीरस्वामी :
श्री आर० एस० लाल :
श्री भागवत झा :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेडियों में श्रेणी दो केन्द्रीय सेवाओं के लगभग ५१ अधिकारियों की छटनी की जा रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन ५१ व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में यह लिखित सूचना दी गई है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उन के अपने अपने पद पर ही बने रहने की स्वीकृति दे दी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) आल इण्डिया रेडियो में काम करने वाले २२ प्रोग्राम असिस्टेंटों को काम से हटाने के नोटिस दिए गए हैं। यह छटनी जिस कारण की जा रही है वह निम्नलिखित है :

आल इण्डिया रेडियो में प्रोग्राम असिस्टेंट विभिन्न तरीकों से भर्ती किए गए हैं। इस पद को श्रेणी २ का पद बना दिया गया है जिसका मतलब यह है कि इन की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत होनी चाहिए। इस श्रेणी को नियमित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कहा गया कि सभी प्रोग्राम असिस्टेंटों के मामलों पर विचार करें। इस आयोग ने सभी कर्मचारियों के मामलों की जांच करके उन्हें उनकी योग्यतानुसार श्रेणीबद्ध कर दिया। विभिन्न स्टेशनों पर इस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए,इस पर भी विस्तार-पूर्वक विचार किया गया और यह देखा गया कि आल इंडिया रेडियो को जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक रखे गए हैं। इस आयोग से कहा गया कि फालतू कर्मचारियों की छटनी करने के प्रश्न की जांच करे। एक नियमित विभागीय पदोन्नति समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के साथ मिल कर यह काम किया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार २२ प्रोग्राम असि-स्टेंटों को काम से हटाने के नोटिस दे दिए गए। श्रीमान्, मैं यह भी कह दूं कि ये सब अस्थायी कर्मचारी हैं। प्रोग्राम असिस्टूटों की श्रेणी को नियमित करने का एक आवश्यक कारण यह था कि मुख्य कर्मचारी वर्ग को किसी प्रकार का स्थायित्व दिया जाय। इन में से अधिकतर काफ़ी समय से अस्थायी और अनिश्चित स्थिति में थे। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी तरह जांच और इस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किए बिना नहीं किया जा सकता था।

(ख) जी नहीं, यह सच नहीं है। जिन २२ प्रोग्राम असिस्टेंटों को नोटिस दिए गए हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप से यह नहीं बताया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग ने उनके अपने अपने पदों पर बने रहने की स्वीकृति दे दी है। इसके विपरीत, उन में से बहुत सों को आयोग ने पदों पर बने रहने के अयोग्य समझ कर अस्वीकार कर दिया था।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति अधिनियम

४९९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० के अधिनियम ३१, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति के प्रबन्ध अधिनियम, १९५० की धारा ५१ के अधीन कस्टोडियन (संरक्षक) को देने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई थी ?

(ख) विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). आजकल निष्क्रमणार्थी

सम्पत्ति से प्राप्त रुपये के १० प्रतिशत के बराबर एक सी फीस, प्रबन्ध-भार के रूप में ली जा रही है।

हाथकरघे

५००. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में अनुमानत: कितने व्यक्ति हाथकरघों पर कार्य कर रहे थे;

(ख) उक्त अवधि में हाथकरघे का कितना उत्पादन हुआ और इसका मूल्य कितना था; और

(ग) उक्त अवधि में हाथ करघे के कपड़े के उत्पादन में कितने मूल्य का सूत लगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) यह अनुमान लगाया गया है कि १२·८ लाख व्यक्ति सारे समय सूती कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं।

(ख) लगभग ११६७० लाख गज और इसका अनुमानित मूल्य ८३ करोड़ रुपये है।

(ग) (लगभग) ४८ करोड़ रुपये।

पारपत्र

५०१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ और ३१ अक्तूबर, १९५३ तक कितने भारती राष्ट्रजनों ने रूस और चीन गणतंत्र की सांस्कृतिक,मजदूर तथा अन्य संस्थाओं के आमंत्रण पर पारपत्रों के लिये आवेदन पत्र दिये थ और कितनों को पारपत्र देने से इंकार कर दिया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): क्योंकि जिस उद्देश्य से पारपत्रों के लिये आवेदनपत्र दिये जाते हैं उनके अनुसार उनके जारी करने का अभिलेख नहीं रखा जाता, अत: वांछित जानकारी नहीं दी जा सकती।

कच्चा माल (आयात)

५०४. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन-कौन से उद्योगों को अब भी मुख्यतया आयात किये गये कच्चे माल पर निर्भर रहना पड़ता है किन्तु जिनकी बनाई हुई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; और

(ख) कौन कौन से उद्योग पहले आयात किये गये कच्चे माल पर निर्भर रहते थे और अब जिन्हें उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है, किन्तु वह पूर्ण नहीं है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८**]

काजू उद्योग

५०५. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में काजू उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) इस उद्योग ने १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में कितनी मजूरी दी और कितना लाभ कमाया;

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रति पुरुष और स्त्री श्रमिक को औसत कितनी वार्षिक मजूरी दी गई;

(घ) उपरोक्त वर्षों में इस उद्योग में १६ वर्ष से कम आयु के कितने लड़के काम पर लगाये गये; और

(ङ) उपरोक्त वर्षों में काजू के कारखानों के लिये यदि कोई टीन मंजूर की गई, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और जहां तक उपलब्ध हो सकेगी यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) एक विवरण, जिसमें यह जानकारी दी हुई है, संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९.**]

सीमेंट

५०६. **श्री दाभी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में सीमेंट का कुल वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) सीमेंट के कारखाने कहां कहां हैं और इन कारखानों में से प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) १९५०–५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारत में कितने सीमेंट का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) ३५.७ लाख टन।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०**].

(ग) क्रमशः १७,१६६ टन, ९२४ टन और १४९८ टन।

साइकिल के कारखाने

५०७. **श्री एल० एन० मिश्र**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के साइकिल के कारखानों में से कितने विदेशी समवाय हैं और कितने भारतीय समवाय हैं ?

(ख) उनके नाम क्या क्या हैं ?

(ग) ये कहां कहां हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). भारत के सभी साइकिल के कारखाने भारतीय समवाय हैं; किन्तु इनमें से कुछ के साथ विदेशी समवाय भी मिले हुए हैं। एक विवरण संलग्न है जिस में साथों के नाम, उनके विदेशी साथी समवायों के नाम और उनकी स्थिति बतलाई हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१**]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों पर आक्रमण

५०८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ के बाद से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से संलग्न श्रम कल्याण पदाधिकारियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा दुर्व्यवहार और आक्रमण के सम्बन्ध में (डिवीजन वार और वर्षवार) कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) पुलिस में कितने मामले पंजीबद्ध करवाये गये;

(ग) कितने दण्डनीय मामले न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये;

(घ) कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और

(ङ) क्या इन मामलों के शिकार व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२**]

(ख) २।

(ग) शून्य।

(घ) शून्य।

(ङ) जी नहीं।

भारी उद्योग

५०९. **कुमारी एनी मस्करीन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के भारी उद्योगों में धन लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया है;

(ख) उन उद्योगों ने कितना कितना उत्पादन किया;

(ग) उत्पादन के घटने के यदि कोई कारण हैं, तो क्या; और

(घ) क्या सरकार ने उत्पादन के नियंत्रण के लिये कोई पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (घ). तीन विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के पदाधिकारी

५१०. **श्री राम जी वर्मा :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री ऐसे पदाधिकारियों के नाम और उनकी अर्हतायें बतलाने की कृपा करेंगे जो केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में श्रेणी ३ के पदाधिकारियों के रूप में भर्ती हुए थे और अब श्रेणी १ के पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं ?

(ख) इनमें से कितने पदाधिकारियों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये सरकारी खर्च पर विदेश भेजा गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क)

क्रम संख्या	नाम	पद	अर्हतायें
१.	श्री एस० नारायण स्वामी	सहायक सचिव (जल शाखा)	बी० ए० (आनर्स)
२.	श्री आर० के० बहल	सुपरिन्टेन्डेंट (ज० शा०)	बी० ए०
३.	श्री एस० स्वयम्भू	परियोजना पदाधिकारी (विद्यत् शाखा)	बी० एस० सी० सर्टिफिकेट आफ प्रोफिशियेंसी इन इलेक्ट्रिसिटी, टेक्० आई० आई० एस० सी; ए० एम० आई० ई० ई० ।
४.	श्री वी० आर० राघवन्	परियोजना पदाधिकारी (विद्युत् शाखा)	एम० ए० सर्टिफिकेट आफ प्रोफिशियेन्सी इन इलैक्ट्रिसिटी, टेक० आई० आई० एस सी०, ए० एम० आई० ई० (भारत) सदस्य ए० आई० ई० ई० ।
५.	श्री सी० के० वी० राव	कनिष्ठ परियोजना पदाधिकारी (वि० शा०)	बी० ई० सर्टिफिकेट आफ प्रोफिशियेंसी इलैक्ट्रिसिटी टेक्० (आई० आई० एस सी०)
६.	श्री एम० बी० पी० सारथी	—वही—	बी० एस० सी०, बी० ई०
७.	श्री बी० सी० सान्याल	—वही—	ए० एम० ई० ई०, बी० ई० ई०; ए० एम० आई० ई० (भारत)

८.	श्री आर० के० गांगुली	कनिष्ठ परियोजना पदाधिकारी (वि० शा०)	बी० एस सी०, बी० एस सी (इज०)
९.	श्री के० मृत्युंजयन	—वही—	बी० ए० बी० ई० (इलैक्०)
१०.	श्री आर० के० सेन	—वही—	ए० एम० ई० ई०; बी० ई० ई०; ए० एम० आई० ई० ।
११.	श्री सी० चक्रवर्ती	—वही—	एम० ई० ई०, सिटी आफ गिल्ड्स की विद्युत् परीक्षा में उत्तीर्ण, इंज० प्रेक्टिस ।

(ख) कोई नहीं ।

त्रिपुरा में अधिगृहीत भूमि

५११. **श्री दशरथ देव:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरामें १९५० से १९५३ तक अब तक कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ?

(ख) त्रिपुरा में कितने एकड़ भूमि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अधिगृहीत की गई है और कितनी नई सड़कों के निर्माण के लिये ?

(ग) क्या सरकार ने सभी मामलों में प्रतिकर दे दिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्तन

५१२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में भारत से कितने पीतल, एल्यूमीनियम तथा सिलवर के बर्तन का निर्यात हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में पीतल, एल्यूमीनियम और सिलवर (चांदी) के बर्तनों के निर्यात के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते । पीतल और तांबे की वस्तुओं के निर्यात के उपलब्ध आंकड़े, जिसमें पीतल के बर्तनों का निर्यात भी सम्मिलित है, निम्नलिखित है:—

*जुलाई दिसम्बर १९५२	४६० टन ।
जनवरी–दिसम्बर १९५३	९७६ टन ।

*जनवरी–जून १९५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

पारपत्र

५१३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष ३० नवम्बर, १९५३ तक पूर्निया से पूर्वी पाकिस्तान के पारपत्रों के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए और कितने पारपत्र दिये गये; और

(ख) (१) कृषि कार्य के लिये;

(२) श्रमिकों को;

(३) सेवाओं के लिये; और

(४) अध्ययन के लिये

कितने पारपत्र दिये गये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १२८७ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और ८९३ पारपत्र दिये गये थे ।

(ख) (१) ६९

(२) ३४

(३) १४

(४) ६३ ।

शुक्रवार,
१८ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार १८ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :—

"राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम ९७ के अंतर्गत, मुझे अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' में के राज्यों के विधान मंडल) विधेयक, १९५३ की, जैसा कि वह राज्य परिषद् की १६ दिसम्बर, १९५३ को हुई बैठक में सशोधित रूप में पारित किया गया था, एक प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया गया है ।

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' में के राज्यों के विधान-मण्डल) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' में के राज्यों के विधान-मण्डल) विधेयक की जैसा कि उसे राज्य परि-

षद् द्वारा पारित किया गया है । एकप्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० कैलाश नाथ काटजू द्वारा १७ दिसम्बर, १९५२ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के, ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले काल के, प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

श्री कजरोल्कर ।

श्री कजरोल्कर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय जैसा कल मैंने कहा था, सौराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर धेबर भाई ने इस बारे में जो कहा है वह मैं सभा भवन के सामने पढ़ना चाहता हूं ।

[सरदार हुक्मसिंह अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

"(क) अब से आगे नौकरियों में प्रत्येक स्थान की भर्ती तथा प्रत्येक पदोन्नति केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों तक ही सीमित रहनी चाहिये । इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों दोनों को एक साथ लिया जाना चाहिये । उनके लिए आयु-सीमा सम्बन्धी

[श्री कजरोल्कर]

नियम में ५ वर्ष की छट होनी चाहिये। गैर अनुसूचित जातियों तथा गैर अनुसूचित आदिम जातियों में से कोई भी भर्ती तब तक अनुमत नहीं होनी चाहिये जब तक कि उपरोक्त जातियों के लिए नौकरियों में निर्धारित अनुपात पूरा नहीं हो जाता है। गैर-अनुसूचित जातियों की भर्ती केवल तभी होनी चाहिये जब कि अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध न हों।

(ख) पदोन्नयन के प्रश्न के सम्बन्ध में यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मेदवार निचली पदाली में उपलब्ध हो तो सूची में उसके स्थान के निरपेक्ष उसकी पदोन्नति कर देनी चाहिये। उस व्यक्ति को बिना बारी के दूसरी बार पदोन्नति फिर पांच वर्ष तक नहीं दी जायेगी।

(ग) जहां तक अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों की योग्यताओं का प्रश्न है वे, प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कम से कम जो सम्भव हो सकें रखी जानी चाहिए। टैकनीकल स्थानों के लिए योग्यता में सीमित ही कमी हो सकेगी। किन्तु यदि, उदाहरण के लिए, अनसूचित जाति का इंजीनियर स्नातक मिल सके तो ऊंची से ऊंची योग्यता के उपलब्ध अन्य इंजीनियर पर उसे वरीयता दी जानी चाहिये। औसत प्रशासनिक स्थानों पर जैसे महलकारी या मामलतदार के पदों पर अनुसूचित जातियों के गैर स्नातक उम्मेदवार लिये जायें, बशर्ते कि उन में औसत बौधिक कार्यक्षमता हो। ऐसे उम्मेदवारों को सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षण दिया जाय जिससे कि राज्य के काम की क्षमता में अथवा उम्मेदवार की भविष्य पदवृद्धि के मामले में कोई बाधा न हो।

(घ) सेलेक्शन स्थानों के सम्बन्ध में, विभाग एक वर्ष पूर्व ऐसे स्थानों की जो खाली होंगे सूची तैयार करे तथा ऐसे अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों की सूची भी बनायें जो, सेलेक्शन के अतिरिक्त, अन्यथा उन स्थानों के लिए पात्र हों, जिससे कि उक्त स्थानों के रिक्त होने पर इन उम्मेदवारों पर अन्य उम्मेदवारों के साथ-साथ विचार किया जाये। इन उम्मेदवारों को सरकार अपने खर्चे पर प्रशिक्षण दे।

(ङ) मंत्रियों, सचिवों, विभाग अध्यक्षों तथा घोषित पदाधिकारियों के वैयक्तिक नौकर अनिवार्यतः अनुसूचित जातियों से लिये जायें।

(च) अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों को क्लर्कों तथा अन्य नौकरियों के लिए तैयार करने के निमित्त क्लासें खोली जायें।

(छ) सरकार द्वारा अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता नगरपालिकों आदि में भी लागू हो। नगर पालिकाओं को सरकार इसी शर्त पर अनुदान दे।

(ज) राशन की दूकानों, सौराष्ट्र औद्योगिक सहकारी समितियों आदि के बन्द हो जाने से जो अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लोग बेरोज़गार हो गये हों उनकी नियुक्ति पर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाये।

(झ) स्थानों का विज्ञापन करने में, भर्ती करने वाले अधिकारियों को ध्यानपूर्वक इस संकल्प में निर्धारित सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये तथा प्रत्येक विज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिये कि गैर-अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के मामलों पर तभी विचार किया जायेगा जब कि अनुसूचित जातियों के उम्मेदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली भर्ती में, सम्बन्धित विभाग को बतलाना चाहिये कि उक्त स्थानों को भरने में अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों की योग्यता में क्या छूटें दी गई हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारी इन सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन करें। किसी भी नौकरी के सम्बन्ध में इनका अतिक्रमण किया जाना गम्भीर बात समझी जायेगी।"

जब मैं अपने मित्र श्री बलवन्त राय मेहता से इस के बारे में बातचीत कर रहा था और सौराष्ट्र के चीफ़ मिनिस्टर घेबर भाई के बारे में अभिनन्दन की बात की थी तो मेरे मित्र श्री बलवन्त राय मेहता ने कहा कि "कजरोल्कर भाई, सौराष्ट्र तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और ठक्कर बापा की प्रेरणा से चलता है।" इस पर मैं विचार करता हूं कि एक बी० स्टेट महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलती है तो क्या हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से नहीं चलना चाहिये ? बी० स्टेट कोई उदाहरण दे उससे पहले तो हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट को, सब स्टेटों को यह उदाहरण देना चाहिये।

हमारी सरकार ने सरविसेज के बारे में कुछ परसेंटेज (प्रतिशतता) तो रखा है, मैं इस के लिये धन्यवाद देता हूं। हमारी गवर्नमेंट की सदेच्छा तो हमारे लिये है, लेकिन पूरी सरविस हमारे हरिजन भाइयों को मिलती है या नहीं यह भी देखने का उनका काम होना चाहिये। इस समय पर मुझे लोमड़ी और सारस की कथा याद आती है। आप को मालूम होगा कि लोमड़ी ने सारस को अपन घर खाना खाने को बुलाया था, तो उसने ऐसे बरतन में उसको खाने को दिया कि उसका मुंह उस में नहीं जा सका। फिर बाद में उसने पूछा कि कैसा खाना तुम को लगा तो वह बेचारा क्या बोले। तो उसने चपचाप कह दिया कि बाबा ठीक है। वैसी ही हालत आज हमारे लोगों की है। हमारे लिये जो कुछ भी सुविधायें रखी जाती हैं, जो कुछ भी हमारे लिये हमारी गवर्नमेंट कुछ आनेस्टली करना चाहती है वह हम नहीं पा सकते हैं। वह लोमड़ी सारस के माफ़क हमारे मुंह के अन्दर आता नहीं है। इसलिये हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि हमारे लिये जो भी सुविधायें आप देते हों, वह हमको पूरी-पूरी मिल पाती हैं या नहीं, यह भी देखने का काम आप के अधिकारियों का है।

शेड्यूल्ड कास्ट के वास्ते स्टेट गवर्नमट्स कुल २ करोड़, ५६ लाख ८३ हज़ार ३१९ रुपये ख़र्च करती हैं जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल अपर्याप्त है और मैं आपके सामने प्राविन्स वार फ़िगर पेश करूंगा जिससे पता लगेगा कि एक हरिजन के ऊपर अमुक स्टेट में कितना खर्च होता है। बिहार में एक हरिजन के ऊपर पांच आने ख़र्च आता है, बम्बई में एक रुपया ख़र्च होता है, मद्रास में डेढ़ रुपया ख़र्च आता है, पंजाब में चार आने, उत्तर प्रदेश में आठ आने, बंगाल में ढाई आने, हैदराबाद में सवा आने, मध्यप्रदेश में ढाई आने, सौराष्ट्र साढ़े तीन रुपये, त्रावनकोर कोचीन में एक रुपया, देहली में आठ आने, हिमाचल प्रदेश में एक रुपया, कच्छ में सात आने और मध्य प्रदेश में खाली तीन पैसे, एक आना भी पूरा नहीं। इन फ़ीगर्स से आपको पता चल जायगा कि हरिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी कम और नाकाफ़ी है और मैं मांग करता हूं कि आप इस आर्थिक सहायता को और अधिक बढ़ायें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया समाप्त करें।

श्री कजरोल्कर : मेरा कहना यह है कि पांच करोड़ की आबादी पर पर कैपिटा (प्रति-व्यक्ति) वर्क आउट करने पर केवल आठ आने आता है, जो कि बिल्कुल कम और अपर्याप्त है और मैं चाहता हूं कि इस रकम को बढ़ा कर कम से कम पन्द्रह करोड़ रुपया करना चाहिये ।

हमारे श्रीकान्त भाई ने शड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उसकी बहुत सी बातों के बारे में मैं कहना चाहता था लेकिन अब समय नहीं है । मैं सिर्फ़ एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा । वह एक जगह पर लिखते हैं कि 'मितव्ययता के कारण मेरा दफ्तर का कुछ काम गृह कार्य मंत्रालय में किया जा रहा है । यह व्यवस्था संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि इससे काम शीघ्रता से नहीं हो पाता है । इसलिये मैंने अपने दफ्तर को एक आत्म-निर्भर एकक बनाने के लिए अधिक कर्म-चारियों की मांग की है जिस से कि बढ़ते हुए काम को नियंत्रित किया जा सके ।' इसके बारे में मेरी प्रार्थना है कि कम से कम एक दो प्रांवि म रीजिनल कमिश्नर (प्रादेशिक आयुक्त) होना चाहिये और उसके नीचे एक और अफ़सर रहना चाहिये, ताकि जब रीजनल आफिसर दौरे पर बाहर जाय, तो यह न हो कि सिवाय एक क्लर्क के उसके दफ्तर में और कोई मौजूद न हो और सब काम अनडिस्पोज्ड पड़ा रहे । इसलिए में एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर एक प्राविन्स में एक रीजनल अफसर रखना चाहिये ।

सभापति महोदय : इस विषय पर अनेक माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सदस्य के लिए समयावधि दस मिनट निर्धारित कर दी जाये जिससे कि पर्याप्त संख्या में सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) सभापति जी, मैं आपका बहुत शक्रगुज़ार हूं कि आप ने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन दस मिनट के अन्दर मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकूंगा । श्री कजरोल्कर ने क़रीब पच्चीस मिनट ले लिये, मैं चाहता हूं कि मुझे भी कुछ ज़्यादा समय बोलने के लिये दिया जाय ।

यह जो श्रीकान्त जी की शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में रिपोर्ट है, इसमें उनकी उन्नति करने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं और मैं मानता हूं कि वे बहुत उपयोगी सुझाव हैं, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि गवर्नमेंट उन पर अमल नहीं करती, खाली इस तरह की लम्बी चौड़ी बातें तो बनाते हैं लेकिन उन पर अमल कुछ नहीं करते और जब तक सरकार द्वारा उन सुझावों पर अमल नहीं किया जाता तब तक हम अछूतों की दशा में कोई सुधार होने वाला नहीं है । महात्मा गांधी के प्रयत्नों के बावजूद और देश में कांग्रेस राज्य होने के बाद भी हमारी अवस्था पहले जैसी है, हम उसी दयनीय और शोचनीय अवस्था में मनुष्यों के समान नहीं बल्कि जानवरों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं और समाज में हमको स्थान नहीं मिलता है । गांधी जी के मरने के बाद तो अब कोई दूसरा नेता भी नहीं रह गया है जो उनकी दशा सुधारने के हेतु प्रचार करे और सरकार पर ज़ोर डाले । डाक्टर काटजू कहते हैं कि हमें समाज में हमारा उपयुक्त स्थान मिलना चाहिये, श्री जगजीवन राम भी कहते हैं कि यह जातिपांत और छुआछूत का झगड़ा मिट जाना चाहिये, लेकिन बात तो दरअस्ल यह है कि खाली बात कह देने

भर से तो यह काम हो नहीं जायगा । इसके लिये तो बाक़ायदा स्कीम होनी चाहिये, कोई निश्चित प्रोग्राम होना चाहिये और उसके अनुसार प्रचार होना चाहिये और अमल होना चाहिये । यह ठीक है कि नौकरी में हमारी संख्या के अनुपात से नौकरी दिलाने के लिए आपने विधान में रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आपने विधान में जो ऐसी हिदायत रखी है, वह ठीक है और उचित है, लेकिन यह सबको मालूम है कि आज उन सिफ़ारिशों पर अमल नहीं होता है और हरिजनों को सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के अनुसार जगहें नहीं मिल पाती हैं । इस बारे में मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने रिफ्यूजीज़ के लिए एक अलग मिनिस्टर बना दिया है, उसी तरह से आप शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक अलग मिनिस्टर बनाइये, जो इन सब बातों को देखे और यह इंश्योर (निश्चित) करे कि आप जो सिफ़ारिश करते हैं उन पर वास्तव में अमल भी होता है । हिन्दू समाज ने हमें जो सैकड़ों वर्षों से अपने पैरों के तले रौंदा है, और ६ करोड़ आदमियों को गुलाम से भी बदतर बना कर रखा है, जब तक उनकी दशा नहीं सुधरती और वह भी इंसान की तरह अपनी ज़िन्दगी नहीं बसर करने लगते, तब तक इस आज़ादी के कोई मानी नहीं और वह आज़ादी हमारे किस काम की जिसमें हम लोग जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते हों और परतंत्रता में जकड़े हों । आज हम लोग रिफ़्यूजीज़ पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनकी एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है और उनका अपना एक अलग मिनिस्टर है, मैं यह कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूं, वह बेचारे मुसीबत में बाहर से भाग कर आये हैं, आपकी शरण हैं, आप भरसक उनकी मदद कीजिये लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चे रिफ्यूजी हम लोग हैं, हम लोग तो पिछले हज़ारों वर्षों सेहीन अवस्था में रहते आये हैं, हिन्दू समाज ने हमेशा हमें तिरस्कृत किया है और दबाये रखा है, इसलिये हमारी उन्नति करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हर दिशा में हमको ऊपर उठाने के लिए अभी तक कोई स्कीम अथवा प्रोग्राम बन नहीं पाया है और आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि रिफ़्यूजीज़ के समान हम शेड्यूल्ड कास्ट वालों की देखभाल के वास्ते भी एक अलग मिनिस्टरी बना दी जाय ताकि वह हमारे सुधार के वास्ते प्रपोज़ल (प्रस्ताव) रखे और उन पर अमल कराने की कोशिश करे ।

शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जो श्रीकान्त जी की जो रिपोर्ट है, वह काफ़ी अच्छी है और हमारे डाक्टर काटजू भी बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन सिर्फ अच्छे होने से तो काम नहीं बनता, उन सिफ़ारिशों और सुझावों पर अमल भी तो कराया जाना चाहिये । हमारे भाई जगजीवन राम वहां पर हैं और जब वह राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और भोपाल गये थे, तो उनसे लोगों ने शिकायत की थी कि हमारे लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है । आज भी विन्ध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले मैं गया तो मैंने देखा कि वहां आज के दिन भी मनु स्मृति का राज्य है और जातिपांत और छुआछात काफ़ी है और उनकी बस्ती में जाने तक की पाबन्दी है, पूरा मनु स्मृति का राज्य वहां पर चल रहा है । हमने इसकी तरफ़ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाया है, लेकिन कुछ नहीं होता, कोई हमारी बात नहीं सुनता क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, हम उनकी पार्टी के आदमी नहीं हैं । अंग्रेजी राज्य के ज़माने में जो डी० सी० थे वह कुछ हमारी बात सुनते भी थे, लेकिन आज तो एक पार्टी गवर्नमेण्ट है, दूसरी पार्टी की बात नहीं सुनते और अपोज़ीशन को खतरनाक समझ कर उनको अपने पास नहीं आने देते, चारों तरफ अपनी पार्टी वाले, रिश्तेदार और बिरादरी वाले जुटा रखे हैं ।

[श्री पी० एन० राजभोज]

राजस्थान में एक कान्फरेन्स (सम्मेलन) हुई थी जिसके अध्यक्ष श्री अमृतलाल यादव थे। अपने भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको पढ़ कर मैं सुनाता हूं। वह कहते हैं:

मन्दिरों में भी हरिजनों का प्रवेश नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

और भी कई बातें लिखी हैं।

'हरिजनों को उनके खेतों में पशुओं के पानी पीने की कुंडी से पानी ले कर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है ऐसे प्रदेश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि राजस्थान के धनीमानी सज्जन एक विशेष धन राशि जमा करके मानवता को इस पशुता के जीवन से मुक्त कर यश के भागी बनें।'

इसी तरह से इसमें और भी बातें लिखी हैं। और यह सब बातें उनकी कही हुई हैं जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, हम लोग तो विरोधी नेता हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि:

'सार्वजनिक कुओं से हरिजन पानी नहीं निकाल सकते, नाई उनकी हजामत नहीं बनाता है, व धोबी कपड़े नहीं धोता है। धर्म शाला, सराय आदि सार्वजनिक स्थानों में ठहरने, ग्रामों में पक्का मकान बनाने, मिठाई बनाने, विवाह, गंगौज आदि उत्सवों पर बैंड बाजा बजाने और दूलहे के आभूषणों से सुसज्जित घोड़े पर बैठ कर तोरण मारने तक पर भी समाज की ओर से प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।'

इस प्रकार की बातें आज देश म चल रही है और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, आज़ादी आ गई। लेकिन आज किसी को यह पता नहीं है कि हमारे हरिजन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। जो हमारे कांग्रेस के हरिजन भाई कांग्रेस के टिकट पर पर चुन कर आये हैं वह बेचारे क्या करेंगे। उन का तो वही हाल है जैसे कि 'पानी का रंग कैसा, जैसा तुम कहो वैसा'। इसलिये हाउस के सामने मेरी यह प्रार्थना है कि जब तक देश में हरिजनों का सवाल हल नहीं होगा तब तक सुख और शान्ति नहीं होगी। जिसके बारे में हमारे विदेश मंत्री पंडित नेहरू भी कहते हैं कि कोरिया में क्या हो रहा है, अफ़्रीका में क्या हो रहा है? मैं समझता हूं कि अफ्रीका में जैसी परिस्थिति नीग्रोज की है उससे गिरी हुई परिस्थिति यहां हम लोगों की है। नीग्रोज की परिस्थिति पर तो अमरीका करोड़ों रुपया खर्च कर सकता है लेकिन हमारे लिये कुछ नहीं हो सकता। विदेशों में ऐम्बैसडर्स (राजदूत) रखे हैं लेकिन उनके दफ्तरों में हमारी जाति के चपरासी भी नहीं रखे गये हैं। मुसलमानों में से हमारे यहां दो मिनिस्टर हैं, एक डिप्टी मिनिस्टर हैं और दो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी हैं। और हम लोगों में से जिनकी आबादी पांच करोड़ से ज्यादा है एक जगजीवनराम जी तो बैठे हैं, उनके अलावा एक डिप्टी मिनिस्टर हैं, जिन को हेल्थ डिपार्टमेन्ट दे दिया। हरिजनों का मामला ऐसे ही चलता है और अगर उस के लिये हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं कि क्या खतरनाक बात तुम बोलते हो। आप नीग्रोज़ के बारे में और अफ्रीका की समस्याओं पर बोलने के क़ाबिल तभी हो सकते हैं जब अपने मुल्क के अछूतों को अपने बराबर कर लें।

दूसरी बात ईसाइयों के बारे में है। हम लोगों को ईसाई बनाने का सजेशन चल रहा है।

श्री गिडवानी (थाना): आप मिनिस्टर बनेंगे?

श्री पी० एन० राजभोज : मैं मिनिस्टर बनूंगा तो पावर से बनूंगा, ताकत से बनूंगा। मेरी हाउस से प्रार्थना है कि आज हम लोगों को ईसाई बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है। इसलिये शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो मामला है उस को जल्दी ही ठीक करना चाहिये वरना मुल्क की हालत कमज़ोर होती जायेगी और दूसरे देश उसको कुचलने की कोशिश करेंगे।

सन् १९३२ में पूना पैक्ट हुआ था। उसमें गांधी जी के प्राण डा० अम्बेडकर ने और हम लोगों ने बचाये और पूना पैक्ट पर हम लोगों ने दस्तखत किये। अछूतों ने अपना नुकसान किया गांधी जी के प्राण बचाने के लिये। लेकिन इस पर भी हम को धोखा देकर ज्वाइंट एलेक्टोरेट (संयुक्त निर्वाचन) की बात रखी गई। इससे हमारी उन्नति होने के बजाय अवनति हो रही है। इसलिये जितने देश के शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। उनकी रक्षा के लिये अभी कोई क़दम नहीं उठाया गया है। आप नौकरी के ही बारे में देखिये। इसके सम्बन्ध में सरकार के बड़े बड़े आर्डर निकलते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। आप आई० ए० एस० के बारे में देखिये। हमारे यहां बी० ए० हैं, बी० ए० आनर्स हैं, एम० ए० हैं लेकिन उन को नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। हालांकि सरकार हमेशा कहती है कि मिलनी चाहिये। सुनता ही कौन है ? मेरा सुझाव है कि हम लोगों के लिये एक अलग डिपार्टमेन्ट होना चाहिये जैसे रिफ्यूजीज के लिये खोला है। उन के लिये हाउसिंग स्कीम है, उनको क़र्ज़ मिलता है, हर तरह से उन की सहायता होती है उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स को भी आबादी के हिसाब से नौकरियों में ठीक प्रोपोर्शन (अनुपात) मिलना चाहिये। उनकी पार्टी का मिनिस्टर होना चाहिये। रोज एम्बेसडर और गवर्नर बन रहे हैं, मुसलमान गवर्नर बन रहे हैं, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग गवर्नर नहीं बन सकते। दूसरी तमाम जातियों के लोग बन सकते हैं। सरकार हम को बराबर सब कुछ देने के लिये कहती है लेकिन अमल में कभी नहीं लाती है। पंडित नेहरू तो हमेशा मुसलमान ही की बात मानते हैं। ठीक है, मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, उनको उनकी तीन, चार करोड़ की आबादी के हिसाब से दे दो। हमारे सिख भाई लड़ते हैं इसलिये उन में से एक आकर मिनिस्टर बन गया, एक डिप्टी मिनिस्टर बन गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो शोर मचाता है जो रोता है उसकी बात आप हमेशा मानते हैं। लेकिन हम हज़ारों वर्षों से दब हुए ह, गिरे हुए हैं। हम लोगों की हर तरह से दुर्दशा होती है, हर डिपार्टमेंट म हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होती है। हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिये, हम लोगों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिये कोई स्कीम नहीं है। आप को हम लोगों को कान्फिडन्स (विश्वास) म लेना चाहिये।

इस देश में कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन का बटवारा होना चाहिये। आज सब जगह भूदान यज्ञ का शोर मचा हुआ है, लेकिन भूदान यज्ञ में मिली हुई ज़मीन का बटवारा जब तक अछूतों को नहीं मिलता तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज बहुत काफ़ी ज़मीन है, और हर तरह की है, उस को अछूतों की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिये दे दो। हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिये कोई स्कीम नहीं है और भूदान यज्ञ का ढोंग बनाते हैं। इसलिये ज़मीन के बटवारे का सवाल जल्दी से जल्दी हाथ में लेना चाहिये। गांव में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के लोग अपनी ज़मीन न होने से दूसरों के गुलाम रहते हैं जब तक बेगार करते हैं

[श्री पी० एन० राजभोज]

तब तक रहते हैं वरना निकाल दिये जाते हैं। उनको मनुष्य की तरह जीवन बिताने के लिए ज़रूरी है कि जितनी ज़मीन नई उपजाऊ बनाई गई है और जितनी भूदान में मिली है वह सब गावों में बसने वाले शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ही दी जाये जिसमें कि वह इज्ज़त की ज़िन्दगी बिता सकें। जब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति देश में अच्छी नहीं होती है तब तक हमारे मुल्क की उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिये मैंने कई सुझाव दिये हैं। एक यह है :

(क) कि प्रतिवेदन अपर्याप्त है और इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों दोनों को एक साथ रख दिया गया है। हमारे यहां पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर श्रीकान्त जी को बना दीजिये और उनकी जगह पर कोई हमारा आदमी रखिये। इससे आप को कोई नुक्सान नहीं होगा। मैं काटजू साहब से यह प्रार्थना करता हूं। वह तो कैलाश के नाथ हैं। उन को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उस को देखिये। उस में हमारा आदमी नहीं है। मौलाना आज़ाद का आदमी उस में मेम्बर है। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है लेकिन तब भी हिन्दुस्तान में मुसलमानों को सरकार में काफ़ी हिस्सा मिला हुआ है। एजूकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मि० हुमायूं कबीर बने हुए हैं। और आज तो हमारे मौलाना साहब का ही राज्य है। डिप्टी लीडर हैं। पंडित जी उनकी हर एक बात मानते हैं। अन्धेर नगरी चौपट राज बना हुआ है। डा० अम्बेडकर के ज़माने में शिड्यूल्ड कास्ट को विदेशों में तालीम हासिल करने के वज़ीफों की स्कीम थी वह बन्द कर दी गई है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप कम से कम दूसरों के लिये भी तो कुछ हिस्सा दीजिये। यह देश हमारा है, हम हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं। इसकी आजादी के लिये हम लोगों ने भी कोशिश की है। हम अच्छे लड़ने वाले हैं, हमारी तीन-महार बटेलियनें फ्रंट पर हैं। इसके बारे में भी मैंने कुछ सुझाव दिये हैं जो कि मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"(क) इस प्रस्ताव पर विचार कर लेने के पश्चात् सदन का यह मत है कि अनुसूचित जातियों का सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकारी विभागों में समस्त सुरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों को नियुक्त किया जाये और इस प्रयोजन के लिए उन स्थानों की निर्धारित अर्हताएं कम की जाएं;

(ख) विदेशों में उच्चतर टेकनीकल तथा ऐकेडेमिक प्रशिक्षण के लिए सरकार उन्हें विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान करे;

(ग) भूमि रहित अनुसूचित जातियों के लोगों को जमीनें तथा औज़ार दिये जायें तथा तकावी ऋण दिये जायें;

(घ) पुनर्वास मंत्रालय की तरह उनके लिए भी एक पृथक् मंत्रालय बनाया जाये जो उनके हितों की रक्षा करे तथा उन्हें आर्थिक, शैक्षिक एवम् सामजिक मामलों में भारत के अन्य प्रगतिशाली वर्गों के समकक्ष लाए;

(ङ) अनुसूचित जातियों को समस्त भारत में अनिवार्य प्राथ-

मिक शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध किया जाये ।"

इसके बाद मैंने यह सुझाव दिये हैं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"इस पर विचार कर लेने के पश्चात् सदन का यह मत है कि—

(क) दैनिक सेवाओं में तथा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधान दिया जाये;

(ख) जम्मू और काश्मीर की अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा जो विशेषाधिकार उन्हें भारत में प्राप्त हैं, वे वहां भी दिये जायें;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की दशा सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना में २५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जाये;

(घ) अपनी गरीबी तथा असहायता के कारण पाकिस्तान से आये हुए अनुसूचित जातियों के शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति के मामले में वरीयता दी जाये;

(ङ) अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों पर अन्य जातियों के उम्मेदवारों को नहीं रखा जाना चाहिये और यदि अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध न हों तो सरकार को उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

(च) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्र में उपयुक्त व्यवस्था-यंत्र की स्थापना की जानी चाहिये और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् नियुक्त की जानी चाहिये ।

(छ) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियां..."

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब भाषण समाप्त करें । मैं दूसरा नाम पुकारता हूं । श्री बर्मन ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं दूसरे वक्ता का नाम पुकार चुका हूं ।

श्री गणपति राम (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चेयरमैन महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । जब पिछली रिपोर्ट पर बहस हुई थी, पिछले साल, उस वक्त भी कुछ मैम्बरों को मौक़ा नहीं दिया गया था । उन को पहले प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दी जानी चाहिये । मैं भी उन में से एक हूं, बार बार कोशिश करने के बाद भी मुझे बोलने का मौक़ा नहीं मिला था।

सभापति महोदय : मैं इसे ध्यान में रखूंगा ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चेयरमैन महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि प्रत्येक राज्य से एक एक व्यक्ति को

[श्री नवल प्रभाकर]

ज़रूर बोलने का मौक़ा दिया जाना चाहिये, ताकि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व हो सके।

श्री उइके (मंडला जबलपुर दक्षिण--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : सभापति महोदय, मुझे आज तक इस पार्लियामेंट में बोलने का मौक़ा नहीं मिला है और आज आदिवासी मैम्बर जितने कांग्रेस पार्टी में हैं, लगभग १५ के, उन्होंने मुझ से कहा है कि आप ही हम लोगों की ओर से बोलिये। तो मुझ को अवसर दिया जाय।

सभापति महोदय : श्री बर्मन।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आज आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है। यह इतना विस्तृत विषय है कि इस पर केवल दस मिनट में कुछ अधिक कहना सम्भव नहीं है। इसलिये मैं कुछ मोटी मोटी बातें माननीय मंत्री के विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में १३ फरवरी, १९५३ को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था और आज दिसम्बर मास की १८ तारीख है। हमें नहीं मालूम कि लगभग एक वर्ष में सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन की किन किन सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है और उसके प्रयासों का क्या परिणाम रहा है। मैं इस प्रतिवेदन में से कुछ उद्धरण दे सकता हूं जो श्री श्रीकान्त ने सुझाव के रूप में दिये हैं, जैसे पृष्ठ ६३ पर रिज़र्वेशन (सुरक्षण) नियमों के बारे में और पृष्ठ ७७ पर शैक्षिक संस्थाओं के बारे में, जो हमारी दशा सुधारने के लिए आधारभूत हैं। जहां तक शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों का सम्बन्ध है, गत वर्ष को देखें निश्चय ही सुधार हुआ है और इसके लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। किन्तु इसमें भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि श्री श्रीकान्त ने कहा है। हरिजन विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाओं जैसे इंजीनियरिंग कालिजों, मेडीकल कालिजों तथा अन्य टेकनीकल संस्थाओं में दाखिले में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वहां केवल प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को ही लिया जाता है। स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व भी कुछ राज्यों में ऐसी संस्थाओं में दाखिले कराने में हमें सुविधा प्राप्त थी। मुझे ऐसा एक मामला याद है कि तृतीय श्रेणी में पास हुआ एक हरिजन विद्यार्थी कलकत्ता मेडिकल कालेज में भर्त्ती किया गया था जहां से उसने एम० बी० परीक्षा पास की और फिर विदेश गया। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि आप तृतीय श्रेणी वालों को इन संस्थाओं में भर्ती कीजिये। किन्तु हमारे कुछ विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में भी पास होते हैं और द्वितीय श्रेणी में तो बहुत बड़ी संख्या में पास होते हैं। हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह राज्य सरकारों से उन्हें कुछ सुविधायें देने के लिए कहे।

नौकरियों के सम्बन्ध में भी यही हाल है। सरकार ने तो हमें पिछले वर्ष के आंकड़े इस सम्बन्ध में दिये नहीं हैं। हम कभी-कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। और थोड़ा सा आभास भर मिल जाता है, किन्तु तो भी ठीक ठीक स्थिति मालूम नहीं हो पाती है कम से कम इस बार जब कि एक पूरे दिन इस विषय पर चर्चा हो रही है, हमें आशा थी कि सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़े हमें देगी। किन्तु अब भी वह ऐसा नहीं कर सकी है। १४ दिसम्बर को श्री दातार ने प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर में बताया कि सरकार अभी विचार कर रही है कि रिज़र्वेशन आदेशों को किस प्रकार पूर्णतया लागू किया जाये। यह अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है। जो आदेश सन् १९५० में दिया गया था उसके सम्बन्ध में भी आज माननीय मंत्री का यह कहना है कि सरकार विचार कर रही है।

सरकार ने शिक्षा के विषय में छात्र-वृत्तियां तथा अनुदान देकर अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के शैक्षिक विकास के लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम आभारी हैं। हमें आशा है कि आगामी वर्ष इस दिशा में और भी स्थिति सुधरेगी।

श्री बी० एस० मूर्ति (ऐलुरू) : मैं श्री श्रीकान्त को उनके निर्भीक और निस्पृह प्रतिवेदन पर बधाई देता हूं।

डा० काटजू के भाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई है। गत वर्ष चर्चा के अवसर पर अनेक सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत किये थे। यदि उन सुझावों पर गृह-मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी होती तो मुझे हर्ष होता। लेकिन इसके बजाय आज श्री काटजू एक बड़ा सामान्य वक्तव्य दे देते हैं कि जो कुछ सम्भव हो सकता है वह सब उनके लिए किया जा रहा है। यदि वह वास्तव में इस समस्या के हल के लिए चिन्तित होते तो इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने न दिया होता। यह कोई साम्प्रदायिक समस्यामात्र नहीं है; यह धार्मिक समस्या नहीं है; यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यदि आप इस सम्प्रदाय के अस्तित्व के प्रति उपेक्षा भाव से काम लेंगे तो आप स्वयं अपने अस्तित्व की उपेक्षा करेंगे।

आज स्वाधीनता प्राप्त करने के छः वर्ष बाद भी नेहरू के भारत में कुर्ग के हरिजन विवाह जैसे उत्सव के समय घोड़े पर नहीं चढ़ सकते और स्त्रियां आभूषण या रंगे वस्त्र नहीं पहन सकतीं। डा० काटजू व्यावहारिक रूप में हरिजनों की स्थिति को देखें। आप समान अवसर और समानता की बात करते हैं, पर एक हरिजन सवर्ण लोगों की बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता है। ये सब बातें रिपोर्ट में बताई गई हैं। हरिजन लड्डू और घी के पदार्थ तक नहीं खा सकते। डा० काटजू कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। पर भोपाल, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि आज भी अस्पृश्यता के गढ़ बने हुए हैं।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैंने भाग 'ख' में के राज्यों का उल्लेख किया था। ये सब भाग ख में के राज्यों में आते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : उन्होंने जो कुछ कहा था, मुझे सब याद है। क्योंकि यह हमारी अपनी समस्या है।

मैं देवगढ़ या मैसूर की बात नहीं करता। हाल ही में मध्य भारत में ठाकुरों और राजपूतों ने हरिजनों को आतंकित करने के लिए डाकुओं को गांव गांव घुमाया था, जिसके विषय में सदन में तारांकित प्रश्न पूछा जा चुका है। यह सब डा० काटजू के देखते देखते हुआ। इसके लिए हम दंडात्मक विधान कैसे बनायें ? समझाये जाइये पर उससे नतीजा क्या निकलता है ? हम देश देश में अपने संविधान में मौलिक अधिकार होने का और अपनी सभ्यता संस्कृति का दावा करते फिरते हैं, पर जब छः करोड़ व्यक्तियों को वह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह अध्याय संविधान से निकाल ही दिया जाना चाहिये।

अब छात्रवृत्तियों का प्रश्न लें। रिपोर्ट के अनुसार सन् १९५१–५२ में कुल १५ लाख रुपए दिये गये थे और इस वर्ष ३० लाख। १०७७५ आवेदनों में से कुल ५८९३ ही मंजूर किये गये। अरबी-फारसी आदि में पुराणों का अनुवाद कराने के लिए और काश्मीर और कोरिया में बरबाद करने के लिए रुपये हैं, पर शताब्दियों से ठुकराये गये अछूतों के बच्चों की शिक्षा के लिए रुपये नहीं हैं।

फिर इस सदन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के १०१ सदस्य हैं। जब

[श्री बी० एस० मूर्ति]

तीन करोड़ से कम जनसंख्या वाले एक वर्ग के दो मंत्री, एक उपमंत्री और दो सभा सचिव हैं, तो तदनुसार हमारे भी दो मंत्री, दो सभा-सचिव और चार उपमंत्री होने चाहियें और योग्य व्यक्तियों की कमी भी नहीं है । उसी प्रकार विदेश जाने वाले प्रतिनिधियों मंडलों में सब जातियों का ध्यान रखा जाता है, पर हरिजनों का नहीं । अशिक्षा का बहाना कब तक दिया जाता रहेगा ? अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जाने वाले हरिजनों ने वहां पर भी गौरव प्राप्त किया था । अतः शीघ्र अपनी विचारधारा बदल डालिये । उनके लिए विशद विधान बनाये जायें । दस करोड़ रुपये अलग रखे जायें । उनको मकान, जमीनें और भूस्वामित्व के अधिकार दिलाये जायें । भूमि-हीनों को भूमि दी जाये ।

श्री गणपति राम : माननीय चेयरमैन महोदय, सब से पहले मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद.....

सभापति महोदय : इस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दस मिनट इस मजमून में लगाइये ।

श्री गणपति राम : मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले श्री श्रीकान्त जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने हिन्दुस्तान का दौरा कर के, इतना परिश्रम कर के इस रिपोर्ट को तैयार किया और इतने मामले इस में पेश किये ।

लेकिन जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं और देखता हूं कि हरिजनों के लिये अभी तक क्या किया जा रहा है और भविष्य में क्या किया जाने वाला है तो मुझे जितनी प्रसन्नता होनी चाहिये, उतनी नहीं होती । मैं ने कल बड़े गौर से माननीय गृह-मंत्री की स्पीच भी सुनी । उन्हों ने आश्वासन देते हुए यह कहा कि जब कभी कहीं किसी ऊंचे अफसर की नियुक्ति करने की बात आती है तो मुझे यह भी देखना पड़ता है कि वह आदमी कितना काबिल है, उस में कितनी योग्यता है और वह पद के सम्भालने की ताकत रखता है या नहीं । मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि इस समय शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अन्दर ऐसे योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है । हमारे अन्दर ऐसे योग्य नवयुवक पैदा हो रहे हैं कि अगर उन को मौक़ा दिया जाय तो किसी माने में वे अयोग्य साबित नहीं होंगे ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मौक़ा दे कर अन्दाज़िये, वह किसी माने में अयोग्य साबित नहीं होंगे । यहां मुझे एक कहानी याद आती है । एक बार गरुड़ जी कैलास पर शंकर जी से मुलाक़ात करने के लिये गये । वहां पर उन की गरदन में जो सांप लिपटा हुआ था, वह गरुड़ जी को देख कर फूं फूं करने लगा । उस समय गरुड़ जी ने कहा था कि भाई, मैं तो तुम्हारी जाति को हमेशा निगलता रहता हूं, आज तुम ऐसे स्थान पर हो, जिस की वजह से सुरक्षित हो । तो यह तो स्थान का महत्व है जिस की वजह से तुम में इतना जोश है । वह श्लोक भी मुझे याद है, इसलिये इस को मैं सुना देना चाहता हूं :

जानामि रे सर्प तवप्रतापम्

कंठस्थितो गर्जसि शंकरस्य ।

स्थानं प्रधानम् न बलप्रधानम्

स्थानस्थितो कापुरुषोऽपिसिंहः ।।

मैं तो यह कहता हूं कि अगर आज भी हमारे आदमियों को ऊंचे ऊंचे पदों पर आप अवसर दें तो वह किसी माने में कम योग्य साबित नहीं हो सकते । मैं तो यह उदाहरण आप की आंखों के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे जो भी व्यक्ति आज मिनिस्ट्री में हैं या दूसरे पदों पर हैं, वे किसी माने में कम नहीं हैं ।

अगर दूसरे भी स्थानों पर उन को मौक़ा दिया जाय तो वे किसी माने में कम योग्य साबित नहीं हो सकते ।

आज देश में यह कहा जाता है कि हरिजनों के लिये हम बहुत काफ़ी कार्य कर रहे हैं । मैं यह जानता हूं कि काम ज़रूर हो रहा है और पहले जो प्रगति थी उस की अपेक्षा प्रगति कुछ अधिक है । लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं कि दस वर्षों में, जिस में से चार वर्ष बीत चुके हैं, हम शिड्यूल्ड कास्ट और शियूल्ड ट्राइब्स को दूसरे वर्गों के बराबर कर देंगे तो क्या जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, उस से वे उनके बराबर आ सकेंगे । जहां तक ज़मीन देने की समस्या है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी मैं प्रधान मंत्री की किताबों को पढ़ा करता था तो मैं सोचा करता था कि हमारे प्रधान मंत्री बड़े ही क्रान्तिकारी भावना के आदमी हैं । आज उन के हाथ में सारा शासन है । वह चाहें तो आज जहां ज़मीन ऊसर और पड़ती पड़ी है, वहां की ज़मीन हरिजनों को दे कर उन की माली हालत को सुधार सकते हैं और इस तरह अपनी क्रान्तिकारी भावना का परिचय दे सकते हैं । आज हमें अपने गृह मंत्री डाक्टर काटजू से निवेदन करना है कि क्या आप ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है कि जिस के अनुसार दो वर्षों में या चार वर्षों में ज़मीन हरिजनों को दी जा सकती है और उन की माली हालत को सुधारा जा सकता है । हमारे सामने वादे तो बहुत किये जाते हैं, लेकिन जब उन को पूरा करने का सवाल आता है तो उन को टाल दिया जाता है । जहां कहीं नौकरियों में हरिजनों को लेने का सवाल आता है तो वहां यही जवाब दिया जाता है कि ये तो अयोग्य हैं, ये तो पूर्ण रूपेण शिक्षित नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों में भी अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) का सवाल पैदा हो रहा है । अगर आप उन को एम्पलाय करना चाहते हैं तो आप उन को लीजिये । आप को हजारों और लाखों की तादाद में हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मिल सकते हैं । मुझे मालूम है कि जहां कहीं आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, और पी० सी० एस० का सवाल आता है तो हरिजनों को स्थान नहीं मिलता है । अभी हाल ही में आडिटर जनरल के यहां पोस्ट निकली हैं, वहां भी सैकड़ों आदमियों की दरख्वास्तें पेश हुई हैं । क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि आप ने आडिटर जनरल के पास या और डिपार्टमैंट को कोई इंस्ट्रक्शन्स (आदेश) जारी किये हैं कि जो जो जगहें उन के यहां खाली हैं वहां शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो स्थान है वह केवल शिड्यूल्ड कास्ट को ही दी जायं । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ने ऐसे इंस्ट्रक्शन्स न दिये हों तो फिर भी उन को इंस्ट्रक्ट कीजिये ।

हम को रेलवे डिपार्टमैंट के बारे में पिछले साल रेलवे की रिपोर्ट पढ़ने का अवसर मिला था जब कि बहुत विनती करने के बाद मन्त्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी । लेकिन वह इस साल हमारे हाउस के सामने या मैम्बरों के सामने नहीं आई, इस का मुझे खेद है । मैं तो कहूंगा कि जितने भी डिपार्टमैंट हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, उन को आप इंस्ट्रक्शन जारी कीजिये कि उन के डिपार्टमैंट में कितने हरिजन हैं या उन का क्या परसैंटेज है, वह सब हम मैम्बरों के पास भेजें, ताकि हम पता तो लगा सकें कि हमारे कितने आदमी हैं । अभी तो हम कोई इस तरह की रिपोर्ट मांगते हैं तो वह नहीं दी जाती । जब कभी प्रश्न पूछते हैं तो यह कह कर अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह तो साम्प्रदायिकता का प्रश्न है । मैं कहना चाहता हूं कि क्या साम्प्रदायिकता का प्रश्न कर के आप इस समस्या को हमेशा टालते रहेंगे । क्या आप परदे की आड़ से शिकार करते हुए इस शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के प्रश्न को हमेशा अटकाये रखना

[श्री गणपति राम]

चाहते हैं ? मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप इस समस्या को हल कीजिये ।

आज आप कहते हैं कि हम ने ५० लाख की जगह अब ६० लाख रुपया स्कालरशिप देने के लिये शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिये कर दिया है लेकिन मैं पूछता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के पीछे आज उस में से कितना रुपया खर्च होता है । आप ने बैकवर्ड क्लासेज को मिला कर दोनों का नक्शा पेश कर दिया है और नाम लेते हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का । आप उस में पेश कर देते हैं बैकवर्ड क्लास को भी । अगर आप अलग से उन का नक्शा पेश करें तो पता लगे और वह हमारे सामने आये ।

मैं ने एक प्रश्न पहले पूछा था कि अनटचेबिलिटी (अस्पृश्यता) को दूर करने के लिये आप ने जो ५० लाख रुपया रखा है उस में से कितना रुपया खर्च हुआ । मुझे मालूम है कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह जवाब दिया था कि अभी तक उस में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया । यह कहा कि हमारी स्कीम बन रही है । साल ख़त्म हो गया, ५० लाख रुपया इस साल तक के लिये रखा गया है, यही रफ्तार रही तो वह पूरा का पूरा रुपया आप के बैंक में लौट आयेगा और वह ख़र्च नहीं हो सकेगा । क्या यही आप की रफ्तार रहेगी ? क्या इसी तरीक़े से आप चलना चाहते हैं ? मैं जब कभी जनता में घूमता हूं तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोगों की आबादी कितनी ज़्यादा है, क़रीब पांचवां हिस्सा है, लेकिन हमारे मन्त्री, डिप्टी मन्त्री, पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी कितने हैं । मैं आप से पूछना चाहता हूं और आप के ज़रिये मैं प्रधान मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब समाज की इस पुकार को सुनिये और आप उन को मौक़ा दे कर उन की योग्यता को देखिये । मैं आप को आवश्वासन दे सकता हूं कि हरिजनों में से जो भी लिया जायगा वह किसी भी मौक़े पर अयोग्य साबित नहीं हो सकता है ।

जहां पर अस्पृश्यता का सवाल आता है तो यह कह दिया जाता है कि अस्पृश्यता बहुत मानों में ख़त्म हो चुकी है । मैं गृह मन्त्री महोदय से ख़ास तौर से पूछूंगा कि आप ने अपने घर में, अपने यहां, क्या अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म कर देने का प्रयास किया है ? मैं तो यही कह सकता हूं कि केवल प्रधान मंत्री महोदय ही ऐसे हैं कि जिन्हों ने अपने घर में हरिजन रसोइये को रखा है । उन के अलावा कोई भी मन्त्री ऐसा नहीं जान पड़ता जिस ने हरिजन रसोइये को रखा हो । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहते हैं तो पहले अपने घर से आप इसे शुरू कीजिये । आप को देख कर दूसरे लोग आप का अनुकरण करेंगे । जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उन सब से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक एक आदमी को रखेंगे तो इस तरह से ५०० आदमी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के काम में लग जायेंगे ।

डा० काटजू : आप हरिजनों को रसोइया बनाने पर क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं ? हम तो उन को ज्यादा ऊंचा करना चाहते हैं, रसोइया थोड़े ही बनाना चाहते हैं ।

श्री गणपति राम : ताकि हम भी आप के बराबर आ जायं ।

डा० काटजू : हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आपने उद्देश्य क्या रखा ? कहां तो आप लीडर बनाना चाहते हैं और कहां रसोइया ?

श्री गणपति राम: सभापति महोदय, फिर हम माननीय प्रधान मन्त्री से यह कहना चाहते हैं कि जैसे कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

लिये १८० लाख रुपये पिछले साल उन की कल्याणकारी योजनाओं के लिये रखा गया था, उसी तरह से यदि ज़रा ठंडे दिल से ग़ौर करें तो आप को हरिजनों के लिये भी दो करोड़, चार करोड़, दस करोड़ रुपया रखना चाहिये था। अगर आप उन के लिये १८० लाख रुपया रखते हैं तो क़रीब छः करोड़ हरिजनों के लिये दस करोड़ रुपया उन के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिये रख कर उन को भी उद्योग और व्यापार में प्रोत्साहन दे सकते हैं। क्या आप के सामने ऐसी कोई योजना है ? आज समाज में और जनता में इस प्रकार की पुकार होती है, मैं आप से इस को कार्यान्वित कराना चाहता हूं।

आज जो यह कहा जाता है कि समानता है, तो मैं उन के सामने अभी ताज़ा देवगढ़ का दृष्टान्त रखना चाहता हूं कि किस तरह से श्री विनोबा भावे के साथ मन्दिर के पुजारियों ने व्यवहार किया। आज भी देहातों में अस्पृश्यता और छुआछूत की बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। आज भी बनारस में हिन्दू नाई हरिजनों की हजामत नहीं बनाते हैं और मुझे इस अवसर पर आप को यह बतलाते हुए कोई हिचक नहीं होती कि जब हमारे मंत्री श्री जगजीवन राम बनारस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब एक नाई जो इन के बाल बना रहा था, उस को जब मालूम हुआ कि ये हरिजन हैं, तो उस ने आधे बाल बना कर छोड़ दिया था और वह चीज़ आज भी बनारस में मौजूद है। इस के अलावा मुझे स्वयं सन् १९४८ में इस का अनुभव हुआ जब मैं ने काशी विश्वविद्यालय में वेद पढ़ने का प्रयास किया, तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई, आख़िर में बहुत प्रयत्न करने पर मेरे और कल्याणी देवी के लिए वेद पढ़ाने के वास्ते अलग से एक अध्यापक रखा गया।

सभापति महोदय : वह पहले ही ग्यारह मिनट ले चुके हैं, अब वह समाप्त करें।

श्री गणपति राम : मैं और अधिक न कह कर आप का ध्यान रिपोर्ट में कही गयी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि उन सुझावों पर शीघ्र से शीघ्र अमल किया जाय।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : वैसे डा० काटजू से सैकड़ों बातों पर मेरा मतभेद है, पर मैं मानता हूं कि इस विषय में दलगत बातें छोड़ कर हमें मिलजुल कर इन पिछड़ी जातियों की उन्नति की ओर, जो हिन्दू धर्म के ऊपर कलंक के टीके के समान हैं, ध्यान देना चाहिये। वे कोई दान नहीं मांग रहे हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उन के लिए बहुत कुछ किया था। मालवीय जी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द, रामानन्द चटर्जी आदि सज्जनों ने तथा मेरी संस्था ने अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत कुछ किया है। पर प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने और हम ने अपने कर्त्तव्य को निबाहा है ? आयोग का विचार है कि लोगों में अनुसूचित जातियों को अपनाने की भावना बढ़ती जा रही है, यह खुशी की बात है। उस का विचार है कि आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर में अस्पृश्यता रंचमात्र भी नहीं है।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह गलत है। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता मौजद है।

श्री एन० सी० चटर्जी : पश्चिमी बंगाल में अस्पृश्यता व्यवहारतः नहीं है, और पेशे के अनुसार ही लोगों को वैसा माना जाता है।

जैसा आयोग का विचार है, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह अस्पृश्यता के पालन किये जाने को तथा संविधान के भाग ३ में उल्लिखित अन्य अपराधों को दंडय ठहराने के लिए शीघ्र ही एक विधान बनायें।

डा० काटजू : श्रीमान्, मेरे विचार से प्रस्तावित विधेयक अगले सप्ताह के आरम्भ में प्रकाशित हो जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने गत वर्ष १३ दिसम्बर को एक रचनात्मक सुझाव दिया था कि सभी दलों और समाज सेवी संस्थाओं के व्यक्ति देश में एक दौरा करने का कार्यक्रम बनायें, जिस के सिलसिले में वे लोगों में यह भावना भरें कि स्वतन्त्र भारत में मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं हो सकता है । आयोग ने इस सुझाव की सराहना की है । मैं इस सुझाव को दुहराता हूं, जो भारत सरकार में और बंगाल सरकार में उत्तरदायित्व के पद पर रहने वाले डा० मुकर्जी ने दिया था । सभी दल और वर्ग मिल कर ऐसा दौरा करें और विशेषत: जहां अब भी अत्याचार हो रहे हैं, वहां जाकर लोगों को समझायें । जब तक ये अत्याचार बन्द नहीं होते, हमारा स्वाधीनता का दावा या संसद् के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होने का दावा निरर्थक है । तब तक हम पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं कर सकते ।

मेरा सुझाव है कि श्री राजभोज का सुझाव मान कर एक मंत्री और नियुक्त किया जाये, वैसे मैं सामुदायिक अनुपात के विवरण नहीं लेना चाहता । दूसरे राज्यों के तथा केन्द्र के लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों का एक सदस्य रखा जाये । फिर डा० काटजू कहते हैं कि हमें कुछ न्यूनतम अर्हता अवश्य रखनी है और हम खतरा नहीं उठा सकते हैं । पर राज्यपाल के लिए यह आवश्यक नहीं है; आप एक अनुसूचित जाति का राज्यपाल क्यों नहीं नियुक्त करते ? कोई भी व्यक्ति नृत्य या चित्रकला प्रदर्शिनियों का उदघ टन कर सकता है या अखिल भारतीय रेडियो से भाषण दे सकता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

रेडियो ने भी अपने शिक्षात्मक कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है । मैं तो डा० काटजू से कहूंगा कि न्यूनतम अर्हता की बात छोड़ दें । शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी छात्रवृत्तियों या स्थानीय अनुदानों के विषय में उन का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक केवल हरिजनों के ही शिक्षण का ध्यान रखा जाये । श्री सावरकर के शब्दों में मैं अपने अनुसूचित जाति वाले मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी हीन भावना का परित्याग कर दें । माननीय प्रधान मंत्री या गृह-मंत्री से प्राप्त हो सकने वाली कुछ सुविधाओं या पदों के ही लिये वह न झगड़ें, बल्कि डंके की चोट कह दें कि देश में किसी को यह अधिकार नहीं है कि उन को नागरिकता के समान अधिकारों से वंचित रखे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सारंगधर दास । कृपया अन्य सदस्यों द्वारा कही जा चुकी बातों को न दुहरायें ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : मैं भी मानता हूं कि अस्पृश्यता का अन्त कर दिया जाये और एक विधान बनाया जाये । पर मुझे यह देख कर बहुत निराशा हुई कि हमारे अनुसूचित जाति वाले सदस्यगण छात्रवृत्तियों और नौकरियों के लिए ही झगड़ रहे हैं । मान लीजिये, एक लाख स्थान हैं और उन में बीस हजार उन को मिल जाते हैं, पर दुर्गम क्षेत्रों और देहातों में रहने वाली अनुसूचित जातियों तथा आदिम जन जातियों के करोड़ों व्यक्तियों को इस से कुछ लाभ नहीं होगा । अत: मुख्य बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

आयोग भी बताता है कि हरिजनों और आदिम जन जातियों की बस्तियों में सामान्य

सुविधाओं के जैसे पीने के पानी तक के न होने और उन के मलेरिया-क्षेत्र होने के कारण अध्यापक भी वहां नहीं ठहरना चाहते । इस पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैं केन्द्र तथा राज्य सरकार से वर्षों से कहता आ रहा हूं । कुछ हजार रुपये स्वीकृत हुए भी, पर कुल ८–१० कुएं खोदे जा सके । यह साधारण कुओं की बात है नलकूपों की नहीं ।

फिर बच्चों के लिए उन के घरों से ५०–६० मील दूर आश्रम खोल कर उन को शिक्षा देना भी उचित समाधान नहीं है । जिस प्रकार हम सवर्ण लोग शहरों में शिक्षा पा कर और वहां की सुविधाओं के अभ्यस्त हो कर फिर गांवों को वापस नहीं लौटे, वही इन की भी दशा होगी । फिर आश्रमों में हिन्दू संस्कृति, इतिहास और शास्त्रों का अध्यापन भी ठीक नहीं है, इस से उन की स्वाधीनता की भावना नष्ट हो जायेगी । आशा है, आयोग इन बातों पर पुनर्विचार कर के जातीय सिद्धान्तों के अनुसार उन को शिक्षा प्रदान करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें । वह अगले दिन अपना भाषण चालू रख सकेंगे ।

बेकारी सम्बन्धी प्रस्ताव

४ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन गैर सरकारी सदस्यों का कार्यक्रम प्रारम्भ करेगा । पहले हम श्री गोपालन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर–उत्तर-पूर्व) मैं ने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित मिश्र ।

पंडित एस० सी० मिश्र: मैं कह रहा था कि माननीय वित्त मंत्री ने जो भारी भारी आंकड़े दिये हैं उन से न तो यह पता लगता है कि कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और न यह कि कितने बेकार हैं । वह समझते हैं कि वह काम के नये साधन पैदा कर रहे हैं परन्तु नये नये उद्योग बहुधा जितने आदमियों को काम देते हैं उस से अधिक संख्या में लोगों को बेकार कर देते हैं । खाद्यान्न, कपड़ा, चमड़ा तथा इन से बनाई जाने वाली वस्तुओं के उद्योगों के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि यदि एक आदमी को काम मिलता है तो दस पांच आदमी बेकार हो जाते हैं । हमारा देश न अमरीका जैसा है न ऐसा है जैसे रूस । यदि हम आंख बन्द कर के उन की नक़ल करेंगे तो बरबादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । मैं जानता हूं कि उत्पादन के प्राचीन तरीके नहीं चल सकते एक न एक दिन उन्हें बदलना ही पड़ेगा । मैं जानना यह चाहता हूं कि यह परिवर्तन किसी योजना के अनुसार होगा या 'बड़ी मछली छोटे को खाती है' इसी के अनुसार रहेगा । सरकारी बसों का एक उदाहरण दे चुका हूं । दूसरा उदाहरण खड्डी उद्योग का है । यदि खड्डी उद्योग को बचाना चाहते हैं तो हमें यह कानून बना देना चाहिये कि मिलों में जितने कर्घे हैं उतने ही रहेंगे उन की संख्या में किसी प्रकार वृद्धि नहीं की जा सकेगी । नहीं तो एक ओर हम उपकर लगा कर उन्हें कुछ सहायता देंगे दूसरी ओर मिलों की गला घोंट प्रतियोगिता उन्हें तबाह कर देगी । हमें यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि नये उद्योग आरम्भ करने की जितनी शक्ति हमारे पास है उस के लिये कोई योजना की आवश्यकता है या बिना किसी योजना के ही जिस का जो जी चाहे उद्योग आरम्भ कर दे । हमारे वित्त मंत्री को या इस सरकार को चाहिये कि कानून बनादे कि कर्घों में कोई भी पूंजी न लगाये, जिस को भी पूंजी लगानी हो लोहा तथा इस्पात के उद्योग में लगाये क्योंकि लोहा तथा इस्पात उद्योग

[पंडित एस० सी० मिश्र]

बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिये कि उद्योगों की एक तालिका बना दे और घोषित कर दे कि जो इन में पूंजी लगायेगा उस को सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा। हमारे देश के उद्योगपति जो उद्योग हमारे देश में हैं उन्हीं पर प्रहार करते हैं। किसी योजना के अभाव में बेकार के काम किये जा रहे हैं जिन में पैसा बरबाद हो रहा है, जैसे कोका कोला की योजना, पेय पदार्थों की योजनायें, मोटर के पुर्जे बाहर से मंगा कर उन्हें जोड़ने की योजनायें तथा सिनिमा की योजनायें। कुछ नदी-घाटी परियोजनायें तथा सरकारी बसों की योजनायें आप ने बनाई हैं। नदी-घाटी परियोजनाओं में आप बुलडोज़र्स का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप बुलडोज़र्स का प्रयोग न करते तो हजारों आदमी काम पर लगाये जा सकते थे। जो काम हम देसी ढंग से कर सकते हैं उन को हमें आयात की हुई विदेशी मशीनों से नहीं करना चाहिये। बुलडोज़र्स का यदि आप उपयोग न करते तो चौदह लाख आदमियों को काम पर लगा सकते थे। क्या आप का विचार है कि भाखड़ा-नांगल परियोजना में यदि करीब सात लाख व्यक्ति काम पर लगे हैं तो और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी।

मुझे भूमि का फिर से बटवारा किये जाने के सम्बन्ध में एक सुझाव देना है जो श्री राजभोज द्वारा भी दिया जा चुका है। जब तक देश में उद्योगों की उन्नति नहीं होती है हमारा सब से बड़ा सहारा भूमि है। पांच छै वर्ष से अधिक अन्न उपजाओ योजना चल रही है। कुयें खोदने के सम्बन्ध में जितने चार्ट या योजनायें हैं वे सभी केवल कागज़ पर हैं। सरकार ने कहा था कि जो कुयें खोदे जायेंगे उन की लागत का पचास प्रतिशत सरकार देगी। इस का परिणाम यह हुआ कि केवल धनी लोगों ने ही कुए खदवाये और अब कोई इन का उपयोग भी नहीं कर रहा है। इस के स्थान पर यदि आप भूमिहीन मज़दूरों के एक परिवार को प्रत्येक कुएं के पास दो एकड़ भूमि दे देते और कह देते कि पांच वर्ष में यह भूमि तुम्हारी हो जायेगी तुम को प्रति वर्ष अमुक अमुक फसल के उत्पादन में से २० मन देना पड़ेगा तो एक चमत्कार सा हो जाता।

अब मैं पढ़े लिखे वर्ग में फैली बेकारी के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पढ़े लिखे लोग अपने पारिवारिक धन्धों में लग जायें। परन्तु पारिवारिक धन्धे तो नष्ट होते जा रहे हैं। इस के स्थान पर एक एक ग्राम को एक इकाई समझ कर दस एकड़ भूमि के लिये एक ग्रेजुएट नौकर रखा जाये। यदि आप गांव पंचायतों को गांव की सम्पत्ति पर तथा गांव के आस पास की भूमि पर अधिकार दे दें तो बहुत से सुधार हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार पढ़े लिखे व्यक्तियों को बहुत से कार्यों में लगाया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर पूर्व) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष है तथा सदन के बहुमत की इच्छा से इस पर होने वाले वाद विवाद का समय बढ़ा दिया गया है तो ऐसी परिस्थितियों में भी वे मंत्री उपस्थित नहीं है जिन का इस विषय से मुख्य सम्बन्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार को इस विषय में जितनी रुचि होनी चाहिये उतनी रुचि नहीं है। एक बड़ा काम यह हुआ है कि देश का ध्यान न केवल इस परिस्थिति की ओर आकर्षित हो गया है वरन इस बात की ओर भी आकर्षित हो गया है कि आजकल की सरकार इस को हल करने में कितनी असमर्थ है। पंचवर्षीय योजना में संशोधन करने के लिये भी सरकार को इस प्रस्ताव की राह देखनी पड़ी।

कभी कभी सरकार की ओर से कहा जाता है कि बेकारी की समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। परन्तु यह समस्या वास्तव में इतनी गंभीर है कि माननीय योजना मंत्री को भी स्वीकार करना पड़ा कि यह हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है। मद्रास के प्रशिक्षक बुनकरों के दलिया केन्द्र, पश्चिमी बंगाल के दो हज़ार डाक्टरों की, जिन के पास डाक्टरी की डिग्रियां हैं, बेकारी तथा कारखानों व शिपयार्डों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की बेकारी से कौन परिचित नहीं है और ऐसी दशा में इस समस्या की गंभीरता से कौन इनकार कर सकता है।

कभी कभी इस समस्या का निदान खोजते हुए अत्यधिक जन संख्या की ओर निर्देश कर के एक प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया जाता है। सन् १७५० से १९४१ तक भारत की जन संख्या तीन गुनी हो गई है परन्तु इसी समय में इंगलैण्ड की जनसंख्या पांच गुनी हो गई है और वह भी जब कि वहां से कितने ही व्यक्ति देशान्तर-गमन करते रहते हैं। भारत की जन संख्या वृद्धि की दर तथा हालैण्ड की दर एक ही है। सन् १८९४ में जर्मनी की जन संख्या दर ३६ थी तथा भारत की ३४ थी। परिवार नियोजन कौन नहीं चाहता है? परन्तु यदि हम अपने देश की जनता से, जिसे न पेट भर भोजन मिलता है न तन ढकने को कपड़ा और न सर छिपाने को छत गर्भनिरोध के उपायों को अपनाने के लिये कहें तो संभव है कि वे इसे सहन नहीं करेंगे। जनसंख्या की समस्या को प्रधानता देने का मतलब यह है कि हम घोड़े के सामने गाड़ी को रख रहे हैं। हम उन साम्राज्यवादी वक्ताओं की बातों को दुहरा रहे हैं जो हमारे देश की जनता से दासों जैसा काम लेना चाहते हैं, जो हमें तोप का चारा बनाना चाहते हैं तथा हमारा शोषण करना चाहते हैं। जब तक हम इस मनोवृत्ति के पंजे से अपने को स्वतन्त्र नहीं करेंगे हम उन समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं जो हमारे सामने हैं।

पश्चिमी बंगाल के जन संख्या अधीक्षक के प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकारी आदमियों को भी हमारी समस्याओं का कुछ कुछ आभास होने लगा है। १९ नवम्बर, १९५३ के "पश्चिमी बंगाल" के अंक में जो पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह लिखा है कि इस्तमरारी बन्दोबस्त हमारी जन संख्या के गले में पड़ी एक प्रकार की चक्की की सिल है। आगे चल कर यही पत्र कहता है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भूमि राजस्व आयोग (१९४०) के अनुसार बिना भूमि सुधार के तथा भूमि के पुनर्वितरण के कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामूली निदानों--जैसे अच्छे बीज, क्रय विक्रय की सुविधाओं में सुधार, सिंचाई सम्बन्धी सुधार तथा कुछ अतिरिक्त खाद--से परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। मेरी शिकायत यही है कि सरकार ऐसे ही छोटे छोटे कामों में लगी है और इस के लिये अपने को लम्बी चौड़ी प्रशंसा का अधिकारी बताती है। आगे चल कर इसी पत्र में कहा गया है कि हमारी वर्तमान कठिनाइयों के दो प्रधान कारण हैं एक तो हमारे देश की भूमि व्यवस्था तथा दूसरे विदेशी पूंजी का आधिपत्य।

पेशेवर अर्थ शास्त्रियों में से डा० मथाई ने कुछ दिन पूर्व कामर्स ग्रेजूयेट संघ में बोलते हुए कहा था कि हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक संगठन को फिर से ठीक किया जाये। सरकार ने यह काम व्यापार के सरकारी तथा ग़ैर सरकारी क्षेत्र में एक नया विवाद उत्पन्न कर के आरम्भ कर दिया है, इस के अतिरिक्त छोटे तथा बड़े उद्योगों में भी एक नया झगड़ा उठाया जा रहा है। भारत सरकार ने भारत के उत्पादकों तथा भारत के

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

उपभोक्ताओं के बीच विरोध उत्पन्न कर ही दिया है। आप साबुन जैसी वस्तु के विषय में यही बात देख सकते हैं क्योंकि भारतीय साबुन निर्माता संघ चाहता है कि विदेशी पूंजी से इस उद्योग की रक्षा की जाये। भूमि सम्बन्धी सुधारों में भी झगड़ा चल रहा है। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, जो पहले अंग्रेजी सरकार के उपाधिकारी थे तथा अब योजना आयोग के उप सभापति हैं, कहते हैं कि मज़दूरों के कल्याण के लिये जो कानून बनाये गये उन से मज़दूरों पर होने वाला व्यय तो बढ़ गया परन्तु साथ ही उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसी के कारण कुछ क्षेत्रों में शेष श्रम को लाभदायक कामों में लगाना असम्भव हो गया है। इस की जांच करने के तथा इस का कोई उपाय ढूंढने की आवश्यकता है।

यदि राष्ट्रीय योजना आयोग के उप-सभापति जैसे व्यक्ति यह कहते हैं कि उद्योग-पतियों को और छूटें दी जायें; हम को और अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, छंटनी किये गए मज़दूरों को लाइसेंस यदि हम चाहें तो दिये जायें तथा जो भी छूटें मज़दूरों को दी गई हैं उन्हें हाल के विधान के द्वारा वापस ले लीजिये। ऐसा सुन कर महान आश्चर्य होता है। इस प्रकार की चीज़ इस कारण पनप रही है कि सरकार का इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त है ही नहीं। यदि इस ओर ध्यान होता तो यह स्थिति कभी भी उत्पन्न न हो पाती।

माननीय वित्त मंत्री एक बार वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों की संख्या के विषय में बता रहे थे कि इस में दिनों दिन अत्यधिक वृद्धि होती चली जा रही है। उन्हों ने सामूहिक परियोजनाओं के विषय में भी कुछ कहा था। मैं "इक्नामिक वीकली" के आधार पर कह रहा हूं कि इस योजना से ग्रामीणों को किस प्रकार जीविका मिलेगी? मान लीजिये कि वह प्रशिक्षित हो भी जाते हैं तो भी उन्हें कोई कार्य प्रारम्भ करने के लिये कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ही। दूसरे, यदि वे सफल होते हैं, तो उन्हें अपना सारा उत्पादन बाजार में लाना पड़ेगा। तो उन्हें कहां से धन मिलेगा और उन का माल कौन खरीदेगा? आप कह सकते हैं कि भाखड़ा-नंगल तथा दामोदर घाटी योजना में इतने लोगों को काम दिया जा रहा है किन्तु बाद को क्या होगा? इस पर तो ज़रा विचार कीजिये। वास्तविक अर्थ-व्यवस्था की क्या यही नींव है?

कुछ दीर्घ कालिक उपाय हैं किन्तु उस समय तक बेचारे बेकार लोग तो ठिकाने लग जायेंगे जैसा कि लार्ड कीन्स ने कहा था। कुछ अल्प-कालिक उपाय ये हैं कि ५० करोड़ रुपया सहायता के लिये निर्धारित कर दीजिये। इस की सब ने 'भिक्षा' कह कर खिल्ली उड़ाई थी। अन्य देशों में इसी 'भिक्षा' से बेकारी के समय में लाभ उठाते हैं। वस्त्र उद्योग तथा अन्य उद्योगों में छंटनी पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विधेयक रखा गया था, हम लोगों ने उस का समर्थन किया था।

ईस्टर्न इकानामिस्ट' ने लिखा था कि २,१०,००,००० रु० की धनराशि जो टेक्निकल ज्ञान के लिये क्रप्स डेमाग नामक जर्मन समवाय को दे दी गई थी वह भारतीयों को दी जा सकती थी। इस के अतिरिक्त निजी थैलियों की राशि में कटौती की जा सकती है। आय-कर के सम्बन्ध में भी उचित जांच-पड़ताल करने से सरकार की आय में समुचित वृद्धि की जा सकती है। टाटा-बिड़ला योजना में १९४४ में कहा गया था कि देश में १,००० करोड़ गुप्त धनराशि है। यदि उस में से ३०० करोड़ रुपया भी मिल जाता तो १९५३ में हम को १,२०० करोड़

रुपया इस प्रकार मिल गया होता । किन्तु हमारी सरकार तो इस प्रकार का कोई कार्य कर ही नहीं रही है । इस का उत्तरदायित्व हमारे तथा सरकार दोनों के ऊपर है कि यह गुप्त धनराशि का पता लगा कर उसे देश के हित में लगाये ।

छंटनी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने के लिये भी सरकार पूरी तौर से तैयार नहीं है किन्तु देश के हित की दृष्टि से ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है । कृषकों के ऋणों को वसूल करना कुछ समय के लिये स्थगित कर दीजिये इस से लोगों को काफी सहायता मिल जायेगी । भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारों के मुनाफे ६% प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहियें । १९४८ की औद्योगिक नीति का पुनः पालन करिये तो यह सुझाव आप को मूर्खता-पूर्ण नहीं जान पड़ेगा ।

आज देश में बंगाल कोल कम्पनी तथा दि इण्डियन केबिल कं० लिमिटेड जैसी कम्पनियां करोड़ों रुपये का लाभ कमा रही हैं । यही दशा विदेशी बैंकों की भी है । इस प्रकार विदेशी कार्य कर रहे हैं तथा उन्हों ने १९५१ में अपने अपने देशों को केवल १९६ लाख रुपया अपने लाभ का भेजा है । अच्छे वर्ष में, जूट कम्पनियां ५० करोड़ रुपये का कुल लाभ कमा लेती थीं यह १९५१ के 'कैपिटल' में प्रकाशित किया गया था । वर्तमान व्यवस्था में इतना होना सम्भव नहीं । इस प्रकार विदेशी हमारे देश का न जाने कब से शोषण करते रहे हैं, यह हमें ज्ञात नहीं । अब हम इस को सहन नहीं कर सकते ।

विदेशी कम्पनियों के मुनाफे का पुनर्देशा-वर्तन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये और तभी हम नियमित रूप से वास्तव में आगे बढ़ सकेंगे । सड़क तथा रेल का विकास होना चाहिये । पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्य भारत का विकास होना चाहिये । आज २५ प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हो गई है । सरकार खाद्यान्नों तथा औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि करना चाहती है किन्तु अधिक मूल उद्योगों को क्यों नहीं प्रारम्भ किया जाता ? हमारे देश में इस्पात तथा अन्य सहायक उद्योगों की कमी के कारण रेलों आदि का विकास नहीं हो सकता ।

सरकार कभी कभी कुछ अच्छी बातें भी कहती है किन्तु वे अधिकतर भावुकतामय ही होती हैं । आज तो काम उस व्यक्ति को मिल सकता है जिस की अधिकारियों में कुछ पहुंच है किन्तु जिस के पास यह नहीं उस बेचारे को कोई भी पूछने को तैयार नहीं । इस प्रकार सामान्य जनता के समक्ष जीविका का प्रश्न बहुत गम्भीर है । उन बेचारों को खानों आदि में कठिन परिश्रम करना पड़ता है । इसी कारण 'ईस्टर्न इकानमिस्ट' ने लिखा है कि अब अधैर्य का युग आ गया है ।

महाभारत के अनुसार दरिद्रता सब से बुरी वस्तु है क्योंकि इस से मनुष्य तिरस्कृत समझा जाता है । अतः मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक इन छोटे छोटे सत्ताधारियों को निकाल कर बाहर नहीं किया जायेगा, जो आज हमारे ऊपर शान से अधिकार जताते हैं, तब तक हम लोग चैन नहीं ले सकते ।

श्री रघूरामय्या (तेनालि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब प्रश्न पर मत लिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अब प्रश्न पर मत लिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० डी देशमुख का एक संशोधन संख्या ३० है । मैं उसे सदन में रखूंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के लिये निम्न आदिष्ट किया जाये, ...

"यह सदन देश में बढ़ती हुई बेकारी से अत्यधिक चिंतित है, और यह विचार रखता है कि देश में सेवायोजन के अवसरों को बढ़ाने के लिये पंच वर्षीय योजना को उचित रूप से परिवर्तित करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए तथा ऐसे उपायों को काम में लाना चाहिये जो इस कार्य के लिये आवश्यक हों ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहना है । नया संकल्प पुराने संकल्प का स्थान ले लेता है । अब सदन में श्री डी० सी० शर्मा के संकल्प पर विचार किया जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी (हमीरपुर जिला) एक औचित्य प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद १०७ के अनुसार विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । यदि किसी विधेयक पर विचार करना रह गया है तो चाहे अन्य कार्य रोक दिये जायें किन्तु उस विधेयक को हटाया नहीं जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस मामले में अपवाद लागू किया गया है । यह संकल्प चतुर्थ एवं पंचम अधिवेशन से चल रहा है । बिना इस तथ्य पर ध्यान दिये कि चतुर्थ अधिवेशन समाप्त हो गया था मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अपवाद स्वरूप है अतः इस क्रिया को आगे न बढ़ाया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले पांच दिनों से अधिक समय बीता जब से हम इस पर विचार कर रहे हैं । अतः यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति थी तो उसी समय कहना चाहिये था । कोई भी औचित्य प्रश्न तत्काल वहीं पर उठाया जाना चाहिये । औचित्य प्रश्न का महत्व यह है कि उस के उठते ही सदन की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है । हम पहले वाले संकल्प पर विचार कर चुके हैं और अब श्री डी० सी० शर्मा के संकल्प पर विचार करने जा रहे हैं । इस बीच औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जो संकल्प अभी रह गये हैं उन पर आगे विचार करने के लिये उन को लिया जा सकता है । मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि कोई भी अन्य संकल्प जिस पर अभी विचार नहीं किया गया है, अगले अधिवेशन में यदि सत्रावसान हो जाता है तो उस पर विचार किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी संकल्प पर अगले अधिवेशन में विचार किया जाता है जिस पर अभी तक विचार नहीं किया गया था तब तो वह कह सकते हैं कि यह नियम विरुद्ध है । अब सदन के सम्मुख कोई ऐसा मामला नहीं है । माननीय सदस्य को तभी अवसर मिलेगा जब ऐसा ही संकल्प दुबारा रखा जाये । उसी समय उन की बात पर विचार किया जायेगा ।

पत्रकारों के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सदन का विचार है कि देश के समाचार-पत्र संगठनों में सेवायुक्त समस्त पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४ वां) के अन्तर्गत लाया जाए और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रयोजन के निमित्त उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाए ।"

मेरे ऐसे संकल्प रखने से यह कहा जा सकता है कि मेरा उद्देश्य निम्नतम श्रेणी के लोगों द्वारा प्रशंसा कराना है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : किसी भी प्रकार से मेरा यह संकल्प पहले से निश्चित नहीं था । अतः मैं इसे रखने में पूर्णरूपेण न्यायोचित कार्य कर रहा हूं । मुझे अपने एक विद्यार्थी का हृदाउरण स्मरण हो आता है जिस ने एक पत्रकार का जीवन आरम्भ किया था । अचानक ही वह बेचारा बीमार पड़ गया और अपने शोक सन्तप्त परिवार को छोड़ कर चल बसा । एक माह पश्चात ही उस की पत्नी विरह-वेदना से पागल हो गई । अतः मैं जानता हूं कि एक पत्रकार का जीवन कितना संकटमय होता है ।

देश की स्वतन्त्रता के लिये इन पत्रकारों ने जो श्लाघनीय कार्य किया है, उस के लिये उन को धन्यवाद देना चाहिये । इंगलैण्ड जैसे देश में पत्रकारों को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हीन समझा जाता था, और विशेष कर प्राधिकारियों द्वारा । उन का वेतन भी बहुत कम होता था । ऐसी हीन अवस्था से पतीस वर्ष पहले प्रत्यक्ष काम करने वाले लोगों ने अपना आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उठाने के लिये संघर्ष किया और पत्रकारों का राष्ट्रीय संघ स्थापित किया । जो दशा तब वहां के पत्रकारों की थी, वही आज अपने देश के पत्रकारों की है । लगभग २००० सदस्यों से मिल कर बने पत्रकारों के संघ ने अपनी दिवस मनाया और कर्मकरों के रूप में अपनी मान्यता की मांग करते हुए संकल्प पारित किये । जिस की प्रतियां उन्हों ने सब मंत्रियों को भेजीं । जब जनमत को प्रभावित करने वाले दो हजार लोगों की ऐसी मांग है, तो उसे क्यों पूरा नहीं किया जाना चाहिये । "टाइम्ज आफ इण्डिया" के मामले में २०० पत्रकारों को नोटिस दिया गया था, परन्तु औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह पंचाट दिया कि केवल लिनो-टाइप औप्रेटर्ज़ को ही कर्मकर कहा जा सकता है, और श्रमजीवी पत्रकार को वह पद नहीं दिया जा सकता और उसे केवल कुछ मुआवज़ा दिया जा सकता है । इस के अतिरिक्त नियोजकों ने यह आश्वासन दिया था कि यदि न्यायाधिकरण ने उन के पक्ष में राय नहीं दी, तो वे इस की पूर्ति करेंगे । परन्तु कार्य रूप में कुछ नहीं हुआ, और "टाइम्ज़ आफ इण्डिया" ने एक श्रमजीवी पत्रकार को यह कहा कि उसे मुआवज़ा नहीं दिया जा सकता ।

श्रम मंत्री (श्री व० वी० गिरि) जिस मामले में मैं विचार कर रहा हूं, यह वैयक्तिक मामला हो सकता है । परन्तु बाकी सब मामलों में उन्होंने आश्वासन का पालन किया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि उन्हों ने उस आश्वासन का पालन किया है । मैं चाहता हूं कि किसी मामले में अपवाद नहीं होना चाहिये । ३ अगस्त को पी० टी० आई० कर्मकरों की बैठक में मैं अन्य संसद् सदस्यों के साथ वर्तमान था, और हम ने उन की मांगों को सुना जिस में हजारों कर्मकरों की सहमति थी । वहां के भाषणों से उन की दुर्दशा का पता चलता था । उन के झण्डे को देख कर मुझ बड़ा दुख हुआ जो यह था "चिर शोषित पी० टी० आई० कर्मचारी उचित पारिश्रमिक मांगते हैं ।"

वहां उस समय की गई अपील में कहा गया था कि उन की भर्ती की कोई निश्चित पद्धति नहीं, बहुत से लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते, कोई वेतन स्तर नहीं तथा उन्नति की कोई पद्धति नहीं । प्रबन्धक अपनी इच्छानुसार वृद्धि देता है, छुट्टियों के नियम नहीं, निवृत्ति की शर्तें नहीं, तथा एक ही काम करने वाले लोगों के वेतन में बहुत

[श्री डी० सी० शर्मा]

अन्तर है । मुफस्सिल केन्द्रों में कर्मचारी कम हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं के बराबर हैं इत्यादि । मैं ने जो बातें अपनी आंखों से देखी है, उन का वर्णन करूंगा । लाहौर में वाई० एम० सी० ए० में "संपादन कला है अथवा उद्योग" पर वाद विवाद था । दोनों दृष्टिकोणों पर विचार प्रस्तुत किये गये । परन्तु आज संपादन भूखे पत्रकार, अथवा रिपोर्टर के लिये कला हो सकता है, परन्तु प्रैस का नियंत्रण करने वालों के लिये तो यह उद्योग है । हमारे समाचार पत्रों का नियंत्रण उद्योगपतियों के हाथों में है, और वे इसे नष्ट कर रहे हैं । तथा उन का उद्देश्य समाज सेवा न हो कर धनोपार्जन है । ऐसा इसलिये होता है कि उन लोगों के पास धन-बल है ।

"लीडर" प्रयाग कार्यालय, "अमृतबाज़ार पत्रिका" कार्यालय तथा अन्य पत्रों के मामले में भी कुछ कठिनाइयां थीं, जिन में बेचारा पत्रकार पिसता रहा । कुछ पत्रकारों ने बहुत बुरी तरह क्षति उठाई । हमें अपने पत्रकारों के साथ अधिक सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये । विदेशों में, उदाहरणार्थ इंग्लैंड में वहां के पत्रकारों का राष्ट्रीय संघ है, और जब तक कि संघ तथा नियोजक के बीच कोई करार नहीं हो जाता, तब तक पत्रकार को हटाया नहीं जा सकता । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्रम संबंधी कानून पत्रकारों पर भी लागू होते हैं, कर्मचारियों के वेतन-निर्माण और सेवा की शर्तें तथा रिपोर्टरों के भत्ते और साइकल भत्ते आदि सब के विषय में नियम बनाए गए हैं । आस्ट्रेलिया में फाकारों के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित किया गया है ; स्थायी रूप से वृद्धि, तथा भविष्य निधि आदि सुविधाओं का प्रबन्ध है । अन्य देशों में भी पत्रकारों को सुविधायें प्रदान की जा रही हैं; परन्तु हम ने उन के लिये क्या उपबन्ध किया है ?

लोग पत्रकारों को चौथा वर्ग मानते हैं । भारत में केवल दो वर्ग हैं एक नियोजकों का, दूसरा कर्मकरों का । परन्तु इस में कोई सार नहीं है कि केवल नियोजकों और कर्मकरों के केवल दो वर्ग ही क्यों रहें ।

फ्रांस में पत्रकारों के लिए वेतन और वृद्धि सम्बन्धी विधान है । अर्जन टाइना में भी उन्हें सुविधाएं दी गई हैं । मैं उन के लिये आराम की मांग नहीं करता, अपितु उन के लिये सक्षमता चाहता हूं कि वे निम्नतम जीवन स्तर से ऊंचा अपना जीवन स्तर बना सकें ।

हमारे श्रम मंत्री मजदूर संघों के पक्ष में हैं और वे कहते हैं कि नियोजकों के साथ वार्तालाप करना चाहिये । परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि वार्तालाप करने से भी बेचारे पत्रकारों का कुछ भला नहीं हो पाता । वे कहते हैं कि 'न्यायाधिकरण के पास जाओ' । परन्तु वे अपनी नौकरियों को छोड़ कर न्यायाधिकरण के पास कैसे जा सकते हैं ? यह कहा जाता है कि प्रैस कमीशन के सामने यह मामला है । परन्तु इतने वर्षों से तो अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला । यदि इस समस्या का हल न हुआ, तो यह जन जीवन के हित के लिये घातक सिद्ध होगा । यदि इन पत्रकारों की उचित मांगों को पूरा करने वाला व्यापक विधान सामने लाया जाये, तो मुझे प्रसन्नता होगी । रोगी के मर जाने के उपरान्त दवाई का क्या उपयोग ! अतः मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वे पत्रकारों को कर्मकरों में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करें । यदि ऐसा अब संभव

नहीं है, तो वे एक अध्यादेश जारी करें। क्योंकि पत्रकार हमें सूचना, समाचार तथा जानकारी देते हैं, अतः उन के साथ सद्-व्यवहार होना ही चाहिये।

अन्त में मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन मामलों में भी सहानुभूति के साथ विचार करें और इन पत्रकारों की कठिनाइयों को दूर करें। जिन अक्षमताओं के कारण वे पीड़ित हैं, उन को समाप्त करना चाहिये। ऐसा करने से हम जन जीवन का उचित निर्माण कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले सदन के सन्मुख प्रस्ताव रखता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"इस सदन का यह मत है कि देश में समाचार पत्र संघों में काम करने वाले सब पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ (१९४७ का १४ वां) के क्षेत्राधिकार के अन्दर लाया जाना चाहिये, जिस का, यदि आवश्यक हो, तो इस लक्ष्य की दृष्टि से संशोधन किया जाए।"

मैं श्रमजीवी पत्रकारों को प्राथमिकता दूंगा, और फिर दूसरे सदस्यों को बुलाऊंगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं श्रमजीवी पत्रकार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हमें हमारी संपादन कला के सम्बन्ध में घोषणा करनी पड़ेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आल्वा।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : पत्रकार लोग रातों जाग कर तथा दिन भर लगातार काम करते हैं। प्रातः २ बजे या ३ बजे या कभी भी उठ कर काम करने में उन्हें आलस्य नहीं आता। परन्तु हम उन के आराम अथवा सुविधा की परवाह नहीं करते। वे मेहनत कर के हमारे लिये सूचनाएं प्रकाशित करते हैं, तथा रिपोर्टर लोग अपना आराम छोड़ कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। विदेशी व्यक्ति को तो तुरन्त रहने को अच्छा मकान मिल जाता है, परन्तु बेचारे पत्रकारों को क्वार्टर के लिये मारे मारे फिरना पड़ता है।

भारत पत्रकार कला की बुरी दशा है, जबकि विदेशों में पत्रकला बहुत उन्नति पर है। हम ने भारतीय भाषा प्रैस की बिल्कुल उपेक्षा कर रखी है। भारतीय प्रैस का अंगरेज़ी विभाग पर्याप्त धन सम्पन्न है। परन्तु १० या २० वर्षों में भारतीय भाषा प्रैस संसार के प्रमुख दैनिक पत्रों प्रवदा, डेली न्यूज़, डेली ऐक्सप्रैस, या मिनाची से भी अधिक विकसित हो जायगा।

आज भारत में या तो घटिया पत्रों का भविष्य उज्ज्वल है अथवा चोर बाजारी करने वाले धनिकों द्वारा नियंत्रित प्रैस का। भावावेश, निन्दा, तथा धांधली न मचाने वाले शुद्ध पत्रकार-कला के लिये भारत में कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता, और देश रक्षा के निमित्त अच्छे गुणों को अपनाने वाले पत्रकारों की अत्यन्त आवश्यकता है।

आज हम पत्रकारों के लिये आराम और साधारण सुविधाओं की परवाह भी नहीं करते, जबकि कर्मकरों में क्लर्क, ओप्रेटर आदि बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं, तो पत्रकारों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में क्यों सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। कुछ समय हुआ जब पत्रकारों को चोर बाजारी से रुपया कमाने वाले धनिकों के आश्रय पर ही रहना पड़ता था। परन्तु अब वह युग नहीं है। अब उन धनिकों

[श्री जोकीम आल्वा]

ने पी० टी० आई० के राष्ट्रीय समाचार अभिकरणों पर भी काबू पालिया है । ये वे युवक हैं, जिन में देशभक्ति, परिश्रम आदि अनेक गुण हैं । परन्तु जिस चीज़ के वे अधिकारी हैं, वह चीज़ भी उन्हें नहीं मिल पाती । नियोजक लोग उन रिपोर्टरों को भी उन के कार्य के अनुसार वेतन नहीं देते । और बहुत से लोगों को वेतन भी नहीं मिलता । और जब पी० टी० आई० के कर्मकरों ने संयुक्त मांग की, तो उन्हें कहा गया कि वे दबाव के आगे नहीं झुकेंगे ।

भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र समाज में प्रवेश-शुल्क १००० रुपये वार्षिक है । यदि कोई पत्र इस शुल्क को न दे सके, तो वह इस का सदस्य नहीं रहेगा । इसीलिये भारतीय भाषा के समाचार पत्र उन से दूर रखे गये, और दूसरे पत्रों ने बहुत लाभ उठाया । उन्हों ने युद्ध में बहुत धन कमाया और जो छोटे पत्र १००० रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं दे सकते थे, वे पीछ रह गये ।

मित्र महोदय ने होरनीमैन का वर्णन किया, जो बड़े आदमी थे । हिन्दू पत्र ने अपनी शुद्ध नीति से अपना पत्र अच्छी तरह चलाया । इस के अतिरिक्त भी बंगाल और दिल्ली में कुछ प्रसिद्ध पत्र हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है । यहां पत्रकारों की केवल यही मांग है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में उन्हें भी सम्मिलित किया जाय, ताकि यदि कुछ झगड़ा खड़ा हो, तो वे न्यायालय में जा कर उस का फैसला करवा सकें ।

परन्तु पत्रकारों को भी चेतावनी दी जाती है, कि उन्हें भी चरित्रवान बन कर अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करना चाहिये । उन्हें अपने नियोजकों का पूरा साथ देना चाहिये तथा हड़ताल आदि की धमकी न देनी चाहिये । वास्तव में जब ऐसी कोई बात होगी, तो वे न्यायालय में जा कर अपने अधिकारों की मांग कर सकेंगे । अतः उन्हें अपने चरित्र को ऊंचा उठा कर अपने महान राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने में नहीं चूकना चाहिय । यदि कहीं आम हड़ताल होती है, तो उन्हें सूचना देनी चाहिये । जब कभी साम्प्रदायिक झगड़ा हो अथवा राष्ट्रीय उथल पुथल हो, तो वे अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंग, यदि उन की ये शर्तें पूरी की जाएंगी ।

पत्रकारों की ये न्यूनतम मांगें हैं और न्यायपूर्ण भी हैं, जिन्हें हम ने सर्वसम्मति से सदन के सन्मख रखा है । भारतीय पत्रकारों ने तथा पत्रों ने जो देश के हित में काम किया है, और विशेष कर भारतीय भाषाओं के पत्रों ने, वह सराहनीय है । उन्हों ने भावपूर्ण सम्पादकीय टिप्पणी लिख कर देश की अंगरेज़ी न पढ़ी हुई जनता को जागृत किया और राष्ट्रीय हित में सहायता दी । इस सारे मामले को भारतीय प्रैस आयोग के सुपुर्द किया गया है, परन्तु वे भी कोई फल निकालनें में निराश ही रहेंगे ।

जब तक देश की अर्थ-व्यवस्था संगठित नहीं होती, तब तक कोई आशा नहीं है । ५ व्यवित ५०० पत्रों का नियंत्रण करते हैं--- आज यह स्थिति है । मास्को में एक विशाल संघ प्रवदा का निर्माण किया गया ह । हमें भी इन बातों पर विचार करना चाहिये । हमारे संघों का नियंत्रण राज्य द्वारा होना चाहिये, तभी समाज का कल्याण हो सकेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रो० शर्मा ने जो संकल्प रखा है वह अत्यन्त समयोचित एवं उपयुक्त है इसलिये मैं प्रो० शर्मा को बधाई देता हूं ।

मेरा सम्बन्ध पत्रकारिता से रहा है, इसलिये मैं जानता हूं कि, इस समय पत्र-

कारों की क्या दशा है और उन के मालिक उन के साथ किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। यदि इस देश में प्रेस का अस्तित्व कायम रखना है तो उन लोगों को संरक्षण देना होगा जो प्रेस के संचालन के लिये उत्तर-दायी हैं। आजकल भारतीय प्रेस में जो दशाएं विद्यमान हैं वे बिल्कुल भी सन्तोष-जनक नहीं हैं। जब तक पत्रकारों की हालत नहीं सुधारी जायेगी तब तक वे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा न सकेंगे।

पत्रकारों के साथ उन के मालिकों का बर्ताव बहुत खराब रहा है। आज हमारी मांग बस यही है कि पत्रकारों को भी कर्मकरों के वर्ग में शामिल कर लिया जाये। वे साधारण कर्मकर नहीं हैं। वस्तुतः वे जनमत के ढालने वाले हैं। पत्रकारों तथा राजनीतिज्ञों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उन दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध रहता है। हम प्रायः देखते हैं कि जब तक किसी पत्र-कार का किसी समाचारपत्र विशेष से सम्पर्क रहता है तब तक तो राजनीतिज्ञ उस का सम्मान करते हैं, परन्तु ज्यों ही वह किसी कारणवश उस से अलग हो जाता है त्यों ही वे उस से बात तक नहीं करते। यह बड़े दुख की बात है। पत्रकारों के प्रति हमारा बर्ताव अधिक अच्छा होना चाहिये। हमें सर्वप्रथम उन के हितों की रक्षा करनी चाहिये। मेरे पास एसे कई उदाहरण हैं जिन से यह मालूम होता है कि पत्रकारों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। 'सर्चलाइट' पत्र के एक सहायक सम्पादक को केवल इसीलिये सम्वाददाता बना कर कलकत्ता भेज दिया गया क्योंकि वह प्रेस आयोग के समक्ष साक्ष्य दे आया था। ये बातें अत्यन्त लज्जाजनक हैं। इसी प्रकार दक्षिणी भारत के एक और पत्रकार ने प्रेस आयोग के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया था और इस कारण दफ्तर में उस की अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई थी और उसे उतने समय का वेतन नहीं दिया गया था। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तब तक हमारे पत्रकारों के लिये सम्मानपूर्वक कार्य करना सम्भव नहीं।

पी० टी० आई० के विषय में तो जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। पी० टी० आई० में श्रमजीवी पत्रकारों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। उन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उन की सेवा की शर्तें सन्तोषजनक नहीं हैं, छंटनी के समय उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती। यदि इन दशाओं में सुधार नहीं किया गया तो भारतीय प्रेस समाज के प्रति अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभा नहीं सकेगी।

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि प्रेस आयोग इन सब बातों की जांच कर रहा है और मार्च तक या उस के लगभग वह अपना प्रतिवेदन दे देगा। परन्तु हम तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सरकार प्रेस अधिनियम की अवधि में वृद्धि करने का विचार कर रही है। दूसरे सदन में, कुछ दिन पूर्व, विभिन्न समाचारपत्रों में छपने वाले अश्लील विज्ञापनों के विषय पर चर्चा की गई थी। जब ये सब कार्यवाहियां की जा रही हैं तो फिर श्रमजीवी पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही भी क्यों नहीं कर ली जाती? आखिर, पत्रकार कोई बहुत बड़ी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। वे तो केवल यह कह रहे हैं कि उन्हें भी अन्य कर्मकरों के समान समझा जाये। यह एक सीधी सादी सी बात है और मैं समझता हूं कि ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस के लिये हमें प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की भी आव-श्यकता नहीं है। यदि पत्रकारों का संगठन

[श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी]

भी मज़दूर संघों के आधार पर नहीं किया गया तो वे प्रगति नहीं कर सकेंगे । आज पत्रकारों को आवश्यकता इस बात की है कि हम कोई ऐसा वैधानिक उपबन्ध बनायें कि उन्हें नौकरी से अलग किये जाने का भय न रहे । हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें जिस के अन्तर्गत पत्रकार सम्मानपूर्वक अपना कर्तव्य पूरा कर सकें । जब तक ऐसा विधान नहीं बनाया जायेगा या जब तक श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगा तब तक भारत में पत्रकारों के साथ आर्थिक न्याय किया जाना बहुत कठिन है । हम चाहते हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों के साथ आर्थिक न्याय किया जाये। अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाये और अधिनियम में तदनुसार संशोधन कर दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी । उन्होंने एक संशोधन की सूचना दी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"और इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रेस आयोग से यह कहा जाए कि वह १५ जनवरी, १९५४ तक एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुए मैं दो शब्द कह देना उचित समझता हूं । पत्रकारों का जगत एक अत्यन्त विचित्र जगत है । यदि हम ने इन के ऊपर कोई ध्यान दिया होता, इन के काम करने की स्थिति पर और इन के जीवन पर कुछ ध्यान दिया होता तो हमें कुछ उस का अंदाज़ा होता । लेकिन जब हम देखते हैं कि अच्छी पोशाक में पत्रकार हमारे सामने आते हैं तो उन के जीवन के रहन सहन का अच्छा असर हमारे ऊपर पड़ता है । किन्तु इस ऊपरी पोशाक, वेशभूषा, को देख कर हम उन की आन्तरिक स्थिति को बिल्कुल भूल जाते हैं । मैं ने स्वयं अपना वर्तमान जीवन पत्रकारिता से प्रारम्भ किया था । मैं पत्रकारों के बीच में रहता हूं और ऐसे पत्रकारों के बीच में रहता हूं जो मामूली क़िस्म के पत्रकार हैं, यद्यपि वे बड़े से बड़ा और ऊंचे से ऊंचा काम करते हैं । उन की आन्तरिक स्थिति इतनी कमज़ोर और दुःखद है कि उस का वर्णन करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है । फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा चित्र उन की स्थिति का आप के सामने रखूंगा और प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय उन की स्थिति पर विचार कर के बहुत शीघ्र ही इस स्थिति पर ध्यान दें और ऐसे क़ानून को लायें जिस से कि उन की स्थिति में सुधार हो ।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने एक प्रेस कमीशन का निर्माण किया है और वह प्रेस कमीशन इस दिशा में बड़े ज़ोरों से काम में लगा हुआ है । मुझे विश्वास है कि जिस समय पर प्रेस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत होगी, तो पत्रकार जगत के सम्बन्ध में हम को बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें मालूम होंगी और उस समय हम उन के विषय में अधिक कहने में समर्थ होंगे, लेकिन उस समय तक इन्तज़ार करना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा, कारण पत्रकार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और उस की तरफ़ फौरन ध्यान दिया जाना चाहिये । पत्रकार के जीवन के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि यद्यपि पत्रकार जगत के हाथ में हमारे देश के तमाम प्रचार और विज्ञापन

के साधन हैं, किन्तु आप देखते हैं कि पत्रों में पत्रकार के जीवन और उस की समस्याओं के बारे में किसी क़िस्म का प्रचार अथवा ज़िक्र नहीं होता । जो पत्रकार समाचारों को बना कर, मांज कर संसार के सामने पेश करता है, वह स्वयं उन पत्रों के बीच में अपनी स्थिति को नहीं लाता। आप ने अक्सर देखा होगा कि समाचार पत्रों में वह बड़े बड़े व्याख्यान, हड़तालों और श्रमिकों के आंदोलनों के समाचार छापता है और उन के विषय में अपने पत्र में प्रचार भी करता है, किन्तु पत्रकार अपने विषय म समाचार-पत्र में कुछ नहीं लिखता, वह शांतिपूर्वक अपने पत्रकारिता के काम में लगा हुआ है और आज तक अपने विषय में उस ने कोई आवाज़ नहीं उठाई । अब हमारा यह धर्म हो जाता है कि ऐसे शख्स के लिए जो राष्ट्र के कल्याण हेतु दिन रात हम से भी अधिक परिश्रम कर रहा है और जो हमारे सामने भविष्य की एक उज्ज्वल रूपरेखा रखने के लिये सदा सन्नद्ध रहता है, उस के लिये हम भी कुछ करें और उस समय तक की प्रतीक्षा न करें जब कि वह स्वयं अपने लिये मजबूर हो कर आवाज़ उठाने के लिए उद्यत हो जाय । आप देखते हैं कि एक मिठाई वाला मिठाई बनाता है, लेकिन स्वयं उस को नहीं खाता, ठीक यही हाल हमारे पत्रकारों का है । वह स्वयं समाचार का निर्माण करता है, और समाचार उस के लिए हीरे मोती हैं, हीरा जिस तरह खान में पड़ा होता है, और मैला, कुचैला होता है, उस को बाज़ार म बेचने के लिए उस को साफ़ किया जाता है और तराश कर उस में चमक पैदा की जाती है और नया रूप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पत्रकार समाचार जो उसे मिलते हैं, उन को मांजता है, उन को ठीक रूप देता है और उन में एक चमक, एक आकर्षण, पैदा करता है, ताकि वह संसार के उपयोग के क़ाबिल बन सकें और लोग उन की तरफ़ ध्यान दें और पढ़ें । पत्रकार लोग इस क़िस्म का काम करते हैं, लेकिन वह स्वयं अपने लिए उन समाचारों, उन उज्ज्वल हीरों, का प्रयोग नहीं करता, वह अपना प्रचार उन पत्रों में नहीं करता । ऐसी स्थिति में क्या हमारा यह धर्म नहीं है कि हम उस के प्रति उपेक्षा की दृष्टि से न देखें, बल्कि उस की दशा सुधारने का प्रयत्न करें ।

हमारे भारतीय संविधान में यह जो फंडामेंटल डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ़ स्टेट पालिसी हैं, उस के ४३वें अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है :

"The state shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas."

दूसरी जगह अनुच्छेद ३९ में जो 'सी' उपधारा है उस में यह लिखा है :

" (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of produc-

[उपाध्यक्ष महोदय]

ion to the common detriment."

मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार आप दुकानों, कारखानों और मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों और मज़दूरों के लिए लेजिस्लेशन लाते हैं और उन की सर्विस कंडीशन्स में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, उसी तरह आप इन पत्रकारों की दशा सुधारने का क्यों नहीं प्रयत्न करते और क्यों नहीं उन के लिए प्रापर लेजिस्लेशन लाते ? मिल में या किसी कारखाने में बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा की जाती हैं, मिल मालिक फ़ायदा उठाते हैं, यह सही है, लेकिन हम उन मिलों में काम करने वालों को मुनाफ़े में हिस्सा दिलाने के लिए और दूसरे दूसरे अधिकार दिलाने के लिए तमाम क़ानून बनाते हैं । हम ने मज़दूरों और श्रमजीवियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े बड़े क़ानून बनाये हैं । आज बड़े बड़े समाचारपत्र जो कि पूंजीपति लोग चलाते हैं उन के यहां जो पत्रकार लोग और कर्मचारी काम करते हैं, उन से वे पूंजीपति काम कराते हैं और जिस प्रकार मिलों में चीज़ों का उत्पादन होता है, उसी प्रकार इन में समाचारों का उत्पादन होता है और यह समाचार बाज़ार में बेचे जाते हैं और उन के बेचने से जो लाभ होता है, वह ज्यादा से ज्यादा लाभ उस पूंजीपति को होता है जो उस समाचार-पत्र का मालिक होता है और जो उस का चलाने वाला होता है, लेकिन उस लाभ में श्रमजीवियों का कोई हिस्सा नहीं होता । क्या यह सत्य नहीं है कि जिस प्रकार से फावड़ा ले कर एक मज़दूर काम करता है, या जिस प्रकार से और और दूसरे आदमी काम करते हैं, उसी प्रकार से यह पत्रकार क़लम का हथियार ले कर दिन रात वक्त बेवक्त इधर उधर घूमता फिरता है, जीवन की तमाम समस्याओं का सामना करता है, क्या यह पत्रकारिता का काम वैसा ही नहीं है जैसे दूसरे श्रमजीवी मज़दूरों का होता है ? मेरा कहना है कि निश्चय ही होता है और ऐसी अवस्था में उस की तरफ़ उपेक्षा को दृष्टि बनाये रखना सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है । प्रेस कमीशन का जो प्रतिवेदन है, उस की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । मेरा जो संशोधन है, उस की मंशा यह है कि प्रेस कमीशन से प्रार्थना की जाय कि शीघ्र ही अभी पन्द्रह, बीस रोज़ के अन्दर अन्दर यानी पन्द्रह जनवरी के भीतर वह अपना एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत करे, सरकार के सामने अपनी इंटेरिम रिपोर्ट पेश करे और उस रिपोर्ट में इस बात की कोशिश करें कि जो उन्हों ने अभी तक हाल देखा है और जो अभी तक अध्ययन किया है, उस के सम्बन्ध हम को जानकारी करायें, ताकि हमारी सरकार इन हज़ारों श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक ऐसे क़ानून का सृजन कर सके जिस से उन की हालत सुधर सके और उन को भी वही अधिकार और सुविधाएं सुलभ हो सकें जो दूसरे श्रमजीवी और काम करने वालों को मिलती हैं । मेरे पास अधिक समय नहीं है, वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कह कर आप को धन्य-वाद देता हूं कि आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौक़ा दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री टी० एन० सिंह : मुझ अपने मित्रों से यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि कुछ श्रम-जीवी पत्रकारों को प्रेस आयोग के सामने साक्ष्य देने के कारण दंड दिया गया और परेशान किया गया । प्रेस आयोग का एक

सदस्य होने के नाते मुझे कितने ही पत्रकारों से मिलने का अवसर मिला है और उन में से कुछ प्रेस आयोग के कुछ सदस्यों से निजी रूप से भी मिले हैं। पत्रकारों ने हम में से कुछ सदस्यों को बताया है कि उन्हें यह भय है कि यदि उन्हों ने सच्ची सच्ची बातें बता दीं तो उन्हें नौकरी से अलग किया जा सकता है या किसी अन्य प्रकार से दंड दिया जा सकता है। उन्हों ने आयोग से संरक्षण की मांग की। परन्तु दुर्भाग्य से आयोग को संरक्षण देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि आयोग के हित में यह वांछनीय है कि कोई ऐसी चीज़ की जाये जिस से पत्रकार आयोग के समक्ष निर्भय हो कर अपने विचार व्यक्त कर सकें। यह एक वास्तविक समस्या है और इसे सरकार को सुलझाना चाहिये।

मैं श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन की सराहना करता हूं जिस में यह सुझाव दिया गया है कि प्रेस आयोग से एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश करने के लिये कहा जाये। मुझे आशा है कि यदि सरकार आयोग से ऐसा करने के लिये कहे, तो वह निश्चय ही इस पर विचार करेगा। परन्तु अभी हम से कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये नहीं कहा गया है। इसलिये हमारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देने का इरादा नहीं है।

अतएव मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे न मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। मैं भी कुछ बातें सुन रहा हूं परन्तु अभी तक मैं उन की पुष्टि नहीं कर पाया हूं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे ताकि ठीक वातावरण पैदा हो सके और आयोग भी ठीक तरह से काम कर सके।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हम सब ही की सहानुभूति श्रमजीवी पत्रकारों के साथ है। इस में शक नहीं कि उन की सेवाएं सुरक्षित नहीं हैं। सदन ने इस विषय में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। इसलिये यह उचित ही है कि वह आयोग के सदस्यों का भी पथप्रदर्शन करे।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : इस संकल्प का क्षेत्र बहुत सीमित है। इस में श्रमजीवी पत्रकारों को भी वैसा ही संरक्षण दिये जाने की अपेक्षा है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है। इस विधान की आवश्यकता इसलिये है क्योंकि इस समय श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बन्धित कानून के बारे में अत्यधिक अस्पष्टता विद्यमान है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत केवल लिपिक का कार्य तथा शारीरिक श्रम करने वालों को ही शामिल किया जाता है। कुछ न्यायालयों का कहना है कि पत्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकर नहीं हैं क्योंकि उन का काम दीमागी है। मेरी राय में इस अधिनियम के अन्तर्गत "औद्योगिक विवादों" की परिभाषा में वे विवाद भी आने चाहियें जो कर्मकरों के किसी निकाय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उठाये जायें जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कर्मकर नहीं हैं।

यह कोई नया मामला नहीं है। पिछले तीन-चार वर्ष से हम यह बात कहते रहे हैं कि कर्मकरों की परिभाषा में न केवल श्रमिकों तथा लिपिकों को ही रखा जाये बल्कि दीमागी काम करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाये। इसलिये अब सरकार को इस सत्र के समाप्त होते ही इस सम्बन्ध में एक अध्या-

[श्री वेंकटारमन]

देश जारी करना चाहिये कि कर्मकरों की परिभाषा में दीमागी काम करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं ।

एक और बात भी है जिस के कारण यह संकल्प अत्यन्त समयोचित एवं आवश्यक है । यदि कोई पत्रकार प्रेस आयोग के समक्ष साक्ष्य देता है और यदि इस कारण उसे उस के मालिकों द्वारा तंग किया जाता है तो उस का संरक्षण करने के लिये इस समय कोई विधान विद्यमान नहीं है । यदि पत्रकारों पर भी औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू हो तो वह न्यायाधिकरण के सामने अपना मामला पेश कर सकते हैं । अतः यह बात को सुनिश्चित करने के लिये कि प्रेस आयोग के सामने साक्ष्य देने वालों को उन के मालिकों द्वारा कोई दंड न दिया जाये, ऐसे किसी विधान का बनाया जाना अत्यावश्यक है

तीसरी बात यह है कि पत्रकारों से सम्बन्ध रखने वाली दशाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपने तृतीय सत्र में विचार किया गया है और उस की 'जनरल रिपोर्ट' के पृष्ठ ९९ और १०० पर पत्रकारों की दशा का सजीव चित्रण किया गया है । रिपोर्ट में 'नियोजन संविदाओं' की ओर निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये ।

इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे या कोई ऐसा अध्यादेश जारी करे जिस के द्वारा न केवल श्रमजीवी पत्रकार बल्कि ऐसे सब व्यक्ति जिन्हें पर्यवेक्षी या टैक्नीकल कर्मचारी कहा जाता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्र में लाये जा सकें । औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य यह है कि उद्योग में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सके । ऐसी दशा में, यदि दिमागी काम करने वालों को भी संरक्षण दे दिया जाये तो इस से क्या हानि हो सकती है ? इन लोगों को बाहर रखने में कोई भलाई नहीं है । अन्य देशों में वे लोग भी शामिल हैं । उदाहरण के लिये, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के कानूनों में यह उपबन्ध है कि श्रम जीवी पत्रकारों तथा उन के मालिकों के बीच जो विवाद हो वे वहां के राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा निबटाये जायें । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई ऐसा विधान बनाये या कोई ऐसा अध्यादेश जारी करे जिस के द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण दिया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी पक्षों के प्रतिनिधियों की ओर से भाषण हुए हैं । अब मैं जानना चाहता हूं कि सदन की इच्छा क्या है । यदि सदन इस सम्बन्ध में सरकार की नीति जानना चाहता है तो मैं मंत्री जी को अपना भाषण देने के लिये कहूंगा । अन्यथा यदि सदन इस विषय पर अगले सत्र में भी चर्चा जारी रखना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : हम भाषण देने के लिये उत्सुक नहीं । यदि मंत्री जी को बोलने का अवसर दिया जाये तो यह अधिक अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन मंत्री जी के आश्वासन से सन्तुष्ट होगा तो मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिये सदन के समक्ष रखूंगा तथा फिर अगले प्रस्ताव को ले लूंगा । माननीय मंत्री ।

श्री वी० वी० गिरि : उपाध्यक्ष महोदय मुझे प्रसन्नता है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण

समस्या पर सदन के विभिन्न पक्षों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यह विषय इस सदन में तथा दूसरे सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार को इस मामले में न केवल दिलचस्पी है अपितु वह कार्यवाही करने के लिये भी उत्सुक है। मैं ने यह बात औद्योगिक विवाद अधिनियम पर चर्चा करते समय भी स्पष्ट की थी मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार किस तरह से इस बात के लिये उत्सुक है कि श्रमजीवी पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये। श्रीमान्, जिस समय 'टाइम्ज आफ इंडिया' कर्मकरों का मामला हमारे सामने आया, मैं ने तुरन्त ही नियोजकों को बताया कि चाहे वर्तमान अधिनियम में शब्द 'कर्मकर' की परिभाषा कुछ भी हो, नियोजकों को चाहिये कि वह श्रमजीवी पत्रकारों को वही सुविधाएं दें जो कि कर्मकरों को प्राप्त हैं। मुझे प्रसन्नता है कि नियोजकों ने मेरा सुझाव मान लिया है तथा वह श्रमजीवी पत्रकारों को सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र प्रस्तावक ने एक मामला मेरे ध्यान में लाया है तथा मैं ने उन्हें सदन में वचन दिया है। मैं ने स्वयं उस महाशय को वचन दिया जो कि आकर मुझे मिले तथा सरकार ने तत्काल ही नियोजकों को लिखा कि क्यों इस मामले को एक अपवाद के रूप में रखा गया है। मुझे आशा है कि मुझे इस का उत्तर मिलेगा।

दूसरी ओर जब पी० टी० आई० कर्मकरों का मामला दूसरे सदन के सामने आया तो मैं ने तत्काल ही कार्यवाही की। श्री देवदास गांधी मुझ से मिले, श्री गोयनका मुझ से मिले तथा श्री पारुलेकर भी मुझ से मिले। कुछ भी हो, उन्होंने हमदर्दी दिखाई और कहा कि वह इन पी० टी० आई० कर्मकरों की मांगों पर विचार करेंगे तथा यदि आवश्यक होगा तो उन से मिलेंगे और उन की शिकायतों आदि पर चर्चा करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि सदनको केवल इस आश्वासन से सन्तुष्ट होना चाहिये। यह आश्वासन दे कर मेरा आशय यह नहीं है कि यह कानून श्रम जीवी पत्रकारों पर लागू नहीं होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ज्योंही यह शिकायतें मेरे ध्यान में लाई गईं तो मैं ने इस पर तुरन्त कार्यवाही की तथा इस बात की ओर ध्यान दिया कि कर्मकरों को आर्थिक हानि न होने पाये।

मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह प्रेस कमीशन के सदस्य हैं। मुझे इस कमीशन के अध्यक्ष न्यायाधीश राजाध्यक्ष के प्रति बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि उन्हों ने कर्मकरों तथा नियोजकों के बीच हुई कई महत्वपूर्ण विवादों में अपना निर्णय दिया तथा दोनों पक्षों ने उन की बड़ी सराहना की। माननीय सदस्य के इस संशोधन का हम ने पूर्वानुमान लगाया था कि प्रेस कमीशन को, यदि यह इस मामले पर विचार करना चाहता है, अपनी अन्तरिम उपपत्तियां १५ जनवरी तक भेजनी चाहियें।

मेरी प्रार्थना पर मेरे माननीय सहकारी डा० केसकर ने कमीशन को इस संशोधन की सूचना दी है तथा उन से कहा है कि हम जनवरी से पहले उन की राय जानना चाहते हैं। डा० केसकर ने यह भी बताया है कि मेरी यह राय है कि औद्योगिक संबंध विधेयक शीघ्र ही विचार के लिये प्रस्तुत हो तथा इसलिये हम फरवरी से पहले ही उन की राय जानना चाहते हैं। मुझे आशा है कि कमीशन हमारी इस प्रार्थना पर विचार करेगा तथा इसे माना भी जायगा।

गत तीन अथवा चार महीनों में श्रमजीवी पत्रकार अपनी समस्याओं को दोनों सदनों के समक्ष ला सके हैं तथा मेरा विश्वास है कि इस से नियोजक बहुत कुछ सीख जायेंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री टी० एन० सिंह, श्री गुरुपादस्वामी तथा अन्य व्यक्तियों ने

[श्री वी० बी० गिरी]

बताया कि यदि श्रमजीवी पत्रकार प्रेस कमीशन के सामने अपनी साक्ष्य देने के लिये आयेंगे तो उन्हें नियोजकों द्वारा सताया जायगा। मैं नियोजकों से अपील करूंगा कि वह श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा करें। उन्हें वस्तुस्थिति पर लोकतन्त्रात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये तथा अपने कर्मचारियों अर्थात् श्रमजीवी पत्रकारों को प्रैस कमीशन के समक्ष अपनी साक्ष्य देने की सुविधायें देनी चाहियें। मैं उन से अपील करता हूं कि वह घबराय नहीं, लज्जा महसूस न करें तथा अपने कर्मचारियों से इसलिये क्रुद्ध न हों कि वह कमीशन के समक्ष अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। उन्हें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिये कि उन के कर्मचारी स्वतंत्र हैं तथा वह अपने विचार प्रकट करने के लिये तैयार हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि वह इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि श्रमजीवी पत्रकारों को इसलिये सताया गया अथवा सताया जायगा कि उन्हों ने प्रेस कमीशन के सामने अपना बयान दिया तो मेरी यह कोशिश होगी कि उन के साथ यह दुर्व्यवहार न होने पाये।

मेरे मित्र श्री डी० सी० शर्मा ने जो संकल्प पेश किया है उस के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। जब से मेरा सार्वजनकि जीवन आरम्भ हुआ है, मैं पत्रकारों तथा उन की काम काज की परिस्थितियों से सुपरिचित रहा हूं। मैं स्वयं एक पत्रकार रहा हूं, इस लिये मैं उन की कठिनाइयों तथा असुविधाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे मालूम है कि भूतकाल में उन की स्थिति क्या रही है, इस समय उन की कठिनाइयां क्या हैं तथा आगे के लिये उन की महत्व आकांक्षायें क्या हैं। इस समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण एक ऐसे मित्र, हमदर्द तथा जानकार का सा है जो कि इन लोगों की स्थिति सुधारने को उत्सुक हों। मैं जानता हूं कि पत्रकार अपनी मांगों के बारे में अत्युत्सुक हैं। और उन की यह भावना अनुचित नहीं। कलकत्ता में बिना किसी पूर्व चेतावनी के कुछ महत्वपूर्ण समाचारपत्रों के बन्द होने के कारण पत्रकारों में घबराहट पैदा हुई है। सौभाग्यवश नियोजक इस समय जनता की भावना को समझ सके हैं तथा उन्हों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायनिर्णय की सुविधायें उन लोगों को भी देना मान लिया है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आ जाते हैं। लेकिन हर समय हम उन की सद्भावना पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। स्पष्टतः कर्मकरों के हितों की रक्षा नियोजकों की सहानुभूति तथा रियायतों द्वारा ही नहीं अपितु अधिकार के रूप में होनी चाहिये।

इन के प्रति इतनी सहानुभूति होते हुए भी मैं इस संकल्प को स्वीकार करने की घोषणा क्यों नहीं कर रहा हूं इस पर माननीय सदस्यों को आश्चर्य हो रहा होगा। जैसे कि आप को मालूम होगा औद्योगिक विवाद अधिनियम इस समय केवल उन लोगों पर लागू होता है जो कि प्रारम्भिक श्रम करते हैं अथवा क्लर्की करते हैं। यह कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों पर लागू नहीं होता है। हमारा औद्योगिक सम्बन्ध कानून अपने वर्तमान रूप में एक हाल ही की चीज है तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से हमारे विचार बहुत बदल गये हैं। १९४७ में कर्मकर जो कुछ मानने को तैयार थे, अब वह वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये हमारे पूर्वाधिकारियों पर यह कोई आक्षेप नहीं कि उन्हों ने एक ऐसा अधिनियम बनाया जिस का क्षेत्र सीमित है। परन्तु यह एक तथ्य है कि हमें पारिश्रमिक पाने वाले कई वर्गों के साथ अभी न्याय करना बाकी है। श्रमजीवी पत्रकारों ने निस्सन्देह बड़ी पीड़ा उठाई है तथा उन से निस्सन्देह

न्याय होना चाहिये । कर्मचारियों का केवल यही एक मुख्य वर्ग औद्योगिक विवाद अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया तथा इस तरह से उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया कि वह भी अपने विवादों का न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करा सकें सरकार को उन की मांगे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, परन्तु ज्योंहि पत्रकारों ने अपनी मांगे पेश कीं दूसरे कर्मकर भी ऐसी ही मांगे करने लगे । क्या औद्योगिक सम्बन्ध कानून बनाते समय हमारी यह कोशिश होगी कि इस के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत यथा सम्भव कर्मकरों की अधिकाधिक श्रेणियां आ जायें ।

जहां तक प्रेस कमीशन का सम्बन्ध है मैं ने पहले ही इस बारे में अपना विचार प्रकट किया है । प्रेस कमीशन से प्रार्थना की गई है कि वह आगामी जनवरी के अन्त तक हमें अपने विचारों से सूचित करे । सरकार का विचार है कि उन सभी श्रमिक वर्गों को इस कानून के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया जाय जिन की कि अब तक उपेक्षा की गई है । भेदभाव की नीति बर्तना उन के लिये कठिन होगा । यदि केवल पत्रकारों के लिये ही एक अलग कानून बनाया जायगा तो दूसरे लोग शिकायत करेंगे । इसलिये हम वर्तमान कानून की त्रुटियों का अगले कानून में जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होगा निवारण करने का प्रयत्न करेंगे । मैं सदन का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं ने अपने विचार प्रकट किये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य की दृष्टि में, मैं समझता हूं कि इस मामले को सदन में और आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है । किन्तु जब तक कि माननीय सदस्य संशोधनों अथवा संकल्प पर आग्रह न करना चाहें, मुझे संशोधन तथा संकल्प दोनों को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

श्री वी० वी० गिरि : मुझे आशा है कि सदन संकल्प तथा संशोधनों को वापस ले लेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : यह संकल्प सरकार के लिये बन्धनकारी तो नहीं है । माननीय मंत्री जी ने इस संकल्प को जो नैतिक तथा मौखिक समर्थन दिया है उस की दृष्टि में मैं समझता हूं कि इस संकल्प को पारित करना उचित ही होगा । मुझे आशा है कि सदन के सब वर्ग इस संकल्प को पास करने में एकमत होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं इसे माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं और इस मामले को सदन के सम्मुख रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

संकल्प के अन्त में निम्न लिखित जोड़ दिया जाये :

"और इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये प्रेस आयोग से यह कहा जाये कि वह १५ जनवरी, १९५४ तक एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

श्री एम० एन० द्विवेदी: हम संकल्प तथा संशोधन दोनों को वापस लेने को तैयार हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : संकल्प वापस नहीं लिया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कि संशोधन के वापस लेने के विरुद्ध एक भी आवाज़ सुनी जायेगी, तब तक मैं वापस लेने की आज्ञा नहीं दे सकता । ऐसी दशा में इस पर मत लिया जाना होगा । नियम यही है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन प्रस्तावक को संकल्प वापस लेने की अनुमति देता है ।

श्री एस० एस० मोरे : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सदन का विचार है कि देश के समाचार-पत्र संगठनों में सेवायुक्त समस्त पत्रकारों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४ वां) के अन्तर्गत लिया जाये और यदि आवश्यक हो, तो इस प्रयोजन के निमित्त उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

राइफिल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये सुविधाओं का उपबन्ध करने सम्बन्धी संकल्प

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेलोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सदन का विचार है कि भारत के युवकों को अनुशासन, लक्ष्य-वेधिता, अगुआई तथा नेतृत्व के गुणों की प्रेरणा देने के प्रयोजन नार्थ सरकार अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित कार्यवाहियों से राइफिल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये सुविधायें प्रदान करे—

(क) नेशनल राइफिल ऐसोसियेशन को आर्थिक सहायता दी जाये तथा शस्त्रास्त्रों के रूप में एवं अन्यथा, उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जाये;

(ख) सहायक प्रादेशिक सेना के प्रयत्नों का मान्यता प्राप्त स्थानीय राइफिल क्लबों से समन्वय कर के पूरे वर्ष के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये;

(ग) मान्यता प्राप्त क्लबों द्वारा अपेक्षित विशेषिकृत शस्त्रों पर शुल्क कम किया जाय तथा आयात प्रतिबन्धों को ढीला किया जाये और;

(घ) भारतीय शस्त्र अधिनियम, १८७८ के उपबन्धों में तदनुसार परिवर्तन किया जाये ।"

श्रीमान्, यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है । इस का प्रयोजन भारतीय युवकों में लक्ष्य-वेधिता तथा राइफिल की ओर रुचि बढ़ाना है, विशेषकर बौद्धिक वर्ग में । इसे प्रोत्साहित करने के लिये सरकार को तद् सम्बन्धी प्रयासों में आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देनी चाहिये ; गत कुछ वर्षों से एक नेशनल राइफिल क्लब कार्य कर रहा है और इस ने हर जगह स्थानीय राइफिल क्लबों को संगठित करने में अगुआई और सामर्थ का प्रमाण दिया है । इसलिये सरकार को इसे हर प्रकार की सुविधा प्रदान करनी चाहिये जिस से कि यह भारत में हर जगह राइफिल क्लबों के संगठन तथा विकास में सहायता कर सकें ।

भारत के राष्ट्रपति इस ऐसोसियेशन के संरक्षक हैं तथा इस सदन के अध्यक्ष इस के सभापति, यह इस बात की पर्याप्त प्रत्याभूति है कि इस संस्था का कार्यकुशलता तथा क्षमता पर विश्वास किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे । सदन की बैठक स्थगित की जाती है तथा कल फिर १-३० म० प० प्रारम्भ होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, १९ दिसम्बर, ९९५३ के डढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।